Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

अगस्त

2022

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग 3
- भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार 4
- कृषि का नारीकरण 6
- गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता की तरफ 8
- ताइवान पर अमेरिका-चीन में संघर्ष 10
- राजनीति में फ्रीबीज़ (मुफ्त उपहार) 12
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र 14
- नील-हरित अवसंरचना 16
- सामान्य ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 18
- इसरो का लघु उपग्रह प्रमोचन यान (SSLV) 20
- भारत में शिक्षा प्रौद्यौगिकी 21
- फिनटेक का विनियमन 24
- भारत की जनसांख्यिकी 26
- उत्तर-पूर्वी राज्यों का एकीकरण 28
- भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का भविष्य 30
- भारतीय विदेश नीति 32
- भारत में महिलाओं की स्थिति 35
- भारत में श्रम सुधार 37
- कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा 39
- राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आवश्यकता 42
- चाबहार बंदरगाह 44
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम 45
- उम्मीद का इंद्रधनुष: LGBTQIA+ 48
- भारत में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' 53
- भारत और परमाणु अप्रसार संधि 54
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 58

नोट :

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग

संदर्भ

दक्षिण एशिया एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक और जातीय-सांस्कृतिक दोनों संदर्भों में परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का भारत का दृष्टिकोण दक्षिण एशिया में वृहत अंतर-क्षेत्रीय व्यापार, निवेश प्रवाह और क्षेत्रीय परिवहन एवं संचार लिंक पर आधारित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) और भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) नीति इस दृष्टिकोण के पालन के दो माध्यम हैं।
- हालाँकि इस भू-भाग के देशों के बीच साझा सांस्कृतिक जड़ें मौजूद हैं, राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता (श्रीलंका संकट और अफगानिस्तान संकट), उच्च मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू अशांति जैसी कई उप-क्षेत्रीय चुनौतियाँ हैं जो दुनिया की कुल आबादी के लगभग एक चौथाई भाग का वहन करने वाले इस भूभाग के लिये समस्या बनी हुई हैं।

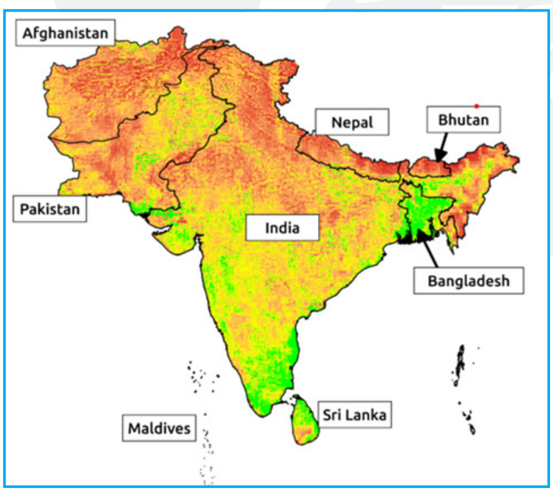

भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति

- भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति 'वसुधैव कुटुम्बकम' के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक है।
- **विकास सहायता:** भारत ने अपने वर्ष 2022-23 के बजट में पड़ोसी देशों और अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों की विकास सहायता के लिये 62,920 मिलियन रुपए आवंटित किये हैं।
- **'वैक्सीन डिप्लोमेसी':** भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के एक भाग के रूप में अपनी 'वैक्सीन डिप्लोमेसी' या 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से दुनिया के कई देशों (विशेषकर पड़ोसी देशों) को कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता दी है।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग की चुनौतियाँ

- **अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का निम्न स्तर:** दक्षिण एशिया का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार वैश्विक स्तर पर सबसे कम है, जो इस क्षेत्र के कुल व्यापार का केवल 5% है। वर्तमान आर्थिक एकीकरण 23 बिलियन डॉलर के वार्षिक अनुमानित अंतर के साथ इसकी क्षमता का केवल एक तिहाई है।
- **दक्षिण एशिया में बाह्य प्रभाव:** भारत के छोटे पड़ोसी देश बाह्य शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से भारत के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास करते रहे हैं। इस क्रम में अतीत में वे अमेरिका का प्रभाव ग्रहण करते रहे और वर्तमान में चीन के प्रभाव में हैं।
  - दक्षिण एशिया और अपने समुद्री पड़ोस (हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीप राष्ट्रों सहित) में हाल की चीनी कार्रवाइयों और नीतियों ने भारत के लिये आवश्यक बनाया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ संबंध और संलग्नता को अत्यंत गंभीरता से ले।
- **क्षेत्रीय मुद्दे:** दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय विवाद क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिये चुनौती बने हुए हैं।
  - सभी अंतर-राज्यीय विवादों में से क्षेत्र और सीमा को लेकर जारी विवाद सशस्त्र संघर्ष की ओर ले जाने की अधिक संभावना रखते हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अक्षम प्रबंधन:** दक्षिण एशिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकीकरण वैश्विक औसत से कम है और यह पूर्वी एशिया की तुलना में वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में कम एकीकृत है।
  - इस क्षेत्र के कई देशों की कम उत्पादकता के कारण इन देशों का निर्यात बेहद कम है।

दक्षिण एशिया के विकास में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना:** भारत क्षेत्रीय व्यापार, कनेक्टिविटी और निवेश का लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र के लिये 'गेम-चेंजर' के रूप में 'दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते' (South Asian Free Trade Agreement) को सशक्त बना सकता है।

- आर्थिक ऊर्जा को प्रेरित करना अंतर-क्षेत्रीय खाद्य व्यापार में बाधाओं को कम करेगा और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को प्रोत्साहित करेगा।

- **'इको-ब्लूप्रिंट' प्रदान करना:** दक्षिण एशियाई देश जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु संकट के प्रति कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के इको-ब्लूप्रिंट से लाभ उठा सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में प्रभावी शासन और सतत विकास के बीच के संबंध को भी स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है।
- **खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करना:** क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा एक अन्य क्षेत्र है जिसमें भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल कर सकता है और खाद्य सुरक्षा के लिये इस आर्थिक ब्लॉक का एक अभिन्न सूत्रधार एवं घटक हो सकता है।
  - इस दृष्टिकोण से 'सार्क फूड बैंक' की क्षमता बढ़ाना भी आवश्यक है जो वर्तमान में 500,000 मीट्रिक टन से कम है।
- **उप-क्षेत्रीय पहलों को आगे बढ़ाना:** भारत 'बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल' (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) जैसे उप-क्षेत्रीय पहलों की आयोजन क्षमता को बढ़ा सकता है।
  - सीमावर्ती क्षेत्र सीमा-पार व्यापार, परिवहन और स्वास्थ्य पर विषयवार क्षेत्रीय संवादों को संचालित कर भारत की क्षेत्रीय संलग्नता को आकार देने में प्रभावी भागीदार हो सकते हैं।
  - भारत आवश्यक सहायता का विस्तार कर इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है और चीन के मुक़ाबले आर्थिक और रणनीतिक दोनों गहराई हासिल कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों में दक्षिण एशिया की आवाज:** एक समूह के रूप में दक्षिण एशियाई देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिये भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण एशिया की आवाज़ बन सकता है। एक सुरक्षित क्षेत्रीय वातावरण भारत को अपने महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों तक पहुँचने में भी मदद करेगा।

आगे की राह

- **मौजूदा संगठनों को सशक्त बनाना:** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे मौजूदा संगठन क्षेत्रीय सहयोग को उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहे हैं।
  - एकीकरण के प्रति आशंकित इस भू-भाग के लिये घरेलू भावनाओं को आर्थिक तर्क से अलग रखना और कूटनीति के माध्यम से आशंकाओं को दूर करना आगे की राह होनी चाहिये।
- **आत्मनिर्भर दक्षिण एशिया की ओर:** क्षेत्र में मुक्त पारगमन व्यापार, आपूर्ति एवं रसद शृंखलाओं का विकास, डिजिटल डेटा इंटरचेंज, सिंगल-विंडो एवं डिजीटल क्लीयरेंस सिस्टम, जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनतमकारी उपाय, व्यापार क्रेडिट लाइनों का व्यापक उपयोग (जो वर्तमान में अत्यंत निम्न स्तर पर कम है), गहन कनेक्टिविटी, सुगम सीमा-पार निरीक्षण आदि दक्षिण एशिया के लिये आत्मनिर्भरता लेकर आएँगे।
- **लोगों के बीच संपर्क:** निरंतर सौहार्द एवं स्थिरता के लिये लोगों के परस्पर संपर्क (People-to-people Connect) और गहन सांस्कृतिक संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके साथ ही, क्षेत्र के समग्र विकास के लिये बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को शीघ्र पूरा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार

संदर्भ

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का भारत का स्वप्न औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर करेगा। भारत में आठ औद्योगिक क्षेत्र हैं जिन्हें प्रमुख क्षेत्र या कोर सेक्टर (Core Sectors) माना जाता है।

- कोर सेक्टर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production- IIP) में 40% हिस्सेदारी रखते हैं; इस प्रकार औद्योगिक गतिविधि के प्रमुख संकेतक का निर्माण करते हैं। इस्पात और कच्चे तेल को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के स्वस्थ प्रदर्शन के साथ कोर सेक्टर ने जून, 2022 में कोविड के स्तर से 8% की वृद्धि दर्ज की।
- चूँकि उद्योग 4.0 (Industry 4.0) का दौर है तो भारत के औद्योगिक विकास में, विशेष रूप से कोर क्षेत्रों में, विद्यमान बाधाओं को स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक होती जा रही है।

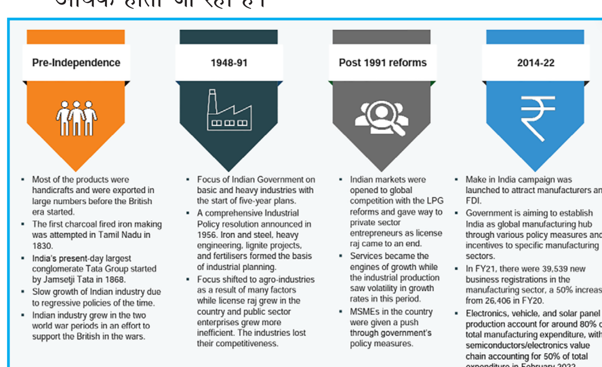

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) क्या है?

- यह एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की माप करता है। इसका आधार वर्ष 2011-2012 है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- **यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर की माप करता है:**
  - **व्यापक क्षेत्र (Broad sectors):** खनन, विनिर्माण और बिजली।
  - **उपयोग-आधारित क्षेत्र (Use-Based Sectors):** बुनियादी वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
- **आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (Index of Eight Core Industries- ICI):** यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ सबसे मौलिक औद्योगिक क्षेत्रों का सूचकांक है और IIP में 40.27% भारांक (weightage) रखता है।
  - मासिक ICI आठ प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन की माप करता है।
  - कोर सेक्टर के आठ प्रमुख उद्योग अपने भारांक के घटते क्रम में इस प्रकार हैं:
    - रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> इस्पात> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **कुशल अवसंरचना और जनशक्ति की कमी:** वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये उच्च प्रौद्योगिकी आधारित आधारभूत संरचना, विशेष रूप से परिवहन और कुशल जनशक्ति के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - दूरसंचार सुविधाएँ मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और दयनीय स्थिति में हैं।
  - रेल परिवहन पर अत्यधिक भार है जबकि सड़क परिवहन कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है।
- **समान अवसर बनाए रखना:** MSME क्षेत्र मध्यम एवं वृहत स्तर के औद्योगिक क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों की तुलना में ऋण उपलब्धता एवं कार्यशील पूंजी की ऋण लागत के मामले में अपेक्षाकृत कम अनुकूल स्थिति रखता है। इस जारी पूर्वाग्रह को दूर करने की जरूरत है।
- **विदेशी आयात पर निर्भरता:** भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी (इलेक्ट्रिकल और नॉन-इलेक्ट्रिकल), लोहा एवं इस्पात, कागज, रसायन एवं उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री आदि के लिये विदेशी आयात पर निर्भर है।
  - भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल औद्योगिक उत्पादन 38% का योगदान देता है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे नव औद्योगिक देशों में यह प्रतिशत क्रमशः 52, 29 और 28 है।
  - इससे पता चलता है कि आयात प्रतिस्थापन अभी भी देश के लिये एक दूर का लक्ष्य है।
- **अनुपयुक्त अवस्थिति आधार:** कई उदाहरण हैं जहाँ लागत प्रभावी बिंदुओं के संदर्भ के बिना ही औद्योगिक अवस्थिति तय कर ली गई। प्रत्येक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख उद्योगों की स्थापना अपने सीमा-क्षेत्र में कराने के लिये प्रयासरत रहता है और स्थान चयन संबंधी निर्णय प्रायः राजनीति से प्रेरित होते हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में घाटे:** विकास के समाजवादी प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के तहत निवेश में आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
  - लेकिन लालफीताशाही और तनावपूर्ण श्रम-प्रबंधन संबंधों से ग्रस्त अप्रभावी नीति कार्यान्वयन के कारण इनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम घाटे में चल रहे हैं।
  - प्रत्येक वर्ष सरकार को इस घाटे की भरपाई के लिये और कर्मचारियों को वेतन देने के दायित्वों की पूर्ति के लिये भारी व्यय करना पड़ता है।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये प्रमुख सरकारी पहलें:

- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) – घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिये।
- पीएम गति शक्ति – राष्ट्रीय मास्टर प्लान - मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजना।
- भारतमाला परियोजना – उत्तर-पूर्व भारत में कनेक्टिविटी में सुधार के लिये
- **स्टार्ट-अप इंडिया** – भारत में स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने के लिये
- **मेक इन इंडिया 2.0** – भारत को वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिये।

नोट :

- **आत्मनिर्भर भारत अभियान –** आयात निर्भरता में कमी लाने के लिये
- **विनिवेश योजनाएँ –** भारत के आर्थिक पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिये
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र –** अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि सृजन और वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये।
- **MSME इनोवेटिव स्कीम –** इन्क्यूबेशन और डिज़ाइन इंटरवेंशन के माध्यम से विचारों को नवोन्मेष में विकसित कर संपूर्ण मूल्य शृंखला को बढ़ावा देने के लिये

आगे की राह

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएँ:** सार्वजनिक निवेश बढ़ाने और 'पीपीपी' (Public-Private Partnership- PPP) परियोजनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
  - घाटकोपर और वर्सोवा के बीच मुंबई मेट्रो की पहली लाइन पीपीपी मॉडल पर बनाई गई थी।
- **अवसंरचनात्मक बाधा को दूर करना:** भौतिक अवसंरचना क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि की धीमी दर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को बाधित कर रही है। कोर सेक्टर में क्षमता वृद्धि और अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने से मध्यम अवधि और दीर्घावधि में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में तेज़ी आएगी।
- **भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का इष्टतम उपयोग:** कुल जनसंख्या में युवा कामकाजी आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ भारत अपनी चरम विनिर्माण क्षमता हासिल कर सकता है क्योंकि अगले दो-तीन दशकों में इसके जनसांख्यिकीय लाभांश और एक बड़े कार्यबल से इसे लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।
- **'अनुसंधान और विकास' में सुधार लाना:** औद्योगिक अनुसंधान और विकास को सामान्य रूप से और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र-विशेष के लिये सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि औद्योगिक क्षेत्र अधिक मांग-प्रेरित हो सके।
- **वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता:** भारत का विनिर्माण उद्योग 'उद्योग 4.0' की दिशा में पहले ही आगे बढ़ रहा है जहाँ हर डेटा पॉइंट को संयुक्त किया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा।
  - इंजीनियरों की बड़ी संख्या, युवा श्रम शक्ति और कम मज़दूरी (चीन से लगभग आधी) भारत को एक 'ग्लोबल पावरहाउस' बनने के लिये सुदृढ़ करती है।
- **औद्योगिक नीति में सुधार:** मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि तक दोहरे अंकों की उत्पादन वृद्धि को बनाए रखने और मुख्य क्षेत्र की कमज़ोरियों को कम करने के लिये एक प्रभावी औद्योगिक नीति ढाँचा तैयार करने की आवश्यकता है ताकि बहुआयामी सुधारों के एक और दौर की शुरुआत हो।

कृषि का नारीकरण

संदर्भ

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 33.7% ग्रामीण पुरुष रोज़गार और बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में पलायन या प्रवास करते हैं। ग्रामीण पुरुषों के बढ़ते प्रवास ने कृषि क्षेत्र के 'नारीकरण' (feminization of agriculture), यानी कृषि गतिविधियों में महिलाओं की वृहत संलग्नता एवं भागीदारी, का परिदृश्य उत्पन्न किया है, जहाँ कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।

इस बदलते परिदृश्य को संबोधित करने के लिये महिलाओं को भारत की नीतिगत पहल के केंद्र में रखना आवश्यक हो गया है।

भारतीय कृषि के नारीकरण के प्रमुख कारण

- **कार्य का लिंग-विभाजन:** निम्न भुगतान-प्राप्त अनियमित कार्य स्वीकार करने के प्रति महिलाएँ अधिक इच्छुक होती हैं, उन्हें कार्य पर लगाना और हटाना आसान है, उन्हें अधिक नियंत्रणाधीन एवं मेहनती माना जाता है तथा कुछ कार्यों को महिला कार्य के रूप में जाना जाता है।
- **सामाजिक गतिशीलता और प्रवासन (पुरुषों के लिये आरक्षित):** पुरुषों को आम तौर पर परिवार का अर्जक माना जाता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा के अधिक अवसर मिलते हैं और शारीरिक श्रम के लिये उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
  - नतीजतन, भारतीय ग्रामीण इलाकों में बेहतर नौकरियों की तलाश में पुरुषों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन और स्थानांतरण की अधिक संभावना होती है, जबकि महिलाएँ मुख्य रूप से घरेलू कार्यों और कृषि संबंधी कार्यों की ज़िम्मेदारी उठाती हैं।
- **गरीबी:** गरीबी के कारण महिलाएँ प्राय: खेतिहर मज़दूर या घरेलू श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं ताकि परिवार की आय में अपना योगदान दे सकें।

कृषि के नारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव

- **कार्य अधिभार:** पितृसत्तात्मक सामाजिक भूमिकाओं के अनुरूप महिलाएँ प्रजनन और पारिवारिक देखभाल कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं। पुरुषों के पलायन के साथ महिलाओं को कृषि कार्यों की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है।

- इसका अर्थ है कि उन्हें अब अपने परिवार की देखभाल करने के साथ-साथ खेतिहर मज़दूर के रूप में भी कार्य करना होगा।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक अलगाव:** जो महिलाएँ परिवार के पुरुषों के प्रवास के बाद परिवार के पोषण के लिये पारंपरिक पुरुष भूमिकाएँ निभाती हैं, उन्हें प्राय: समुदायों में तिरस्कृत किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि वे सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं।
- **बच्चों के पालन-पोषण के लिये अपर्याप्त समय:** काम के अधिक बोझ के कारण महिलाएँ अपने बच्चों के लिये अपर्याप्त समय निकाल पाती हैं। पुरुष प्रवास से प्राप्त आर्थिक लाभ के बावजूद, माता-पिता की अनुपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से देखभाल और देखरेख में कमी ला सकती है, जो बच्चों के पालन-पोषण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ:** पुरुष प्रवास के कारण पति-पत्नी अलगाव, साहचर्य की कमी और घरेलू ज़िम्मेदारियों में वृद्धि से प्रवासी श्रमिकों की पीछे छूटी महिला जीवनसाथी में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **मान्यता और स्वामित्व से वंचित:** महिलाएँ घर में और खेत में, दोनों ही स्तरों पर कार्य का प्रबंधन करती हैं, जिसमें पशुधन की देखरेख करना और बाज़ार में दूध एवं अन्य उत्पाद बेचना भी शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके योगदान और भूमिकाओं को कभी भी पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी जाती है और भूमि के स्वामित्व के मामले में वे हाशिए पर बनी रही हैं।

प्राकृतिक खेती में महिलाओं की भागीदारी कैसे समग्र लाभ की स्थिति बन सकती है?

- प्राकृतिक खेती (Natural Farming) प्राकृतिक आदानों (इनपुट्स) के माध्यम से प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं पर आधारित विधियों का उपयोग करती है। यह आदानों की खरीद पर किसानों की निर्भरता को न्यूनतम करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करने, पारिस्थितिक लाभ प्रदान करने और पोषक खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने का एक आशाजनक उपाय है।
- **महिला सशक्तीकरण:** प्राकृतिक खेती की पहलों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी आय में वृद्धि हो सकती है जबकि निर्णय ले सकने की उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। यह परिवार के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
  - विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि प्राथमिक उत्पादक के रूप में कृषि संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण और उनके पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक अभिलक्षणों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है।
- **प्रभावशील प्राकृतिक खेती:** चूँकि महिलाएँ ही अधिकांशत: अपने परिवार के लिये खाना बनाती हैं, इसलिये वे अपने बच्चों के पोषण हेतु प्राकृतिक उत्पादों के महत्त्व को भलीभांति समझती हैं। परिणामस्वरूप महिलाएँ पुरुषों की तुलना में प्राकृतिक खेती को अपनाने हेतु अधिक प्रवृत्त होंगी।
  - महिलाओं ने पारिस्थितिक अभ्यासों (जैसे पारंपरिक बीजों का संरक्षण, प्राकृतिक उर्वरक तैयार करना और दैनिक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विविध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग) के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन और संवहनीय कृषि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - प्राकृतिक खेती में उनकी संलग्नता एवं भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे पारिस्थितिक अभ्यास संवहनीय और वृद्धिकारी बने रहें, यह आर्थिक लाभ एवं समता (इक्विटी) को बढ़ावा देगी और देश के सतत विकास एजेंडे को सहयोग देगी।
- **उदाहरण:** आंध्र प्रदेश समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती (Andhra Pradesh Community-Managed Natural Farming- APCNF)
  - APCNF ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के मौजूदा संस्थागत मंच का उपयोग कर सामाजिक जुड़ाव, सामूहिक कार्रवाई, सामुदायिक शिक्षा और सामुदायिक विपणन में महिलाओं को संलग्न किया है, जो प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम का विस्तार करने, उन्हें सतत बनाए रखने और उन्हें गहन करने में सहायक हैं।
    - इस आंदोलन ने महिलाओं को अपने घरेलू पोषण स्तर एवं आय में सुधार लाने में भी मदद की है और उन्हें अपने गाँव में अपने अभिकर्तृत्व (एजेंसी) के निर्माण के लिये सशक्त किया है।

आगे की राह

- **सामाजिक सुरक्षा:** यह सुनिश्चित करने के लिये एक सामाजिक सुरक्षा आवरण आवश्यक है कि महिलाओं के पास कार्य प्रबंधन के साथ-साथ घरेलू ज़िम्मेदारियों, बच्चों के पालन-पोषण और वित्तीय बोझ से निपटने के लिये एक सुदृढ़ समर्थन प्रणाली मौजूद है।
- **महिलाओं के लिये कृषि भूमि स्वामित्व:** कृषि भूमि स्वामित्व के साथ महिलाओं को कृषकों के रूप में चिह्नित करने की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है ताकि वे केवल खेतिहर मज़दूर भर होने के बजाय विभिन्न योजनाओं और लाभों की पात्रता प्राप्त कर सकें।

नोट :

- कृषि जनगणना (2015-16) के अनुसार कृषि कार्यों में संलग्न 73.2% ग्रामीण महिलाओं में से केवल 12.8% को ही भूमि स्वामित्व प्राप्त था।

- **महिलाओं के योगदान को चिह्नित करना:** कृषि क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति और योगदान को चिह्नित करने के लिये कृषि नीति कार्यान्वयन में समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त, महिलाओं पर लक्षित बेहतर विस्तार सेवाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं।
- **'जेंडर बजटिंग':** विधान, कार्यक्रमों एवं योजनाओं, संसाधनों का आवंटन आदि का लैंगिक रूप से संवेदनशील सूत्रीकरण 'जेंडर मेनस्ट्रीमिंग' प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ पुरुषों की तरह महिलाओं तक भी पहुँचे।
- **योजना चरण में स्थानीय महिलाओं को शामिल करना:** भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मुख्यधारात्मक बनाने के लिये आगामी विकास परियोजनाओं और कार्य योजनाओं में महिलाओं को इसके योजना चरणों में शामिल किया जाना चाहिये।
  - खेती कार्यों से संलग्न महिलाएँ अपने गाँव के भूगोल एवं भूमि स्थलाकृति के बारे में अधिक जागरूक हैं और यह योजना को एक समतापूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण भी प्रदान कर सकता है।

महिला सशक्तीकरण और कृषि से संबंधित सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय महिला किसान दिवस
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)

गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता की तरफ

संदर्भ

भारतीय स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक दो दशकों में जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शीत युद्ध (US-USSR) के गहन प्रभाव में थी और उसकी दशा-दिशा तय कर रही थी, भारत की विदेश नीति वृहत रूप से 'गुटनिरपेक्षता की नीति' से प्रेरित थी जो बाद में वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Alignment Movement-NAM) के रूप में एक पूर्ण आंदोलन और विचार मंच बनकर उभरी।

- लेकिन आज भारत गुटनिरपेक्षता के बजाय एक बहुपक्षीयता या बहु-संरेखण (Multi-alignment) की राह पर कुशलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है जहाँ एक ओर वह चीन या रूस के नेतृत्व वाले ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का सदस्य है तो दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व वाले चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल है।
- बहु-संलग्नता की इस व्यवहार्यता को समझने के लिये हमें पहले इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हुए गुटनिरपेक्षता के दृष्टिकोण पर विचार करना होगा।

भारत में गुटनिरपेक्षता का इतिहास

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का आरंभ औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था जब शीत युद्ध भी अपने चरम पर था।
- वर्ष 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पंद्रहवें साधारण सत्र में गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलन का जन्म हुआ जिसके परिणामस्वरूप 17 नए अफ्रीकी और एशियाई सदस्य देशों को प्रवेश मिला।
  - तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 'गुटनिरपेक्षता' या शीत युद्ध में संलग्न दो महाशक्तियों से 'तीसरी दुनिया' की एकसमान दूरी की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया। इन अवधारणाओं पर आगे बढ़ते हुए वर्ष 1955 में 'बांडुंग सम्मेलन' (Bandung Conference) का आयोजन किया गया।
    - गुटनिरपेक्ष देशों के प्राथमिक उद्देश्य आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन करने तथा बहुपक्षीय सैन्य समझौतों के गैर-अनुपालन पर केंद्रित थे।
- 1980 के दशक के अंत तक पहुँचते समाजवादी ब्लॉक के पतन के साथ इस आंदोलन को वृहत चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। दो विरोधी गुटों के बीच संघर्ष (जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व, नाम और मूल भावना का कारण था) के अंत के साथ ही माना जाने लगा कि अब इस आंदोलन के अंत का आरंभ भी हो चुका है।

भारत का नया बहुपक्षीय दृष्टिकोण क्या है?

- **बहु-संरेखण:** यह समानांतर संबंधों की एक श्रृंखला है जो बहुपक्षीय साझेदारी को सुदृढ़ करती है और सुरक्षा, आर्थिक समता और आतंकवाद जैसे अस्तित्वकारी खतरों के उन्मूलन के लिये समूह के बीच एक साझा दृष्टिकोण की तलाश करती है। नीचे

कुछ समूहों/मंचों के विवरण हैं जहाँ भारत का बहुपक्षीय या बहु-संरेखीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से नज़र आता है:

- **इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC):** यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें सड़क, रेल और समुद्री मार्ग शामिल हैं। यह सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) को मुंबई से जोड़ता है।
  - इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को यूरेशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में रूस, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ सहयोग करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - INSTC के पूर्णत: कार्यान्वित होने पर स्वेज नहर के डीप-सी मार्ग की तुलना में माल ढुलाई लागत में 30% और यात्रा के समय में 40% की कमी आने की उम्मीद है।
- **ब्रिक्स:** ब्रिक्स (BRICS) विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं—ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये संक्षिप्त शब्द है। यह समूह एक सुनियोजित तंत्र के माध्यम से लोगों के आपसी संपर्क में वृद्धि सहित आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का लक्ष्य रखता है।
  - न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सह-स्थापना में भारत की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह एक नई बहुपक्षीय पहल है जो विश्व बैंक को प्रतिस्पर्द्धा दे सकती है।
- **शंघाई सहयोग संगठन (SCO):** SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
  - **सदस्यता:** कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
  - ईरान और बेलारूस इसके दो नए सदस्य होंगे।
  - SCO के माध्यम से चीन और रूस पश्चिम का, विशेष रूप से नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के विस्तार का मुक़ाबला करना चाहते हैं।
- **चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue- Quad):** यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक संवाद मंच है जो 'मुक्त, खुले और समृद्ध' हिंद-प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देने और चीन के प्रभाव को नियंत्रित रखने का साझा उद्देश्य रखता है।

भारत की वर्तमान विदेश नीति

- **सम्मान:** प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान
- **संवाद:** सभी देशों के साथ वृहत संलग्नता।
- **सुरक्षा:** भारत एक ज़िम्मेदार शक्ति है, यह आक्रामकता या विदेश नीति में दुस्साहसिकता आजमाने की कोई भावना नहीं रखता है
- **समृद्धि:** साझा समृद्धि
- **संस्कृति और सभ्यता:** सांस्कृतिक मूल्यों की प्रेरक अभिगम्यता एक ऐसे दर्शन में निहित है जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' में विश्वास करता है।

भारत की विदेश नीति के लिये समकालीन चुनौतियाँ

- **रूस-चीन धुरी का उभार:** रूस की अपनी परिधि क्षेत्र के मामलों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा, क्रीमिया के विलय के बाद उस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उसे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर धकेल दिया है जो निश्चित रूप से भारत में उसकी रुचि को कम कर सकता है।
- **भारत का आत्मारोपित अलगाव:** वर्तमान में भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे बहु-देशीय निकायों से अलग-थलग बना हुआ है। इसके अलावा, भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर रहने का विकल्प चुना है।
  - वैश्विक शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के साथ यह आत्मारोपित अलगाव (Self-Imposed Isolation) संगत नहीं है।
- **पड़ोसी देशों के साथ कमज़ोर होते संबंध:** भारतीय विदेश नीति के लिये एक अधिक चिंताजनक विषय पड़ोसी देशों के साथ कमज़ोर होते संबंध हैं। इसे श्रीलंका एवं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में चीन की 'चेक बुक डिप्लोमेसी', राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ तनाव और नेपाल के साथ सीमा विवाद जैसे उदाहरणों में देखा जा सकता है।
  - इस परिदृश्य में भारत देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सुरक्षा पर भारी निवेश करने के लिये विवश है।

आगे की राह

- **पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करना:** भारत को बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधार की दिशा में साहसिक प्रयास करने चाहिये।
  - इस संदर्भ में भारत पड़ोसी देशों के प्रति अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत 'वैक्सीन डिप्लोमेसी' (जिसके तहत वर्ष 2021 में पड़ोसी देशों को मुफ़्त में या मामूली कीमत पर वैक्सीन की आपूर्ति की गई थी) जैसी अन्य कूटनीतिक नीतियों को आगे बढ़ा सकता है।

- **भू-राजनीति से परे जाकर देखना:** सीमापारीय डिजिटल दिग्गजों की नियामक निगरानी, बिग डेटा प्रबंधन, व्यापार संबंधी मुद्दों और आपदा राहत जैसे विषयों को संबोधित करने के लिये भू-राजनीतिक सीमाओं के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे जाकर भारत की विदेश नीति एजेंडे के फोकस का विस्तार करना अनिवार्य है।
- **वर्ष 2023 में G20:** वर्ष 2023 में G20 की भारत द्वारा अध्यक्षता उसे भू-राजनीतिक हितों के साथ भू-आर्थिक विषयों को संलग्न करने का अवसर देगी। अभी तक भारत ने एक वैश्विक शक्ति बनने की महत्त्वाकांक्षा रखने वाली एक उभरती हुई शक्ति होने की भूमिका निभाई है। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत को विश्व के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट और सक्रिय होने की अनुमति देगा।

निष्कर्ष

- इस प्रकार, एक ऐसा बहु-संरेखीय दृष्टिकोण जो गुटनिरपेक्षता के कुछ प्रमुख मूल्यों को संरक्षित रखता हो, भारत के हितों के और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की ओर आगे बढ़ने के उसके दृष्टिकोण के अनुकूल होगा।

ताइवान पर अमेरिका-चीन में संघर्ष

संदर्भ

अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हाल की ताइवान यात्रा को चीन ने पसंद नहीं किया है। इसने दो शक्तिशाली देशों- चीन और अमेरिका के बीच तीव्र तनाव पैदा कर दिया है क्योंकि चीन ताइवान को अपने एक पृथकतावादी प्रांत (Breakaway Province) के रूप में देखता है।

- ताइवान, जो स्वयं को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, पर लंबे समय से चीन द्वारा इसपर दावा किया जाता रहा है। लेकिन ताइवान अमेरिका को अपने सबसे बड़े सहयोगी के रूप में देखता है, जबकि वाशिंगटन ने एक विधान पारित कर रखा है जिसके अनुसार, ताइवान के आत्मरक्षा प्रयासों में अमेरिका उसकी सहायता करेगा।

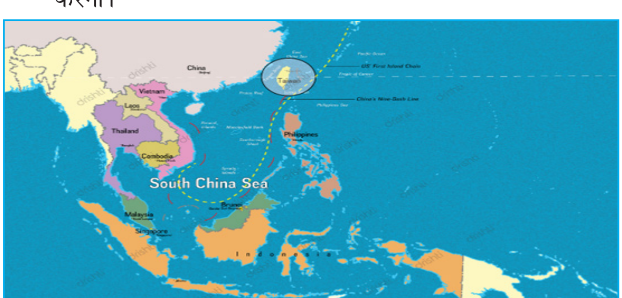

ताइवान पर अमेरिका-चीन टकराव

- ताइवान (आधिकारिक रूप से 'रिपब्लिक ऑफ चाइना') पूर्वी एशिया में अवस्थित एक देश है। यह उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के मिलन-बिंदु पर जापान और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा स्थल भाग है।

- ताइवान सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिये उल्लेखनीय है और सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वृहत रूप से ताइवान पर निर्भर है।
  - वर्ष 2021 में कुल वैश्विक सेमीकंडक्टर राजस्व में ताइवान के अनुबंध विनिर्माताओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक थी।
- वर्तमान में केवल 13 देश (और वेटिकन) ही ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं।

- **चीन के लिये प्रासंगिकता:** चीन और ताइवान की अर्थव्यवस्थाएँ अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2017 से 2022 के बीच 515 बिलियन डॉलर के निर्यात मूल्य के साथ चीन ताइवान का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है। चीन की तुलना में लगभग आधे निर्यात मूल्य के साथ अमेरिका इसका दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है।
  - ताइवान अन्य द्वीपों की तुलना में चीनी मुख्यभूमि के अधिक निकट है और वर्ष 1949 की चीनी क्रांति के दौरान राष्ट्रवादियों को वहाँ खदेड़ जाने के बाद से ही बीजिंग ताइवान पर दावा करता रहा है।
  - कुछ विश्लेषक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को चीन-ताइवान संघर्ष के संभावित उत्प्रेरक के रूप में देख रहे हैं।
- **अमेरिका के लिये प्रासंगिकता:** ताइवान में द्वीपों की एक श्रृंखला मौजूद है जिनमें से कई अमेरिका के सहयोगी हैं। अमेरिका चीन की विस्तारवादी योजनाओं का मुक़ाबला करने के लिये इन क्षेत्रों के उपयोग करने की योजना रखता है।
  - अमेरिका का ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन यह ताइवान संबंध अधिनियम (Taiwan Relations Act), 1979 के तहत ताइवान को स्वयं की रक्षा के लिये साधन प्रदान करने के लिये बाध्य है।
  - यह ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है और 'रणनीतिक अस्पष्टता' (strategic ambiguity) की एक नीति का पालन करता है।

प्रथम द्वीप श्रृंखला

- प्रथम द्वीप श्रृंखला (First Island Chain) में कुरील द्वीप, जापानी द्वीपसमूह, रयूकू द्वीप, ताइवान, उत्तर-पश्चिम फिलीपींस शामिल हैं और ये बोर्नियो में समाप्त होते हैं।
- यह श्रृंखला रक्षा की पहली पंक्ति भी है और पूर्वी चीन सागर एवं फिलीपीन सागर और दक्षिण चीन सागर एवं सुलु सागर के बीच समुद्री सीमाओं के रूप में कार्य करती है।
  - इस श्रृंखला में बाशी चैनल और मियाको जलडमरूमध्य स्थित हैं जो चीन के लिये महत्त्वपूर्ण चोकपॉइंट (Chokepoints) हैं।
- चीन की समुद्री रणनीति, या 'द्वीप श्रृंखला रणनीति' (Island Chain Strategy) 1940 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन और सोवियत संघ की समुद्री महत्त्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण के लिये तैयार की गई एक भौगोलिक सुरक्षा अवधारणा है।

ताइवान मुद्दे पर भारत का रुख

- **भारत-ताइवान संबंध:** भारत की 'एक्ट ईस्ट' विदेश नीति के एक अंग के रूप में भारत ने ताइवान के साथ व्यापार और निवेश के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय मुद्दों और लोगों के पारस्परिक संपर्क के क्षेत्र में गहन सहयोग विकसित करने का प्रयास किया है।
  - उदाहरण के लिये, नई दिल्ली में अवस्थित भारत-ताइपे एसोसिएशन (ITA) और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर (TECC)।
  - भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं लेकिन वर्ष 1995 के बाद से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बनाए रखा है जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं।
- **भारत का रुख:**
  - वर्ष 1949 से भारत 'एक चीन' ('One China') की नीति को स्वीकार करता रहा है जो ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देती है।
  - हालाँकि, भारत एक कूटनीतिक तर्क के लिये इस नीति का उपयोग करता रहा है, अर्थात यदि भारत 'एक चीन' की नीति में विश्वास करता है तो चीन को भी 'एक भारत' की नीति पर अमल करना चाहिये।
  - हालाँकि भारत ने वर्ष 2010 से संयुक्त वक्तव्यों और आधिकारिक दस्तावेजों में 'एक चीन' नीति के पालन का उल्लेख करना बंद कर दिया है, लेकिन चीन के साथ संबंधों के ढाँचे के कारण ताइवान के साथ उसकी संलग्नता अभी भी सीमित रही है।

'एक चीन' सिद्धांत और 'एक चीन' नीति

- क्रॉस-ताइवान स्ट्रेट की समस्याओं को समझने के लिये 'एक चीन' सिद्धांत और 'एक चीन' नीति के बीच का अंतर समझना महत्त्वपूर्ण है।
- पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) 'एक चीन' के सिद्धांत का पालन करता है, जो ताइवान को चीन के एक अविभाज्य अंग के रूप में देखता है, जिसकी एकमात्र वैध सरकार बीजिंग में स्थापित है।

नोट :

- अमेरिका इस सिद्धांत की स्थिति को स्वीकार करता है लेकिन आवश्यक रूप से इसकी वैधता की पुष्टि नहीं करता।
- इसके बजाय अमेरिका 'एक चीन' की नीति का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एकमात्र चीन था और है, और यह एक अलग संप्रभु इकाई के रूप में रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC, ताइवान) को मान्यता नहीं देता।
    - लेकिन इसके साथ ही, अमेरिका ने ताइवान पर चीनी संप्रभुता को मान्यता देने की PRC की मांगों को भी स्वीकार नहीं किया।

आगे की राह

- चीन की अर्थव्यवस्था रूस की अर्थव्यवस्था की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक गहनता से जुड़ी हुई है। इस स्थिति में चीन यदि ताइवान पर आक्रमक कार्रवाई की इच्छा रखता है तो उसे बेहद सतर्कता से इस कोण पर विचार करना होगा, विशेष रूप से जबकि यूक्रेन संकट अभी भी जारी है।
- अंततः ताइवान का मुद्दा केवल एक सफल लोकतंत्र के विनाश की अनुमति देने के नैतिक प्रश्न से संबद्ध नहीं है अथवा यह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़ा प्रश्न भर नहीं है। ताइवान पर चीन का आक्रमण किसी भी स्थिति में एशिया के समीकरण को बदल देने की क्षमता रखता है।
- इसके अलावा, भारत 'एक चीन' की नीति पर पुनर्विचार कर सकता है और ताइवान के साथ संबंधों को मुख्यभूमि चीन के साथ अपने संबंधों से अलग खाँचे में रख सकता है, जिस प्रकार चीन 'एक भारत' की नीति पर अमल नहीं करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर (जिसे भारत अपना अंग मानता है) में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के रूप में अपनी महत्त्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ा रहा है।

राजनीति में फ्रीबीज़ (मुफ्त उपहार)

भारत में राजनीतिक दल भारतीय मतदाताओं को विभिन्न पेशकशों के माध्यम से लुभाने की होड़ में रहते हैं जिन्हें मुफ्त उपहार या फ्रीबीज़ (Freebies) के रूप में जाना जाता है। हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है जहाँ राजनीतिक दल मतदाताओं के लिये ऐसी पेशकशों के नए-नए तरीके आजमा रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक मुफ्त पानी और बिजली अब चुनावी उपहार के रूप में पर्याप्त नहीं रह गए हैं। फ्रीबीज़ के इर्द-गिर्द उभरा यह राजनीतिक संवाद कई खतरे रखता है क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। चुनाव से पहले के ऐसे अव्यवहार्य वायदे मतदाताओं द्वारा सूचित निर्णय ले सकने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इस परिदृश्य में 'फ्रीबीज़ कल्चर' की अभिकल्पना, निष्पादन और जवाबदेही में व्याप्त अंतराल को दूर करने की आवश्यकता महसूस होती है।

भारत में फ्रीबीज़ का सकारात्मक पक्ष:

- **कल्याणकारी योजनाओं का आधार:** फ्रीबीज़ में केवल चुनाव-पूर्व के अव्यवहार्य वादे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कई सेवाएँ भी शामिल हैं जो सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) के तहत नागरिकों को प्रदान करती है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मुफ्त कोविड वैक्सीन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।
    - मध्याह्न भोजन योजना ('Mid-day Meal Scheme') पहली बार वर्ष 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज द्वारा फ्रीबीज़ के रूप में ही शुरू की गई थी, जिसे फिर एक दशक बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपना लिया गया।
    - एनटी रामाराव द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 रुपए प्रति किलोग्राम चावल का वादा वर्तमान में कार्यान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का मूल आधार है।
    - तेलंगाना की रायथू बंधु और ओडिशा की कालिया योजना 'किसान सम्मान निधि' की अग्रदूत है।
- **निम्न वर्ग का उत्थान:** चूँकि तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों में गरीब आबादी का प्रतिशत अधिक है, इन राज्यों में निचले तबके के उत्थान के लिये फ्रीबीज़ अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं।

फ्रीबीज़ के नकारात्मक प्रभाव:

- **सार्वजनिक व्यय का अपवाह:** अधिकांश मामलों में फ्रीबीज़ अंततः सार्वजनिक व्यय के अत्यधिक और अनावश्यक अपवाह या निकासी का कारण बनते हैं और राज्यों के आर्थिक बोझ को बढ़ाते हैं, जबकि अधिकांश भारतीय राज्य पहले ही खराब वित्तीय स्थिति से प्रभावित हैं और उनके पास सीमित राजस्व संसाधन ही मौजूद हैं।
- **किसी के लिये उपहार, किसी के लिये आपदा:** उपभोक्ता लाभार्थियों के लिये कीमतों को कम करने के परिणामस्वरूप सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुबंधों को अधिभारित करती है ताकि आंतरिक वित्तीय संतुलन बनाए रख सके। इसके परिणामस्वरूप उभरते उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है, जिससे सुस्त औद्योगिक वृद्धि और वाणिज्यिक मूल्य वृद्धि की स्थिति बनती है।

नोट :

- इसलिये प्रश्न यह नहीं है कि लाभार्थियों के लिये फ्रीबीज़ कितने सस्ते हैं, बल्कि यह है कि दीर्घावधि में वे अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिये कितने महंगे साबित हो सकते हैं।
- **राजकोषीय घाटे की वृद्धि:** सब्सिडी और फ्रीबीज़ सरकारी राजस्व पर दबाव बनाते हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है।
- **मतदाताओं के सूचित निर्णयन का विकृत होना:** चुनाव अभियानों के दौरान विवेकहीन फ्रीबीज़ की पेशकश और वितरण के रूप में अनियंत्रित लोकलुभावनवाद प्राय: मतदाताओं (विशेष रूप से वंचित वर्ग के मतदाताओं) के मन में पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, क्योंकि वे फ्रीबीज़ के लोभ में बह जाते हैं और इससे अपना प्रतिनिधि चुनने की उनकी सूचित निर्णय क्षमता प्रभावित होती है।
- **अस्थायी प्रकृति:** ये फ्रीबीज़ कई बार पहले सार्वभौमिक, फिर वैकल्पिक, फिर अधिभार के रूप में नकारात्मक संक्रमण से गुजरते हैं, जहाँ ये पेशकश केवल तब तक मान्य होते हैं जब तक कि मौजूदा सरकार वित्तीय बाधाओं का सामना नहीं करने लगते और इन लाभों को वापस लेने के लिये विवश नहीं हो जाते।
- **निजी वस्तु-आधारित फ्रीबीज़:** निजी वस्तुओं और सेवाओं (Private Goods and Services) पर फ्रीबीज़ कोई वास्तविक सामाजिक लाभ उत्पन्न नहीं करते।
  - उदाहरण के लिये, बिजली का मुफ्त वितरण कोई सामूहिक सामाजिक लाभ प्रदान नहीं करता है, इसलिये इसे निजी वस्तु के रूप में देखा जा सकता है।

सार्वजनिक वस्तुएँ बनाम मेरिट वस्तुएँ बनाम निजी वस्तुएँ

अर्थशास्त्र में उत्पाद या सेवाएँ तीन प्रकार की होती हैं:

- **सार्वजनिक वस्तुएँ (Public Goods):** ये उपभोग में गैर-अपवर्जित (Non-Excludable) और गैर-प्रतिद्वंद्वी (Non-Rival) होते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा, खाद्य नियंत्रण प्रणाली, रेलवे, राजमार्ग और कोविड पर सूचना आदि।
  - ऐसी सेवाओं का स्वामित्व व्यक्तियों के पास होना कठिन है, भले ही वे इनके लिये भुगतान करने को तैयार हों और ये आवश्यक रूप से सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- **'मेरिट' वस्तुएँ (Merit Goods):** शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत 'मेरिट' वस्तुएँ बाज़ार के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण सेवा, आवास, अग्नि सुरक्षा, अपशिष्ट संग्रह, सार्वजनिक पार्क आदि।
  - ये व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं और वृहत समाज को कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, कोई व्यक्ति ऐसा मास्क खरीद सकता है जो कोविड को दूसरे व्यक्तियों में फैलने से रोकेगा और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देगा। इसलिये सरकार द्वारा मास्क का मुफ्त वितरण करना न्यायोचित है।
- **निजी वस्तुएँ (Private Goods):** ऐसा उत्पाद या सेवा जो एक निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय द्वारा उत्पादित होता है और खरीदार की उपयोगिता या संतुष्टि को बढ़ाने के लिये खरीदा जाता है।
  - बाज़ार अर्थव्यवस्था (Market Economy) में उपभोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ निजी वस्तुएँ ही हैं और उनकी कीमतें कुछ हद तक आपूर्ति और मांग की बाज़ार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
    - इन्हें व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है और ये व्यक्ति को ही सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं; इससे कोई वास्तविक सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- बिजली के मुफ्त या रियायती वितरण के साथ स्वच्छता आंदोलन की तुलना कर मेरिट और निजी वस्तुओं के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

आगे की राह

- **कल्याण और फ्रीबीज़ के बीच अंतर को समझना:** फ्रीबीज़ को आर्थिक दृष्टिकोण से और करदाताओं के पैसे के संबंध में समझा जाना चाहिये।
  - सब्सिडी और फ्रीबीज़ के बीच के अंतर को समझना भी आवश्यक हैं क्योंकि सब्सिडी न्यायसंगत हैं और विशेष रूप से लक्षित लाभ विशिष्ट मांगों की पूर्ति का उद्देश्य रखते हैं। फ्रीबीज़ इनसे अलग हैं जो राजनीतिक लाभ के लिये लोकलुभावन पर अधिक आश्रित हैं।
- **धन का तार्किक और निर्देशित उपयोग:** सरकारों और राज्यों में ज़रूरतमंदों की सहायता के लिये सब्सिडी कार्यक्रम के सृजन की क्षमता होनी चाहिये, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को बुनियादी सुविधाओं में अधिक निवेश करने के लिये एक स्पष्ट तर्क प्रदान करना चाहिये और राज्य के आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिये धन के उपयोग का स्पष्ट निर्देश होना चाहिये।
- **मतदाता जागरूकता:** लोकतंत्र में फ्रीबीज़ की प्रवृत्ति को अवरुद्ध करने या इसकी अनुमति देने की शक्ति मतदाताओं के पास होती है। तर्कहीन फ्रीबीज़ को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के बीच आम सहमति की आवश्यकता है कि मतदाता तर्कहीन वादों से प्रभावित न हों।

- इसके लिये मतदान वर्ग की ओर से शाश्वत सतर्कता की आवश्यकता है।

- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना:** सहकारी संघवाद (Cooperative federalism) केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का निर्माण करेगा ताकि वे राष्ट्रीय विकास एजेंडा की ओर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह तर्कहीन राजनीतिक एजेंडा की आवश्यकता को कम कर सकता है और राष्ट्र को समग्र रूप से सामूहिक विकास की ओर ले जा सकता है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप:** इस विषय पर संसद में एक रचनात्मक बहस और चर्चा कठिन है क्योंकि फ्रीबीज़ संस्कृति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक राजनीतिक दल पर प्रभाव रखती है। इसलिये उपायों का प्रस्ताव करने के लिये न्यायिक हस्तक्षेप और भागीदारी की आवश्यकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राजनीतिक दलों द्वारा दिये जाने वाले उपहारों को विनियमित करने के तरीके पर सिफारिशें देने के लिये एक शीर्ष प्राधिकरण के निर्माण की अनुशंसा की है।
- **ECI के आदर्श आचार संहिता को प्रबल करना:** भारत का निर्वाचन आयोग सूचित मतदाता व्यवहार के हेरफेर को रोकने के लिये चुनाव घोषणापत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित करने हेतु राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर विचार कर सकता है।
- **फ्रीबीज़ के बजाय कौशल विकास पर ध्यान देना:** किसी आदमी को मछली दी जाए तो वह एक दिन पेट भर सकेगा, लेकिन उसे मछली पकड़ना सीखा दिया जाए तो वह जीवन भर के लिये अपना पेट भरने में सक्षम हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से लोगों को फ्रीबीज़ देने के बजाय उन्हें उपयोगी कौशल प्रदान अधिक बेहतर होगा।
  - बुनियादी आवश्यकताओं के क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान करना सकारात्मक दृष्टिकोण है, जैसे छोटे बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा और स्कूलों में मुफ्त भोजन।
  - यदि राजनीतिक दल प्रभावी आर्थिक नीतियों की राह पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित आबादी तक बेहतर पहुँच हो तो आधारभूत संरचना और विकास अपना ध्यान स्वयं रख लेंगे और लोगों को इस तरह के फ्रीबीज़ की आवश्यकता नहीं होगी।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र

संदर्भ

अपनी विशाल चोटियों, भव्य भूदृश्यों, समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के साथ भारतीय हिमालयी क्षेत्र (Indian Himalayan Region- IHR) दीर्घकाल से भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया भर से आगंतुकों एवं तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है।

- इन गतिशीलताओं ने पर्यटन को सामाजिक आर्थिक विकास के प्रमुख चालक में बदल दिया है। स्थानीय पर्वतीय आबादी के लिये पर्यटन मूल्यवान आर्थिक एवं व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है और राज्य सरकारों एवं निजी उद्यमियों के लिये यह राजस्व और लाभ प्रदान करता है।
- लेकिन IHR में पर्यटन के वर्तमान प्रचलित मॉडल को पर्यावरणीय क्षति एवं प्रदूषण, सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के लिये खतरा, दुर्लभ संसाधनों के भारी दोहन और समाज में नकारात्मक बाह्यताओं के संभावित कारण के स्रोत के रूप में देखा जाता है।

भारत के लिये हिमालय का महत्त्व

- **नदियों का उद्गम:** प्रचुर मात्रा में वर्षा और विशाल हिम-क्षेत्रों के साथ-साथ हिमालय में मौजूद बड़े हिमनद भारत की विशाल नदियों के पोषण के आधार हैं।
  - हिमालय से नीचे उतरती ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं।
  - यह जलोढ़ उपजाऊ मृदा के रूप में उत्तर भारत के विशाल मैदान में जमा होती है, जिससे यह मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में से एक बनता है।
- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण:** देश की लगभग 33% तापीय बिजली और 52% जलविद्युत हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल पर ही निर्भर है।
  - ये नदियाँ अपने जल का एक बड़ा भाग हिमनदों के पिघलने से प्राप्त करती हैं, इस प्रकार ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं जल सुरक्षा आवश्यकताओं के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।
- **मानसून को सहयोग:** भारत की जलवायु में हिमालय अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी उच्च तुंगता, लंबाई एवं अवस्थिति के कारण वे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावी ढंग से रोकते हैं और वर्षा या बर्फ के रूप में वर्षण का कारण बनते हैं।

- इसके अलावा, वे मध्य एशिया की ठंडी महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकते हैं।

- **वन संपदा:** हिमालय पर्वतमाला वन संसाधनों से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ समुद्र तल से ऊँचाई के अनुरूप उष्णकटिबंधीय वनस्पति से अल्पाइन वनस्पति तक विविधतापूर्ण वनस्पति आवरण मौजूद है।
  - हिमालय के वन ईंधन लकड़ी और वन-आधारित उद्योगों के लिये विभिन्न तरह का कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, हिमालयी क्षेत्र में कई औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं।
- **पर्यटन:** इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और स्वस्थ वातावरण के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है।
- हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र ठंडी और आरामदायक जलवायु प्रदान करते हैं जब पड़ोस के मैदानी इलाके भीषण गर्मी की चपेट में होते हैं।

भारत में हिमालय से संबद्ध चुनौतियाँ

- **उपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव:** हिमालय क्षेत्र के शहर बड़े होते जा रहे हैं और मैदानी शहरों की ही तरह कचरे एवं प्लास्टिक के बड़े ढेर, अनुपचारित सीवेज, अनियोजित शहरी विकास और यहाँ तक कि वाहनों के कारण स्थानीय वायु प्रदूषण की स्थिति का सामना करने लगे हैं।
  - अधिकांश पहाड़ी गाँवों में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान के लिये कोई स्थानीय, विकेंद्रीकृत सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिये वे या तो इन्हें जलाते हैं या ढलान की ओर फेंक देते हैं।
- **असंवहनीय पर्यटन (Unsustainable Tourism):** दुर्भाग्य से हमारे पहाड़ों को केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इस बात की अनदेखी की जाती है कि एक बिंदु से अधिक संसाधनों का दोहन विनाशकारी सिद्ध हो सकता है।
  - उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों का अपनी एक सूक्ष्म-जलवायु (Micro climate) होती है। इसके अद्वितीय जीवों और वनस्पतियों की एक संक्षिप्त प्रजनन समय-सीमा होती है और ये किसी भी हस्तक्षेप या परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। असंवहनीय पर्यटन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण हिम और बर्फ के पिघलने से नई हिमनद झीलें बनती हैं, साथ ही मौजूदा झीलों के जलस्तर में वृद्धि होती है। इससे हिमनद-झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (Glacial-lake outburst floods) का खतरा बढ़ सकता है।
  - हिमालय क्षेत्र में लगभग 8,800 हिमनद झीलें हैं जो कई राष्ट्रों में विस्तृत हैं। इनमें से 200 से अधिक झीलों को खतरनाक या संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **दोषपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएँ:** जलविद्युत का विकास महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह देश को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत प्रदान करता है और राज्य के लिये राजस्व का स्रोत है।
  - लेकिन यह भी प्रकट है कि जलविद्युत परियोजनाओं की बढ़ती संख्या और बदतर निर्माण के कारण बाढ़ का खतरा एवं प्रभाव और बढ़ गया है।

चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना

- चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना एक केंद्रीय राजमार्ग विस्तार परियोजना है जिसकी परिकल्पना वर्ष 2016 में की गई थी। इसके तहत उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थस्थलों- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को शामिल करते हुए चार धाम सर्किट में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 889 किलोमीटर पहाड़ी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है।
- यद्यपि परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक रूप से चार धाम यात्रा को सुविधाजनक बनाना और और पर्यटन को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका एक रणनीतिक कोण भी है क्योंकि ये राजमार्ग चीन सीमा के निकट के क्षेत्रों तक सैन्य दलों की आवाजाही को भी सुगम करेंगे।
- यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि बार-बार जाम लगने, भूस्खलन एवं ढलान के ढहने के लिये प्रवण चौड़ी सड़क के बजाय आपदा-रोधी सड़क अधिक उपयोगी होगी, इसलिये हिमालयी राजमार्गों के लिये एक मध्यम चौड़ाई ही रखी जानी चाहिये जो तीर्थयात्रा के साथ-साथ देश की रक्षा आवश्यकताओं के लिये अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा।

आगे की राह

- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment):** राज्य को पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिये, लेकिन लक्ष्य उत्तरदायी पर्यटन हो, जिसका अभिप्राय यह है कि नए पर्यटन क्षेत्रों को खोले जाने से पहले इस तरह के प्रयासों का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाए।
- **अखिल-हिमालयी रणनीति:** एक अखिल-हिमालयी रणनीति (Pan-Himalayan Strategy) पर विचार करने की ज़रूरत है ताकि राज्य साझा नीतियाँ विकसित कर सकें और मानदंडों के पतन की स्थिति से बचें।
  - इन रणनीतियों में वन, जल, जैव विविधता, जैविक एवं विशिष्ट खाद्य पदार्थ, प्रकृति पर्यटन सहित भूभाग के प्राकृतिक संसाधनों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये, साथ ही विशिष्ट खतरों को संबोधित करना चाहिये ताकि विकास पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं बने।

- सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem) इस दिशा में स्वागतयोग्य कदम है।

- **संवहनीय अवसंरचना परियोजनाएँ:** हिमालयी क्षेत्र के शहरों के बिल्डिंग डिज़ाइन में भूकंपीय नाजुकता और सुंदरता को शामिल करते हुए स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये। अप्रबंधित और अनियंत्रित शहरी विकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसके लिये इन शहरों में सुदृढ़ नियामक संस्थाओं की आवश्यकता होगी।
  - इसके साथ ही, ऊर्जा उत्पादन के लिये उपलब्ध जल के उपयोग को अधिकतम करने के लिये संवहनीय जलविद्युत परियोजनाएँ तैयार की जानी चाहिये।
  - नदियों का रूप-परिवर्तन या रि-इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती (न ही ऐसा किया जाना चाहिये), लेकिन उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग के लिये बांधों की रि-इंजीनियरिंग की जा सकती है।
  - परस्पर-संबद्ध ग्रिड के माध्यम से स्थानीय लोगों को भी परियोजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना चाहिये।
- **नीतियों का पुनरीक्षण:** पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि अभ्यासों पर विचार कर हिमालयी राज्यों में वन मूल्य में सुधार के लिये एक साझा नीति विकसित की जानी चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, सिक्किम ने जैविक इलायची की फसल को बढ़ावा दिया है, लेकिन पाया है कि वन कानून वन भूमियों पर इस तरह की खेती का लाभ लेने की अनुमति नहीं देते हैं, जबकि वनों को कोई भी क्षति पहुँचाए बिना इस खेती का अभ्यास किया जाता है।
- **संवहनीय पर्यटन (Sustainable Tourism):** इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास को संवहनीय तरीके से प्राप्त करने के लिये उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाना जो जैव विविधता पर न्यूनतम प्रभाव डालने के साथ ही स्थानीय समुदाय के लिये संवहनीय आजीविका विकल्प प्रदान करे।
  - वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ से मिले सबक को याद रखना चाहिये कि संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में तीर्थयात्री-आधारित पर्यटन के विकास हेतु संवहनीय मॉडल को अपनाया जाना आवश्यक है।
  - पारिस्थितिक पर्यटन की दिशा में कदम को सावधानीपूर्वक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि सर्वोत्तम अभ्यासों को सीखा जा सके और उनका प्रसार किया जा सके।
- **सतर्कता और नियमित गश्त:** हिमालयी भूभाग के संरक्षित क्षेत्रों, जैसे लद्दाख के हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और काराकोरम अभयारण्य में अवांछित वन्यजीव-पर्यटक संपर्क को कम करने के साथ-साथ ऑफ-रोड ड्राइविंग एवं अतिक्रमण के कारण पर्यावास विनाश को कम करने के लिये सतर्कता और नियमित गश्त की आवश्यकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** हिमालय क्षेत्र के देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण करने की आवश्यकता है जो विभिन्न जोखिमों (जैसे हिमनद झीलों से उत्पन्न खतरे) की निगरानी करे और आसन्न खतरों के लिये पूर्व-चेतावनी दे। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर क्षेत्र में पिछले दशक में स्थापित सुनामी चेतावनी प्रणालियों ने इसके खतरे को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिमालय क्षेत्र में पूर्व-चेतावनी प्रणालियों की स्थापना ऐसी ही भूमिका निभा सकती हैं।

नील-हरित अवसंरचना

शहरीकरण (Urbanisation) विकास से गहन रूप से संबद्ध है और प्राय: आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में कार्य करता है। भारत ग्रामीण समाज से शहरी समाज में संक्रमण के कगार पर है, इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना अच्छी स्थिति में हो।

- शहर सजीवों की तरह हैं। हमारे शहर देश के मात्र 3% भूमि पर स्थित हैं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनका योगदान लगभग 65% है।
- शहरों का जलवायु परिवर्तन में भी अहम योगदान है। शहरीकरण प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से व्यवस्थित, विनियमित और उनकी निगरानी कर सकने की असमर्थता इस वृहत पर्यावरणीय क्षति के लिये उत्तरदायी है।
- पारंपरिक अवसंरचना अभ्यासों के बदले एक गहन, विवेकपूर्ण योजना-निर्माण और प्रकृति-संचालित समाधान पाना समय की मांग है जहाँ नील-हरित अवसंरचना (Blue-Green Infrastructure) का उपयोग किया जाए।

'ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर'

- नील-हरित अवसंरचना एक ऐसे नेटवर्क को संदर्भित करती है जो लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिये अवसंरचना, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और शहरी अभिकल्पना के संयोजन के माध्यम से शहर एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिये 'सामग्री' (Ingredients) प्रदान करती है।

- 'नील-हरित' में नील, नदी और तालाबों जैसे जल निकायों को इंगित करता है जबकि हरित, वृक्षों, उद्यानों और बागों को इंगित करता है।

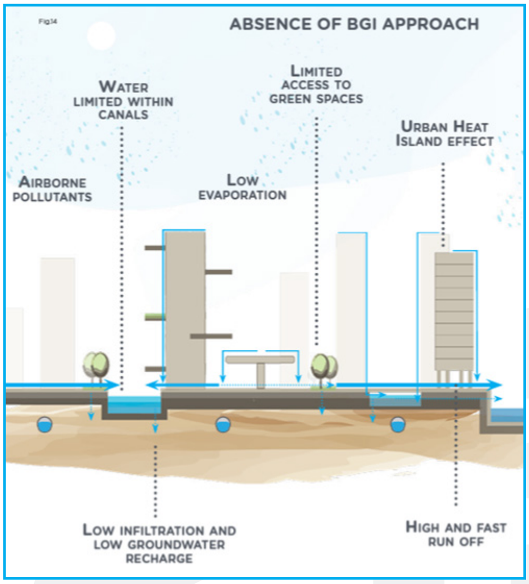

नील-हरित अवसंरचना के लाभ

- **पर्यावरणीय लाभ:** परिवहन, जल और आवास जैसे क्षेत्रों में बील-हरित अवसंरचना का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है और इस प्रकार मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के सुधार में योगदान कर सकता है।
    - शहर में हरित अवसंरचना को शामिल करने से न केवल मनुष्यों को बल्कि प्रकृति को भी लाभ प्राप्त होगा।
- **सामाजिक लाभ:** भूदृश्य की अभिकल्पना और सुंदरता शहर के चरित्र की पहचान में योगदान कर सकती है। हरित सड़कें और भूदृश्य सौंदर्य और नैतिक गुणों को बढ़ाते हैं
    - नील-हरित अवसंरचना सार्वजनिक स्थलों पर छाया/आश्रय प्रदान कर सकती है और शहरी तापमान को कम कर सकती है। यह बाह्य गतिविधियों को बढ़ा सकती है जो अधिकाधिक सामाजिक सम्मिलनों को प्रोत्साहित करेगी।
- **आर्थिक लाभ:** शहर में नील-हरित परियोजनाओं का कार्यान्वयन नागरिकों को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुँचा सकता है। भवन की सतहों पर कम तापमान के कारण शीतलन की मांग में कमी होगी, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की मांग घटेगी।
    - इससे भवनों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी क्योंकि हरित अवसंरचना इसे उच्च तापमान से बचाएगी और रखरखाव लागत को कम करने में मदद करेगी।

कार्यान्वयन से संबद्ध चुनौतियाँ

- **शहरी क्षेत्रों की मान्यता:** भारत की जनगणना (वर्ष 2011) के तहत जनसंख्या आकलन के लिये लगभग 8000 कस्बों को शहरी (Urban) के रूप में गिना जाता है, हालाँकि उनमें से आधे, जिन्हें 'जनगणना शहर' (Census Towns) के रूप में जाना जाता है, अभी भी प्रशासनिक रूप से 'ग्रामीण' ही हैं।
    - 'शहरी' दर्जे की कमी इन बसावटों (जो शहरी विशेषताएँ प्राप्त कर चुकी हैं) के लिये योजना और प्रबंधन के संदर्भ में एक संस्थागत चुनौती है।
    - **शहरों के लिये सक्रिय 'मास्टर प्लान' का अभाव:** वर्तमान परिदृश्य में लगभग 52% सांविधिक शहरों (Statutory towns) और 76% जनगणना शहरों (Census towns) के पास उनके स्थानिक विकास और अवसंरचनात्मक निवेश को निर्देशित करने के लिये कोई 'मास्टर प्लान' नहीं है।
    - इन शहरों में नील-हरित परियोजनाओं को एकीकृत करना कठिन होगा।
- **सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त और तकनीकी रूप से योग्य योजनाकारों की कमी:** यह चिंताजनक है कि भारत में प्रति शहरी केंद्र एक योजनाकार की उपस्थिति का भी अभाव है।
    - नीति आयोग के अनुसार, देश में नगर योजनाकारों के लिये 12000 से अधिक पदों की आवश्यकता है।
- **शहरी नियोजन और शहरी भूमि अभिलेखों के बीच संबंध का अभाव:** शहर को 'प्रणालियों की प्रणाली' (System of Systems) कहा जाता है। भूमि अधिकार और स्वामित्व की स्पष्टता के साथ अच्छे मानचित्रों के बिना शहर की योजना नहीं बनाई जा सकती है।
    - भारत के कई प्रमुख शहरों के सटीक और उपयोगी मानचित्र उनके पदाधिकारियों के पास या सार्वजनिक डोमेन में मौजूद नहीं हैं।

वैश्विक स्तर पर नील-हरित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

- 'एक्टिव, ब्यूटीफुल, क्लीन वाटर प्रोग्राम' - सिंगापुर
- 'ग्रे टू ग्रीन इनिशिएटिव' - पोर्टलैंड, ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका
- 'रेन सिटी स्ट्रैटेजी' - कनाडा
- 'स्पंज सिटी प्रोग्राम' - चीन

नोट :

आगे की राह

- **प्रकृति-आधारित समाधानों की ओर:** अवसंरचना नियोजन को पारिस्थितिक दृष्टिकोण के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है जहाँ जलवायु एवं संवहनीयता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रकृति-आधारित समाधान विकसित किये जाएँ और अपनाए जाएँ। नील-हरित अवसंरचना इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकता है।
    - 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन' और 'अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन' (AMRUT/अमृत) इस दिशा में बढ़ाये गए सराहनीय कदम हैं।
- **नील-हरित शहरी अवसंरचना को संस्थागत बनाना:** राष्ट्रीय दृष्टिकोण को परिभाषित करने और ऐसी परियोजनाओं के लिये मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिये एक व्यापक ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिये।
    - उदाहरण के लिये, नई जल प्रणालियों को डिज़ाइन करने के संदर्भ में अनिश्चितताओं से निपटने के दिशा-निर्देश स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं।
- **ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण:** कई भारतीय शहर प्राकृतिक विशेषताओं और प्रदूषण संकेतकों के विवरण के साथ वार्षिक पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट जारी करते हैं।
    - ऐसी गतिविधियों को सभी शहरों के लिये एक वार्षिक 'ब्लू-ग्रीन ऑडिट' के साथ एकीकृत किया जा सकता है और सामाजिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने तथा यथार्थवादी नीति समाधान विकसित करने के लिये जनसांख्यिकीय डेटा के साथ संयुक्त किया जा सकता है।
    - दिल्ली भारत के पहले शहरों में से एक है जिसने अपने वर्ष 2041 मास्टरप्लान में ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **बहु हितधारक-बहुस्तरीय भागीदारी:** सरकार, योजनाकारों, नीतिनिर्माताओं और अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय संवाद और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से नील-हरित परियोजनाओं को और अधिक समझा जा सकेगा और योजना निर्माण, सूत्रीकरण, कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में नागरिकों के संलग्न होने की संभावना बढ़ेगी।
    - भारत में बेंगलुरू और मदुरै की पहलों में भी व्यापक नागरिक भागीदारी को भी शामिल किया गया है।
- **सतत विकास लक्ष्यों पर त्वरित गति से आगे बढ़ना:** COVID-19 महामारी ने संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंधित परियोजनाओं के लिये वैश्विक और घरेलू वित्तपोषण क्षमता को प्रभावित किया है ।
    - नील-हरित अवसंरचना में SDGs में उल्लिखित कई लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता है, जैसे कि जल से संबंधित (SDG 6 और SDG 14), भूमि (SDG 15) और जलवायु परिवर्तन (SDG 13)।
    - यह हरित रोजगार परिप्रेक्ष्यों (SDG 1) पर प्रगति को भी तेज़ कर सकता है।

एकीकृत- BGI दृष्टिकोण:

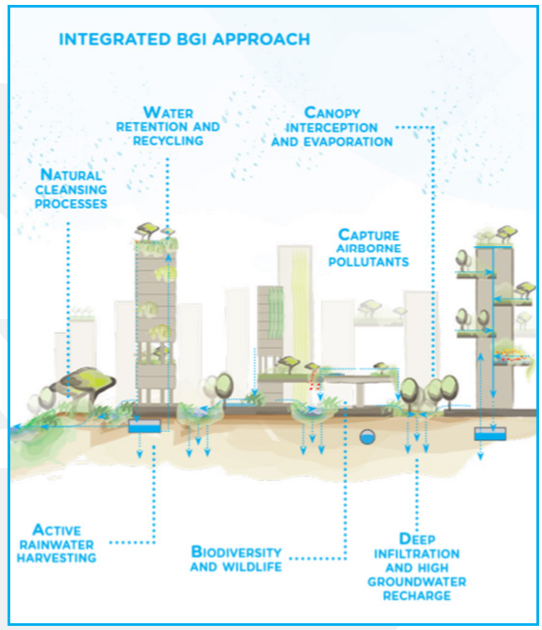

सामान्य ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

संदर्भ

- भारत में 'ओपन रिटेल' का भविष्य आकार ले रहा है जहाँ देश में अगले दो वर्षों में ई-कॉमर्स की पहुँच को 25 प्रतिशत उपभोक्ता खरीद तक बढ़ाने के लिये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) की शुरुआत की गई है।
- ONDC ई-कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण (इसे वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिये प्लेटफॉर्म-केंद्रित प्रतिमान से एक ओपन नेटवर्क में रूपांतरित करते हुए) के लक्ष्य के साथ क्रेताओं और विक्रेताओं के लिये एक साझा डिजिटल स्पेस प्रदान करेगा। ONDC में निश्चित रूप से भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र को रूपांतरित कर सकने की क्षमता है। हालाँकि, कुछ ऐसे अपरिभाषित क्षेत्र भी मौजूद हैं जिन्हें अभी भी स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

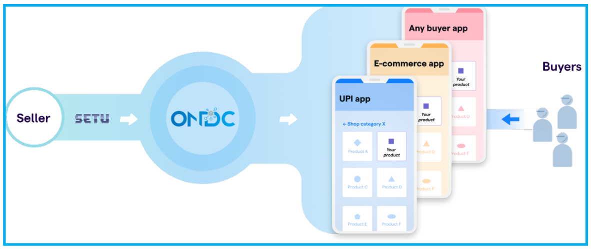

ONDC के लाभ

- **सबके लिये एकसमान अवसर:** ONDC सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिये एकसमान अवसर के निर्माण और देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा छोटे व्यापारियों के लिये डिजिटल बाज़ार पहुँच के विस्तार का इच्छुक है।
  - इसके अतिरिक्त, यह खोज-योग्यता (Discoverability), अंतरसंचालनीयता (Interoperability) और समावेशिता (Inclusivity) लाकर नए प्रवेशकों की मदद करेगा।
- **प्रतिस्पर्द्धी और नवोन्मेषी पारितंत्र:** मौजूदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपखंडों में संचालित होते हैं और सख्ती से विनियमित हैं।
  - ONDC रिटेल, फूड और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और व्यवसायों को रूपांतरित करने के लिये दिग्गज प्लेटफॉर्मों के एकाधिकार को तोड़कर आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा।
- **उपभोक्ताओं के लिये चयन की स्वतंत्रता:** उपभोक्ता संभावित रूप से किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा को एक साझा मंच में खोज सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये चयन की स्वतंत्रता की वृद्धि होती है।
  - यह उपभोक्ताओं को निकटतम उपलब्ध आपूर्ति के साथ मांग को संगत करने में सक्षम करेगा। यह उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा स्थानीय व्यवसायों को चुनने की स्वतंत्रता भी देगा।
- **तटस्थ और विनियमित प्लेटफॉर्म:** ONDC ओपन-सोर्स कार्यप्रणाली पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने, खुले विनिर्देशों एवं नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करने और किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रहने पर लक्षित है।
  - यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे ओपन सोर्स-आधार पर कैटलॉगिंग, वेंडर मैच और प्राइस डिस्कवरी के लिये प्रोटोकॉल सेट करेगा।
  - स्नैपडील (Snapdeal) ओपन नेटवर्क पर उपस्थित होने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है।

ओपन सोर्स क्या है?

- ओपन सोर्स (Open source) का तात्पर्य है कि प्रक्रिया के लिये तैनात प्रौद्योगिकी या कोड सभी के उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधित करने के लिये स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया है।
- उदाहरण के लिये, iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम 'क्लोज्ड सोर्स' है, यानी इसे कानूनी रूप से संशोधित या उपयोग नहीं किया जा सकता है।
  - जबकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, जिससे सैमसंग, नोकिया, श्याओमी जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं के लिये अपने संबंधित हार्डवेयर हेतु इसे संशोधित करना संभव हो जाता है।

ONDC से संबंधित अपरिभाषित क्षेत्र

- **संगतता संबंधी चिंता:** कम मात्रा वाले छोटे व्यवसायों में अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों द्वारा दी जाने वाली छूट से संगतता रखने के लिये संसाधनों की कमी हो सकती है।
  - इन दो वैश्विक दिग्गज कंपनियों ने भारत में संयुक्त रूप से 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और आक्रामक छूट एवं पसंदीदा विक्रेताओं के प्रचार के साथ ऑनलाइन खुदरा बाज़ार के 80% पर कब्ज़ा कर लिया है।
- **भुगतान के तरीके:** यह निश्चित है कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बीच पेमेंट गेटवे संगतता में एक बेमेल की स्थिति हो सकती है।
  - यदि विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भुगतान के सभी तरीकों को स्वीकार नहीं करते हैं तो निर्बाध लेनदेन के लक्ष्य से समझौता हो सकता है।
- **जवाबदेही संबंधी चिंता:** यह स्पष्ट नहीं है कि ONDC पर विभिन्न ई-कॉमर्स मानदंड कैसे लागू होंगे और ONDC भारत में ई-कॉमर्स के संपूर्ण कानूनी परिदृश्य में कैसे संगत होगा।
  - लेनदेन अथवा वितरित उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समस्या का सामना करने वाले उपभोक्ता के मामले में दायित्व को लेकर सवाल उठता है।

आगे की राह

- **डिजिटल अवसंरचना और साक्षरता:** सरकार को प्रभुत्वशाली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से आगे निकलने के लिये ई-कॉमर्स हेतु एक बेहतर डिजिटल स्पेस बनाने की ज़रूरत है।
  - इसके साथ ही, उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लाभ के लिये विभिन्न भाषाओं और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए एक उचित डिजिटल शिक्षा नीति का निर्माण करना महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- **जागरूकता अभियान:** लाखों मौजूदा किराना स्टोरों को मंच पर लाने के लिये वृहत स्तरीय और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित अंगीकरण अभियान की आवश्यकता होगी।
- **ONDC के माध्यम से मौजूदा योजनाओं पर बल:** ONDC 'प्रधानमंत्री वन धन योजना' (PMVDY) जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ा सकता है।
  - PMVDY योजना का उद्देश्य वन उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और वायदा बिक्री के माध्यम से वन-आश्रित जनजातियों की आजीविका को बढ़ाना है।
    - इन आदिवासी समुदायों को न तो मूल्य प्राप्ति (Price Realisation) का लाभ मिलता है, न ही वे बाज़ार के पर्याप्त संपर्क में आ पाते हैं।
    - यह योजना वर्ष 2018 से कार्यान्वित है, लेकिन अभी भी स्थानीय हाट बाज़ारों या गाँव की मंडियों में अधिकांश बिक्री होती है और यह स्थानीय व्यापारियों तक ही सीमित है।
    - ONDC उन्हें किसी भी अन्य बड़े ब्रांड को प्राप्त पहुँच के स्तर तक पहुँचा सकता है।
    - इस तरह का एकीकरण स्वस्थ और संवहनीय विकल्पों की ओर बढ़ते ग्राहक पसंदों में महत्त्वपूर्ण मूल्य का योग करेगा।
- **उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र:** सूचना विषमता, अपारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता एवं उत्पाद संबंधी चिंताओं और क्रेता-विक्रेता संघर्ष जैसी मांग और आपूर्ति पक्ष की समस्याओं से निपटने के लिये एक सुरक्षित एकल खिड़की होनी चाहिये।

इसरो का लघु उपग्रह प्रमोचन यान (SSLV)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने नए उपग्रह लांचर 'लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान' (Small Satellite Launch Vehicle- SSLV) की पहली उड़ान लॉन्च की जो अपने साथ दो उपग्रहों- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 और आज़ादीसैट (AzadiSAT) को लेकर अंतरिक्ष में गया।

हालाँकि प्रक्षेपण यान के साथ भेजे गए ये उपग्रह अपने अंतिम चरण में एक त्रुटि के कारण वांछित कक्षा में स्थापित होने में विफल रहे।

मिशन का उद्देश्य क्या था?

- इस मिशन का उद्देश्य SSLV के प्रथम प्रक्षेपण के साथ दो उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 350 किमी. की ऊँचाई पर वृत्ताकार लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करना था।
  - **EOS-2:** यह इसरो द्वारा अभिकल्पित और विकसित एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है।
  - **आज़ादीसैट:** इसे 'स्पेस किड्ज़ इंडिया' के छात्रा-दल द्वारा यनकारी विकिरण की माप के लिये तैयार किया गया था जिसमें 75 लघु पेलोड शामिल थे।
    - इसे विज्ञान-प्रौद्योगिकी-इंजीनियरिंग-गणित (STEM) को स्कूल स्तर पर छात्राओं के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु इसरो के प्रयास के तहत तैयार किया गया जहाँ यह ब्रह्मांड के अन्वेषण के लिये प्रेरित करता है।

उपग्रह प्रक्षेपण की विफलता

- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) एक तीन चरण का प्रक्षेपण यान है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणों और एक तरल प्रणोदन-आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है।
  - प्रक्षेपण के आरंभिक तीन चरण सफल रहे लेकिन प्रतीत हुआ कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) के टर्मिनल चरण में समस्या आई।
    - लॉन्च प्रोफ़ाइल के अनुसार VTM को 20 सेकंड के लिये जलना चाहिये था।
    - लेकिन यह केवल 0.1 सेकंड के लिये जला और रॉकेट को अपेक्षित ऊँचाई तक ले जाने में विफल रहा।
  - इसरो के अनुसार, सेंसर की खराबी के कारण उपग्रह वृत्ताकार कक्षा (circular orbit) के बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षा (elliptical orbit) में स्थापित हो गए और उनसे संपर्क टूट गया।

वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में अंतर

- **कक्षा:** कक्षा या ऑर्बिट (Orbit) वह नियमित, दुहरावपूर्ण पथ है जिसपर अंतरिक्ष में एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर गमन करता है।
  - **दीर्घ वृत्ताकार:** जब एक पिंड दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार पथ में किसी अन्य पिंड के चारों ओर घूमता है।
    - हमारे सौर मंडल के अधिकांश ग्रह अन्य ग्रहों और तारों के गुरुत्वाकर्षण अंत:क्रिया के कारण वृत्ताकार कक्षाओं के बजाय दीर्घ वृताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं।
  - **वृत्ताकार:** वृत्ताकार कक्षा केंद्रक (barycenter) के चारों ओर एक निश्चित दूरी की कक्षा है जो वृत्ताकार होती है।
    - पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों को प्राय: वृत्ताकार कक्षाओं में स्थापित किया जाता है।

- वृत्ताकार पथ कृत्रिम उपग्रहों के लिये अनुकूल है क्योंकि यदि उपग्रह एक निश्चित दूरी पर हो तो पृथ्वी की छवि लेना आसान होता है।
  - यदि दूरी बदलती रही (जैसा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में होता है) तो कैमरे को केंद्रित रखना जटिल हो सकता है।

SSLV और PSLV में अंतर

- **लागत प्रभावी और पेलोड क्षमता:** SSLV को 500-किलोग्राम पेलोड को 500-किलोमीटर ग्रहीय कक्षा में लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया है और यह PSLV से कम खर्चीला है।
  - चूँकि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) भारी भार वहन कर सकता है, इसलिये छोटी परियोजनाओं में यह उच्च लागत-लाभ अनुपात नहीं रखता है।
- **ठोस प्रणोदक:** SSLV ठोस प्रणोदक का उपयोग करता है और यह PSLV के तरल प्रणोदक चरणों की तुलना में अधिक किफायती है और इसका प्रबंधन आसान है।
- **तीव्र 'लॉन्च ऑन डिमांड' सेवा:** PSLV की दीर्घ टर्नअराउंड अवधि (60 दिनों से अधिक) 'लॉन्च ऑन डिमांड' प्रक्षेपणों को जटिल बनाती है।
  - SSLV में कई उपग्रहों को लॉन्च करने की सुविधा है। यह निम्न टर्नअराउंड अवधि (72 घंटे) रखता है और इसे एक पखवाड़े के भीतर एसेम्बल किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष एजेंसी को तेज़ी से उभरते लो-अर्थ ऑर्बिट प्रक्षेपण क्षेत्र में 'लॉन्च ऑन डिमांड' सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है।

इसरो की आगामी परियोजनाएँ

- **गगनयान** - भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम।
- **आदित्य-L1:** सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिये।
- **नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन:** विभिन्न खतरों और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन का अध्ययन करने के लिये।
- **शुक्रयान-1:** शुक्र ग्रह के लिये ऑर्बिटर।

भविष्य की संभावनाएँ

- **'डोरवे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट':** SSLV दुनिया भर के वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रक्षेपण बाज़ार में भारत का आधिकारिक द्वार या डोरवे है।
  - माना जा रहा है कि इस रॉकेट का संचालन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा किया जाएगा जो भारत का वाणिज्यिक अंतरिक्ष अभियान निकाय है।
    - वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिये आकर्षक।
- **SSLV को ध्रुव से ध्रुव तक लॉन्च करना:** इसरो भविष्य में तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम (तैयार किया जा रहा भारत का नया स्पेसपोर्ट) से SSLV को लॉन्च करने का इरादा रखता है।
  - इससे SSLV को ध्रुव से ध्रुव (pole-to-pole) या पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में प्रवेश करने की सक्षमता प्राप्त होगी।
    - इससे SSLV श्रीलंका का चक्कर लगाए बिना लक्षद्वीप सागर के ऊपर से उड़ान भरेगा जिससे ईंधन और पेलोड क्षमता की बचत होगी।
- **नैनो-उपग्रह प्रक्षेपण यान की ओर कदम:** प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ उपग्रहों के आकार में उल्लेखनीय कमी आई है जहाँ क्यूबसैट्सऔर नैनो-उपग्रह सामान्य होते जा रहे हैं।
  - इस परिदृश्य में इसरो के पास लागत प्रभावी नैनो-उपग्रह प्रक्षेपण यानों (nano-satellite launch vehicles) के विकास का नेतृत्व करने का अवसर मौजूद है।

भारत में शिक्षा प्रौद्यौगिकी

संदर्भ

पिछले कुछ वर्षों में भारत में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, एडटेक (Edtech– Education + Technology) उद्योग का तेज़ी से विकास हुआ है।

- शिक्षा का 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' का पारंपरिक मॉडल लंबे समय से शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिये एक बाधा रहा है, हालाँकि एडटेक व्यक्ति-अनुकूल कक्षाएँ प्रदान करता है और छात्रों को 'इंटरएक्टिव लर्निंग' के कई विकल्प प्रदान करता है।
- लेकिन भारत में 4 में से केवल 1 छात्र की ही डिजिटल लर्निंग तक पहुँच है। हालाँकि 'वर्चुअल लर्निंग' के लिये एडटेक समाधानों की वृद्धि हो रही है, फिर भी वे विभिन्न कारणों से लाखों परिवारों की पहुँच से बाहर हैं।

भारत के लिये एडटेक का महत्त्व

- **'इंटरएक्टिव और इनोवेटिव लर्निंग':** व्याख्यान, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स और इंटरएक्टिव तत्वों के साथ ऑनलाइन रूप से लर्निंग सीखने की प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक बनाता है और एक विज़ुअल दृष्टिकोण के साथ सीखने की अवधारणाओं को संपुष्ट करता है।

नोट :

- भारत में एडटेक के तीव्र विकास को उत्साही उद्यमियों की उपस्थिति से भी बल मिला है जो इतने विविध देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं और नवीन उत्पादों एवं दृष्टिकोणों को विकसित कर रहे हैं।

- **'ऑन-डिमांड लर्निंग' की आवश्यकता:** जो छात्र पारंपरिक स्कूल प्रणाली की कठोर समय सारिणी से संगतता रखने में असमर्थ हैं, वे अपने घर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार प्राय: काम और पढ़ाई एक साथ कर सकने में सक्षम हो पाते हैं।
  - प्राय: कक्षा के समय और उनके कार्य समय के बीच ओवरलैपिंग की स्थिति होती है। ऑन-डिमांड प्रशिक्षण परिदृश्य को छात्रों के पक्ष में मोड़ देता है जहाँ वे कहीं भी, कभी भी और किसी भी माध्यम से पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।
- **शिक्षकों की उपलब्धता:** पूर्व में एक प्राध्यापक अधिकतम 100 छात्रों तक के बैच को संभाल सकता था।
  - एडटेक शिक्षकों को छात्रों की एक बड़ी संख्या के लिये स्वयं को उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।
    - अब ऐसे भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं रह गई है जहाँ छात्र और शिक्षक कक्षा सत्र के लिये एकत्र हों।
- **व्यक्ति-अनुकूल मूल्यांकन (Personalized Evaluation):** छात्रों को उनके पिछले लर्निंग पैटर्न और प्रदर्शन के डेटा के आधार पर व्यक्ति-अनुकूल अनुशंसाएँ प्राप्त होती हैं।
  - जिन छात्रों को सीखने की धीमी गति के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।
- **आयु बाधाओं की समाप्ति:** ऑनलाइन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम किसी भी आयु वर्ग के लोगों को अपनी गति से, बिना किसी संकोच या असहजता के और अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं से समझौता किये बिना लर्निंग की अनुमति देते हैं जो स्थिति पहले नहीं रही थी।
- **समान अवसर और 'पे-वॉल' की कमी:** भारत का एडटेक उद्योग धीरे-धीरे अमीर और गरीब के बीच शिक्षा-गुणवत्ता की खाई को पाट सकता है, जिससे सभी पृष्ठभूमि के भारतीयों को सफलता के अधिक समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
  - एडटेक की लागत-प्रभावशीलता छात्रों को उनके और प्रीमियम शिक्षकों के बीच के पे-वॉल को दूर करने की अनुमति देती है और लर्निंग की यह वर्चुअल प्रकृति भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करती है।
    - 'पे-वॉल' (Pay-Wall) वह व्यवस्था है जहाँ किसी वेबसाइट पर केवल भुगतान करने वाले ग्राहकों को ही पहुँच प्राप्त होती है।

एडटेक से संबद्ध चुनौतियाँ

- **लर्निंग से व्यावहारिक रूप से संलग्नता की सीमितता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन में सैद्धांतिक अध्ययन के पूरक के रूप में व्यावहारिक प्रयोगशाला सत्र, शोध प्रबंध परियोजनाएँ और क्षेत्र यात्राएँ (Field trips) भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती हैं।
  - ऑनलाइन शिक्षा में सीखने का यह पहलू गंभीर रूप से सीमित होता है।
- **सीमित सामाजिक कौशल वृद्धि:** शिक्षा का अर्थ केवल विषय संबंधी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के बीच सामाजिक कौशल और खेल भावना के विकास का भी लक्ष्य रखती है जिनका विकास वर्षों की अंत:क्रिया के साथ होता है।
  - पूर्णत: ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर रहने से बच्चों के समग्र विकास में बाधा आ सकती है और भविष्य में वे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में निष्पादन की कमी की स्थिति प्रदर्शित कर सकते हैं।
- **डिजिटल अवसंरचना की कमी:** यद्यपि भारत एक व्यापक भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता रखता है, यह एक वृहत सामाजिक-आर्थिक विभाजन से भी ग्रस्त है जिसमें डिजिटल अवसंरचना सुविधाओं की गैर-एकरूपता भी शामिल है।
  - बाधित बिजली आपूर्ति और खराब या गैर-मौजूद इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़मीनी स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के मार्ग में बड़ी चुनौतियाँ हैं।
- **लैंगिक असमानता में वृद्धि की आशंका:** ऑनलाइन शिक्षा से व्यापक लैंगिक असमानता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 733 छात्रों पर किये गए हाल के एक सर्वेक्षण में पता चला कि 36% बालकों के विपरीत केवल 28% बालिकाओं के घरों में स्मार्टफोन मौजूद था।
    - बालिकाएँ बालकों की तुलना में घर के कामों में अधिक संलग्न भी पाई गईं और उनकी यह संलग्नता प्राय: इन पाठों के प्रसारण के समय से ओवरलैप होती थी।
- **व्यावसायिक कदाचार:** डिजिटल शिक्षा के बढ़ते बाज़ार के साथ एडटेक कंपनियाँ अधिकाधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कदाचार में संलग्न होने की संभावना रखती हैं।

- हाल ही में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार अभ्यासों के मुद्दे सामने आए हैं।
- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया है कि एड-टेक कंपनियाँ नि:शुल्क सेवाएँ देने की आड़ में अभिभावकों को लुभा रही हैं और उनसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) मैंडेट पर हस्ताक्षर करा रही हैं या ऑटो-डेबिट सुविधा को सक्रिय कर रही हैं जहाँ विशेष रूप से भेद्य परिवारों को लक्षित किया जा रहा है।

- **शिक्षक-शिक्षार्थी अनुकूलन क्षमता संबंधी चिंता:** मनोरंजन के लिये इंटरनेट का उपयोग करना आम बात है, लेकिन ऑनलाइन पाठों के लिये यह एक बड़ी चुनौती है।
  - संभव है कि शिक्षक डिजिटल सामग्री के निर्माण में और इसे प्रभावी ढंग से ऑनलाइन प्रसारित करने में सुप्रशिक्षित न हों।
  - इसके साथ ही, उनसे डिजिटल माध्यम के लिये तुरंत ही अपग्रेड होने और छात्रों से इसके अनुकूल होने की उम्मीद करना अनुचित है।

भारत में हाल में अपनाये गए ज़मीनी स्तर के इनोवेटिव एडटेक कार्यक्रम

- असम का ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये स्कूल-टू-वर्क और उच्च शिक्षा संक्रमण को सुदृढ़ कर रहा है।
- झारखंड का डिजीसैट (DigiSAT) सुदृढ़ अभिभावक-शिक्षक-छात्र संबंध स्थापित कर व्यवहार परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश की 'हरघर पाठशाला' विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (special needs children) को डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रही है।
- मध्य प्रदेश का 'DigiLEP' सभी संकुलों और माध्यमिक विद्यालयों को कवर करने वाले 50,000 से अधिक व्हाट्सएप समूहों के साथ एक सुसंरचित तंत्र के माध्यम से लर्निंग संवर्द्धन के लिये सामग्री/कंटेंट वितरित कर रहा है।
- केरल की 'अक्षरवृक्षम' पहल खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लर्निंग एवं कौशल विकास का समर्थन करने के लिये डिजिटल 'शिक्षा-मनोरंजन' या 'एजुटेनमेंट' (Edutainment) पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

आगे की राह

- **'डिजिटल डिवाइड' को दूर करना:** ऑनलाइन लर्निंग के विस्तार के लिये भारत में मौजूदा डिजिटल डिवाइड को दूर करना आवश्यक है।
  - ओड़िशा सरकार का '5T' पहल (Transparency, Teamwork, Technology, and Timeliness leading to Transformation) के अंतर्गत सरकारी स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम (Government School Transformation Programme) इस दिशा में एक सराहनीय कदम है।
- **समावेशी शिक्षा नीति:** महामारी के दौरान समावेशी शिक्षा नीतियों की आवश्यकता को वैश्विक स्तर पर चिह्नित किया गया है।
  - ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिये ऑनलाइन संसाधनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नवीन योजनाओं का विकास आवश्यक है।
    - शिक्षण समुदाय शिक्षकों के एक राष्ट्रव्यापी अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क के निर्माण हेतु एक साथ आया है, जिसे 'ऑनलाइन शिक्षण चर्चा मंच' (Discussion Forum of Online Teaching-DFOT) का नाम दिया गया है। यह स्वागतयोग्य पहल है।
- **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अभिनव एवं व्यक्ति-अनुकूल दृष्टिकोणों के लिये नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती हैं जो विभिन्न लर्निंग योग्यताओं के विकास में मदद करेंगी।
  - आईआईटी खड़गपुर ने नेशनल एआई रिसोर्स प्लेटफॉर्म (NAIRP) विकसित करने के लिये अमेज़ॅन वेब सर्विसेज के साथ सहयोग स्थापित किया है। यह भविष्य में बेहतर टीचिंग और लर्निंग के लिये आँखों की गति, संकेत और अन्य मापदंडों की निगरानी जैसे तंत्रों का उपयोग करेगा।
- **"What is Told is What is Sold":** एडटेक कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध चेतावनी और पारदर्शिता पर बल के साथ ही पेशेवर कदाचार की निगरानी और समयबद्ध शिकायत निवारण के लिये एक उपयुक्त तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।
- **लर्निंग का हाइब्रिड मोड:** एडटेक कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भारत में लर्निंग संबंधी संकट को क्षण में दूर कर देगी। यह स्कूलों में शिक्षकों द्वारा शिक्षण का प्रतिस्थापन विकल्प भी नहीं है। वस्तुत: लर्निंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के बीच संतुलन रखना उपयुक्त दृष्टिकोण होगा।
  - उल्लेखनीय है कि Byju's और Unacademy जैसे प्रमुख ऑनलाइन खिलाड़ियों ने अब ऑफलाइन या हाइब्रिड लर्निंग मॉडल की ओर भी कदम बढ़ाया है।

नोट :

निष्कर्ष

यह तथ्य है कि ऑनलाइन शिक्षा छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिये कई संभावनाओं के द्वार खोलती है, लेकिन यह भारत में सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा भी दे सकती है। ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारी सभी नीतियाँ और हस्तक्षेप समावेशी हों। भारत को उपयुक्त दृष्टिकोण और ईमानदार प्रयासों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

फिनटेक का विनियमन

संदर्भ

फिनटेक (FinTech) वर्तमान समय में व्यापार वृद्धि और रोज़गार सृजन दोनों ही मामलों में अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक फलते-फूलते क्षेत्रों में से एक है। फिनटेक में शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, फंड-रेज़िंग एवं गैर-लाभकारी कार्य और निवेश प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्र और उद्योग शामिल हैं।

- भारत के फिनटेक क्षेत्र को विश्व में सबसे अधिक विघटनकारी (Disruptive), नवोन्मेषी और परिपक्व फिनटेक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय फिनटेक कंपनियों का सकल मूल्य आसमान छू रहा है, जिसका मुख्य कारण बाज़ार की अपार संभावनाएँ हैं।
- हालाँकि प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के गहन होने के साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं में असंतोष की भी वृद्धि हो रही है। इसने फिनटेक के कार्यान्वयन पर गहराई से नज़र डालने की आवश्यकता को जन्म दिया है और इसलिये उनकी गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिये कुछ पर्यवेक्षी कदम उठाए गए हैं।

फिनटेक क्या है ?

- **परिचय:** मूल रूप से फिनटेक स्थापित उपभोक्ता और व्यापार वित्तीय संस्थानों के बैक-एंड (व्यवसाय का परिचालनात्मक भाग) पर अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है।
    - हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय क्षेत्र (वित्तीय साक्षरता और शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, निवेश तथा यहाँ तक कि क्रिप्टोकरेंसी) में किसी भी प्रौद्योगिकीय नवाचार के लिये यह शब्द व्यवहृत होने लगा है।
    - फिनटेक ऐसी कोई भी प्रौद्योगिकी है जो वित्तीय सेवाओं के वितरण और उपयोग को बेहतर बनाने और स्वचालित करने का प्रयास करती है।
- **महत्त्व:**
    - फिनटेक भारतीय वित्तीय पारितंत्र का अनिवार्य अंग हैं। यद्यपि वे दशकों से मौजूद हैं, उनका महत्त्व नोटबंदी के बाद अधिक प्रकट हुआ और कोविड-19 महामारी ने उनके महत्त्व को और बढ़ा दिया है।
    - फिनटेक आम लोगों के लिये वित्तीय सेवाओं को पुनर्परिभाषित कर रहा है; स्मार्ट एनालिटिक्स और एल्गोरिदम के माध्यम से छोटे क्रेडिट के लिये बिग डेटा के उपयोग ने भारत में पात्र उधारकर्ताओं के पूल का व्यापक रूप से विस्तार किया है।
    - फिनटेक ने कारोबार करने की लागत में भारी कमी की है। भुगतान, क्रेडिट मूल्यांकन और धोखाधड़ी पर नियंत्रण जैसे डिजिटल लेनदेन की लागत भौतिक प्रक्रियाओं पर खर्च की गई राशि का एक मामूली अंश ही है।
    - फिनटेक भौगोलिक बाधाओं को भी दूर कर रहा है और देश को हथेली की पकड़ में सीमित कर रहा है। यह बड़ी संख्या में सेवाओं से वंचित लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य ग्राहकों के लिये अवसर के द्वार खोल रहा है।
- **भारत में फिनटेक का विकास:** भारत वैश्विक फिनटेक महाशक्ति है, जहाँ फिनटेक अपनाने की दर विश्व में सर्वाधिक है। वर्ष 2020 में भारत ने एशिया के शीर्ष फिनटेक बाज़ार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया।
    - भारत सरकार के अनुमान के अनुसार, भारतीय फिनटेक पारितंत्र के वर्ष 2025 तक 150 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है जो अभी 50 बिलियन डॉलर के स्तर पर है।

फिनटेक का विनियमन

- **विनियमन के प्रकार:** विश्व भर में फिनटेक कंपनियाँ तीन प्रकार के विनियमों के अधीन हैं:
    - गतिविधि-आधारित विनियमन (Activity-based regulation), जिसमें गतिविधि से संलग्न इकाई की कानूनी स्थिति या प्रकार पर विचार नहीं करते हुए सदृश कार्यों को एकसमान रूप से विनियमित किया जाता है।
    - इकाई-आधारित विनियमन (Entity-based regulation), जहाँ जमा प्राप्ति, भुगतान सुविधा, उधार देना और प्रतिभूति हामीदारी जैसी तुलनात्मक और विशेषीकृत गतिविधियों से संलग्न लाइसेंस प्राप्त फर्मों पर कानूनों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
    - परिणाम-आधारित विनियमन (Outcome-based regulation), जहाँ फर्मों के लिये कुछ आधारभूत, साझा और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

- **फिनटेक को विनियमित करने हेतु भारत की पहल:**
    - यद्यपि फिनटेक कंपनियों को विनियमित करने और वित्तीय पारितंत्र के लिये उनके द्वारा उत्पन्न जोखिमों के शमन के लिये RBI द्वारा कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें दायरे में लेने के लिये कुछ पहलें की गई हैं।
        - RBI का 'फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' ऐसा ही एक उदाहरण है जिसे वर्ष 2018 में फिनटेक उत्पादों के परीक्षण के लिये नियंत्रित नियामक वातावरण के निर्माण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था।
        - फिनटेक के एक वर्ग को अपने दायरे में लाने के लिये RBI द्वारा एक और पहल 'पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स लाइसेंस' की शुरुआत के रूप में की गई।
    - चूँकि फिनटेक P2P (Peer to Peer) उधारकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म और क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म को धीरे-धीरे नियामक दायरे में लाया जा रहा है।
    - हाल ही में, RBI ने अधिसूचित किया है कि उसने डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण के व्यवस्थित विकास का समर्थन करने के लिये एक नियामक ढाँचा तैयार किया है।
        - यह ढाँचा इस सिद्धांत पर आधारित है कि उधार देने का व्यवसाय केवल उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो या तो केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित हैं या किसी अन्य कानून के तहत उन्हें ऐसा करने की अनुमति प्राप्त है।
- **भारत में फिनटेक के विनियमन से संबंधित चिंताएँ:**
    - फिनटेक, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी, की उभरती दुनिया में विनियमन एक बड़ी समस्या है। अधिकांश देशों में वे अनियंत्रित हैं और घोटालों एवं धोखाधड़ी के लिये उर्वर आधार बन गए हैं।
    - फिनटेक में पेशकशों की विविधता के कारण इन समस्याओं के लिये एक एकल और व्यापक दृष्टिकोण तैयार करना कठिन है।
        - फिनटेक क्षेत्र में नियामक अनिश्चितता फिनटेक सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिये चीज़ों को जटिल बना रही है ।
    - फिनटेक के लिये एक व्यापक नियामक ढाँचे की अनुपस्थिति ने कंपनियों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिये प्रणाली में अस्पष्टता के कई बिंदु उत्पन्न किये हैं।
    - नियामक की निगरानी से दूर होने के कारण उधार देने में कई अनैतिक अभ्यासों के प्रयोग की भी सूचना मिली है।
        - संग्रह के क्रूर तरीके, उधार देने के अपारदर्शी अभ्यास, उत्पादों की मिस-सेलिंग, ग्राहक उत्पीड़न आदि इसके कुछ उदाहरण हैं।

फिनटेक को विनियमित करने का सही दृष्टिकोण क्या होगा ?

- **व्यापक नियामक ढाँचा:** पारदर्शिता के साथ एक विवेकपूर्ण विनियमन दीर्घावधि में इस क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चालकों को आर्थिक प्रगति के इंजन को बढ़ावा देने का अवसर देते हुए अर्थव्यवस्था को इसके संभाव्य दर पर विकास करने में सहयोग देगा।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से एक अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण यह होगा कि भारत के वित्तीय समावेशन एजेंडा में फिनटेक की भूमिका को चिह्नित करे और एक नियामक ढाँचा स्थापित करे जो फिनटेक को नए प्रस्तावों को अपनाने और नवाचार करने के लिये पर्याप्त लचीलापन देते हुए मौजूदा अस्पष्टताओं को दूर करे।
- **'बिगटेक' को नियामक दायरे में लाना:** फिनटेक के लिये असली चुनौती 'बिगटेक' की ओर उत्पन्न होती है, जिनका प्राथमिक व्यवसाय सोशल मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सर्च और ई-कॉमर्स जैसे गैर-वित्तीय क्षेत्रों में है।
    - वे वित्तीय सेवा क्षेत्र के एक बड़े भाग का अधिग्रहण कर सकने की सदृढ़ स्थिति में हैं।
    - नीतिनिर्माताओं के लिये महत्त्वपूर्ण है कि वे बिगटेक पर ध्यान दें और चूँकि बिगटेक व्यापक ग्राहक आधार, सूचना तक पहुँच और व्यापक व्यापार मॉडल की स्थिति रखते हैं, बिगटेक और बैंकों के बीच 'लेवल प्लेइंग फिल्ड' या समान अवसर को सुनिश्चित करें।
- **ग्राहक संरक्षण को प्राथमिकता देना:** फिनटेक क्षेत्र में शासन के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण और उत्पाद नवाचार के बीच सही संतुलन की तलाश नियामकों के लिये संघर्षपूर्ण रहा है।
    - RBI को फिनटेक विनियमन में उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देना चाहिये और इसे क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल उधार पर अंतिम कानूनों के माध्यम से व्यक्त करने की आवश्यकता है।
- **संगत नीति:** फिनटेक फर्मों और पारंपरिक बैंकों दोनों को समानुपातिक रूप से लक्षित करने वाली नीतियों की आवश्यकता है। इस प्रकार, फिनटेक द्वारा प्रदत्त अवसरों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि जोखिम का प्रबंधन किया जा सकेगा।

नोट :

- नियोबैंक (Neobanks) के लिये इसका अर्थ होगा कि मज़बूत पूंजी, तरलता और जोखिम-प्रबंधन की आवश्यकताएँ उनके जोखिमों के अनुरूप हैं।
- मौजूदा बैंकों और अन्य स्थापित संस्थाओं के संदर्भ में, विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को तकनीकी रूप से कम उन्नत बैंकों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि उनके मौजूदा व्यापार मॉडल दीर्घावधि में कम संवहनीय सिद्ध हो सकते हैं।

- **DeFi के लिये प्रावधान:** शासी निकाय की अनुपस्थिति का अर्थ है कि DeFi प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण के लिये एक चुनौती है।
  - विनियमन को उन निकायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो DeFi के तेज़ विकास को गति दे हे हैं ।
  - पर्यवेक्षी अधिकारियों को इंडस्ट्री कोड और स्व-नियामक संगठनों सहित सुदृढ़ शासन को प्रोत्साहित भी करना होगा।
  - ये संस्थाएँ नियामक निरीक्षण के लिये एक प्रभावी माध्यम प्रदान कर सकती हैं।

भारत की जनसांख्यिकी

संदर्भ

अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अपनी जनसांख्यिकीय संरचना में भारी परिवर्तन है। यह जनसंख्या विस्फोट से गुज़रा है (जनगणना, 1951) और कुल प्रजनन दर में गिरावट भी देखी है।

- साकारात्मक पक्ष की ओर देखें तो मृत्यु दर संबंधी विभिन्न संकेतकों में सुधार आया है, लेकिन जीवन स्तर में सुधार, कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करने और रोज़गार सृजन के मामले में जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन में कुछ बाधाएँ भी मौजूद हैं।
- भारत की बड़ी आबादी विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत के लिये एक लाभ की स्थिति हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का पूरा दोहन करने के लिये सही दिशा में कदम उठाए जाएँ।

भारत समय के साथ किन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से गुज़रा है?

- **जनसंख्या वृद्धि:** संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना (WPP), 2022 ने पूर्वानुमान किया है कि भारत वर्ष 2023 तक 140 करोड़ की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में वर्तमान में विश्व की कुल आबादी का 17.5% मौजूद है।
  - यह वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या (34 करोड़) की चार गुनी है।
  - भारत की जनसंख्या के वर्ष 2030 तक 150 करोड़ और वर्ष 2050 तक 166 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- **भारत के TFR में गिरावट:** वर्ष 2021 में भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता (जो प्रति महिला 2.1 बच्चे है) से नीचे गिरकर 2.0 हो गई। स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में भारत का कुल प्रजनन दर 6 रहा था।
  - बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और मेघालय को छोड़कर कई राज्य 2 के TFR तक पहुँच गए हैं।
    - उच्च कुल प्रजनन दर के मुख्य कारणों में उच्च निरक्षरता स्तर, बड़े पैमाने पर बाल विवाह, 5 वर्ष से कम आयु के मृत्यु दर का उच्च स्तर, महिलाओं की कम कार्यबल भागीदारी, गर्भनिरोधक का कम उपयोग और महिलाओं में आर्थिक और निर्णयन क्षमता की कमी शामिल हैं।
- **मृत्यु दर संकेतकों में सुधार:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वर्ष 1947 में 32 वर्ष से वर्ष 2019 में 70 वर्ष की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - शिशु मृत्यु दर वर्ष 1951 में 133 (बड़े राज्यों के लिये) से घटकर वर्ष 2020 में 27 हो गई।
  - 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 250 से घटकर 41 रह गई है और मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 1940 के 2,000 से घटकर वर्ष 2019 में 103 हो गया।

जनसंख्या वृद्धि का महत्त्व

- एक बड़ी जनसंख्या को बृहत मानव पूंजी, उच्च आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार के अर्थ में देखा जाता है।
  - उच्च कार्यशील जनसंख्या और कम आश्रित जनसंख्या के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से बेहतर आर्थिक विकास की स्थिति बनती है।
- पिछले सात दशकों में कामकाजी आबादी की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 65% हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप निर्भरता अनुपात (प्रति कामकाजी आबादी में बच्चों और वृद्धों की संख्या) में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- WPP, 2022 के अनुसार, भारत में विश्व स्तर पर सबसे बड़े कार्यबल में से एक होगा।
  - अगले 25 वर्षों में कामकाजी आयु समूह के प्रत्येक पाँच व्यक्ति में से एक भारत में रह रहा होगा।

जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन में व्याप्त बाधाएँ

- **श्रम शक्ति संबंधी चिंताएँ:** भारत की श्रम शक्ति कार्यबल से महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण निरुद्ध है; केवल एक चौथाई महिलाएँ ही कार्यरत हैं।
    - शैक्षिक उपलब्धियों की गुणवत्ता सही नहीं है और देश के कार्यबल में आधुनिक रोज़गार बाजार के अनुरूप आवश्यक बुनियादी कौशल का अभाव है।
    - भारत में विश्व की सबसे बड़ी आबादी होगी लेकिन इसकी रोज़गार दर अभी भी न्यूनतम में से एक है।
- **लिंगानुपात की स्थिति निराशाजनक:** स्वतंत्र भारत की एक अन्य जनसांख्यिकीय चिंता पुरुष प्रधान लिंगानुपात से संबद्ध है।
    - वर्ष 1951 में देश का लिंगानुपात 946 महिला प्रति 1,000 पुरुष था।
    - वर्ष 2011 में देश का लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1,000 पुरुष दर्ज किया गया, जबकि वर्ष 2022 तक इसके 950 महिला प्रति 1,000 पुरुष होने की उम्मीद है।
    - अभी भी लिंग चयन (प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर दोनों) के कारण विश्व स्तर पर लापता प्रत्येक तीन बालिकाओं में से एक भारत से है।
- **भुखमरी:** भारत में प्रजनन आयु वर्ग की प्रत्येक दूसरी महिला एनीमिक है और पाँच वर्ष से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा स्टंटिंग से ग्रस्त है।
    - वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 116 देशों के बीच 101वें स्थान पर है, जो एक ऐसे देश के लिये पर्याप्त चुनौतीपूर्ण है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा हेतु सबसे व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक का कार्यान्वयन करता है।
- **रोगों का बोझ:** पिछले 75 वर्षों में देश के रोगों के पैटर्न में भी व्यापक बदलाव आया है; जबकि भारत स्वतंत्रता के बाद संचारी रोगों से संघर्ष कर रहा था, अब उसका मुक़ाबला गैर-संचारी रोगों (NCDs) से हो रहा है जो कुल मौतों के 62% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार हैं।
    - रोग बोझ के मामले में भारत विश्व का अग्रणी देश है जहाँ 1990 के दशक से NCDs की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है।
        - भारत में आठ करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं।
        - वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों में से एक चौथाई से अधिक अकेले भारत में होती हैं।
    - भारत का स्वास्थ्य देखभाल ढाँचा भी अपर्याप्त और अक्षम है। इसके अतिरिक्त, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण भी कम है (सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1-1.5%) जो विश्व में न्यूनतम प्रतिशत में से एक है।

आगे की राह

- **वृद्ध आबादी पर ध्यान देना:** भारत वर्तमान में एक युवा राष्ट्र है लेकिन इसकी वृद्ध आबादी की हिस्सेदारी बढ़ रही है और यह वर्ष 2050 तक 12% होने की उम्मीद है।
    - इसलिये वृद्ध लोगों के लिये एक सुदृढ़ सामाजिक, वित्तीय और स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रणाली के विकास में अग्रिम निवेश करना समय की मांग है।
    - कार्रवाई का मुख्य ध्यान मानव पूंजी में व्यापक निवेश, वृद्धों के लिये गरिमापूर्ण जीवन और स्वस्थ जनसंख्या आयु-वृद्धि पर होना चाहिये।
    - वृद्ध व्यक्तियों के बढ़ते अनुपात के लिये सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुकूलित करने हेतु (जैसे सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणालियों की संवहनीयता में सुधार लाना) कदम उठाए जाने चाहिये।
- **बेहतर जीवन स्तर के लिये प्रयास:** उपयुक्त आधारभूत संरचना, अनुकूल सामाजिक कल्याण योजनाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वृहत निवेश के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है।
    - अनुकूल आयु वितरण के संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिये विश्व के देशों को अपनी मानव पूंजी के आगे और विकास में निवेश करने और उत्पादक रोज़गार तथा उपयुक्त कार्य अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    - जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अभी कोई गंभीर समस्या नहीं है। इसके बजाय जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये।
- **कौशल विकास:** 25-64 आयु वर्ग में शामिल जनसंख्या के कौशल निर्माण की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि वे अधिक उत्पादक होंगे और बेहतर आय प्राप्त करेंगे।
    - ग्रामीण या शहरी परिवेश से परे पब्लिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चा हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करे और उन्हें बाज़ार की मांग के अनुरूप उपयुक्त कौशल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की ओर धकेला जाए।

नोट :

- **कार्यबल में लैंगिक अंतर को दूर करना:** महिलाओं और बालिकाओं के लिये 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी के लिये नए कौशल और अवसरों की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
  - लैंगिक विपुंजित डेटा और नीतियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिये कानूनी रूप से अनिवार्य 'जेंडर बजटिंग'
  - बाल देखभाल लाभ को बढ़ाना
  - अंशकालिक कार्य के लिये कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देना

उत्तर-पूर्वी राज्यों का एकीकरण

संदर्भ

पूर्वोत्तर भारत—जिसे स्नेह से 'सात बहनों की भूमि' (land of seven sisters) भी पुकारा जाता है, देश के भौगोलिक और राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य भौगोलिक एवं पारिस्थितिक परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला से समृद्ध हैं और भारत के अधिकांश स्थानिक वनस्पतियों और जीवों के लिये भौगोलिक 'प्रवेश द्वार' हैं।

- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित है (अनुच्छेद 244)।
- पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय आबादी में 3.8% की हिस्सेदारी रखता है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 8% को कवर करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर—पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी जिसे 'चिकन नेक' के रूप में भी जाना जाता है, इस क्षेत्र को भारत की शेष मुख्य भूमि से जोड़ता है।
- एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा के आरंभ से ही पूर्वोत्तर भारत का भारतीय जीवन की मुख्यधारा में एकीकरण राष्ट्रीय एजेंडा पर रहा है। इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय अखंडता एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है जिस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

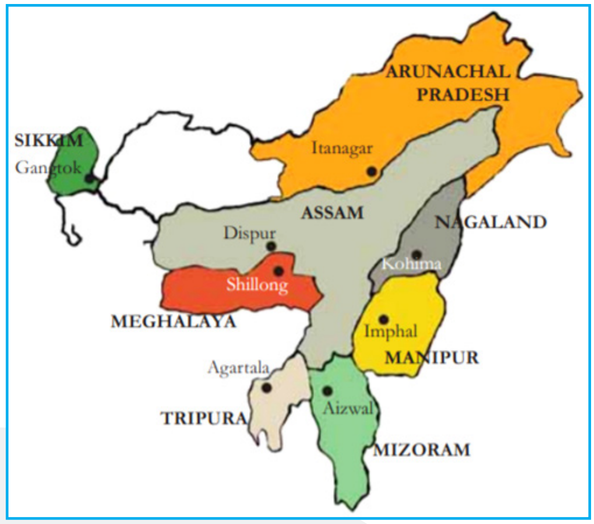

भारत के लिये पूर्वोत्तर का महत्त्व

- **रणनीतिक महत्त्व:** पूर्वोत्तर भारत दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे के लिये प्रवेश द्वार है। यह म्यांमार की ओर भारत का भूमि-सेतु है।
  - भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के पूर्व की ओर संलग्नता की क्षेत्रीय अग्रिम पंक्ति पर रखती है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** पूर्वोत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के लोकप्रिय त्योहारों में नगालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, सिक्किम का पांग ल्हबसोल (Pang Lhabsol) आदि शामिल हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत दहेज की कुरीति से मुक्त है।
  - पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियों का समृद्ध चित्रपट इसके अत्यधिक विकसित शास्त्रीय नृत्य रूपों (जैसे असम में बिहू) में परिलक्षित होता है।
  - मणिपुर में पवित्र उपवनों में प्रकृति की पूजा करने की परंपरा है, जिसे उमंगलाई (UmangLai) कहा जाता है।
- **आर्थिक महत्त्व:** आर्थिक रूप से यह क्षेत्र 'TOT' (Tea, Oil and Timber) के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है।
  - यह क्षेत्र 50000 मेगावाट जलविद्युत शक्ति की संभावना और जीवाश्म ईंधन के प्रचुर भंडार के साथ एक वास्तविक 'पावरहाउस' है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का अंग है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उच्चतम पक्षी और पादप जैव विविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इस क्षेत्र में भारत में मौजूद सभी भालू प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

उत्तर-पूर्वी भारत से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ

- **शेष भारत से पृथकता:** भौगोलिक कारणों और शेष भारत के साथ अविकसित परिवहन लिंक के कारण इस क्षेत्र तक पहुँच हमेशा से दुर्गम रही है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों की भौतिक स्थिति यह अनिवार्य बनाती है कि वे अपने पड़ोसियों के सामंजस्य में विकसित हों ।
  - इसके साथ ही, चूँकि ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ देखी जाती हैं, न केवल असम बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका पर्याप्त दबाव पड़ता है।
- **कुशल अवसंरचना की कमी:** अवसंरचना, यानी भौतिक (जैसे सड़क मार्ग, जलमार्ग, ऊर्जा आदि) के साथ-साथ सामाजिक अवसंरचना (जैसे शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएँ) किसी भी क्षेत्र के मानव विकास और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बदतर स्थिति भी है।
  - इस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक कमी के प्रमुख संकेतक हैं: भीड़भाड़ युक्त सड़कें, बिजली का बार-बार कटना, पेयजल की कमी आदि।
- **औद्योगिक विकास की धीमी गति:** औद्योगिक विकास के मामले में पूर्वोत्तर भारत ऐतिहासिक रूप से अविकसित रहा है।
  - स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन के कारण पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिक क्षेत्र को गंभीर आघात सहना पड़ा क्योंकि इसके व्यापार मार्ग देश के बाकी हिस्सों से कट गए थे।
    - इसने भारत के अन्य हिस्सों के साथ आर्थिक एकीकरण में बाधा डाली और निवेश के गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र के आकर्षण को भी कम कर दिया।
- **प्रादेशिक संघर्ष:** पूर्वोत्तर भारत में आज भी अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति मौजूद हैं जो प्राय: ऐतिहासिक सीमा विवादों और भिन्न जातीय, जनजातीय या सांस्कृतिक समानता से प्रेरित हैं। उदाहरण के लिये असम-मिज़ोरम सीमा विवाद।
  - इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की अपनी सक्रिय योजनाओं के साथ चीन चिंता का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भेद्यता एक प्रमुख चिंता है।
- **उग्रवाद और राजनीतिक समस्याएँ:** उग्रवाद या आतंकवाद एक राजनीतिक हथियार है और प्राय: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से संचित आक्रोश का परिणाम होता है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों ने अन्य भारतीय राज्यों से शोषण और अलगाव की भावना के साथ विद्रोही गतिविधियों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार देखा है।
    - यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम/उल्फा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) इस भूभाग में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी संगठन रहे हैं।

पूर्वोत्तर के विकास के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- **आधारभूत संरचना क्षेत्र में:**
  - भारतमाला परियोजना
  - क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)-उड़ान
- **कनेक्टिविटी के क्षेत्र में:**
  - कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना
  - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग
- **पर्यटन के क्षेत्र में:**
  - स्वदेश दर्शन योजना
- **अन्य:**
  - डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022
  - राष्ट्रीय बाँस मिशन

आगे की राह

- **पूर्वोत्तर से 'एक्ट-ईस्ट':** एक्ट ईस्ट नीति का व्यापक कार्यान्वयन पूरे देश के लिये प्रासंगिक है लेकिन पूर्वोत्तर के दीर्घकालिक विकास के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
  - इसके कार्यान्वयन का एजेंडा पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से तैयार किया जाना चाहिये।
- **भारत का संभावित पावरहाउस:** इसकी भू-सामरिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन भी इसे विकास और प्रगति के लिये भारत का एक संभावित पावरहाउस बनाता है।
  - क्षेत्र को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के लिये एक व्यापक ढाँचे को विकसित करने की आवश्यकता है।
    - सीमित उद्यम आधार में सुधार के लिये, स्थानीय उद्यमियों हेतु एक प्रमुख क्षमता निर्माण अभ्यास अपनाया किया जाना चाहिये।
- **पर्यटन का विकास:** पूर्वोत्तर के विकास का एक प्रमुख पहलू पर्यटन है, जिसमें इस क्षेत्र को मुख्यधारा के विकास में शामिल कर सकने की क्षमता है।
  - **यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं:** काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (जो एक सींग वाले गैंडे के लिये प्रसिद्ध है), असम में डिब्रू सैखोवा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा।

नोट :

- **कनेक्टिविटी की वृद्धि:** कनेक्टिविटी या संपर्क से वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है; इस दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर राज्यों के लिये हवाई संपर्क प्राथमिकता होनी चाहिये। सड़क और रेलवे परियोजनाओं का विकास आपदा-रोधी उपायों के अनुसार होना चाहिये।
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के संघ) से संपर्क बढ़ाने के हमारे प्रयासों में जापान एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है।
- **राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता:** एक उपेक्षित और कुशासित जनजातीय क्षेत्र से एक वास्तविक सॉफ्ट पावर के रूप में पूर्वोत्तर भारत की छवि को स्थापित करने के लिये धारणाओं को बदलना होगा, जिसके लिये समावेशिता को बढ़ावा देना और जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।
- **भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का विकास:** सड़क और पुल निर्माण गतिविधियों का समर्थन करने हेतु भौतिक आधारभूत संरचना व्यवहार्यता अनुसंधान के लिये एक अलग इकाई स्थापित की जानी चाहिये।
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शैक्षिक बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण बड़ी संख्या में यहाँ के छात्र शिक्षा के लिये देश के अन्य भागों में जाने के लिये विवश होते हैं, जिससे जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों दोनों की निकासी होती है।
        - यह पूर्वोत्तर राज्यों में व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है।
    - इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करने और डिजिटल समावेशन की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- **भूमि अभिलेख प्रबंधन:** पूर्वोत्तर में औपचारिक भूमि अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था कमज़ोर है और जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है।
    - यह भूमिधारकों को ऋण प्राप्ति से वंचित करता है और विभिन्न भूमि संबंधी विवादों को जन्म देता है।
    - भूमि अभिलेखों के रखरखाव की एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।
- **'स्पोर्ट्स पावरहाउस':** पूर्वोत्तर भारत देश के स्पोर्ट्स पावरहाउस के रूप में उभर रहा है जहाँ से कई बेहतरीन खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उभरकर सामने आए हैं।
    - मणिपुर की मैरी कॉम ने वर्ष 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर अनगिनत बालिकाओं को इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया था। वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में मणिपुर की ही मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर परंपरा को और समृद्ध किया।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का भविष्य

संदर्भ

अर्थव्यवस्था के विस्तार, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और व्यय शक्ति में वृद्धि के साथ देश की ऊर्जा मांग बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता का लगभग 98% जीवाश्म ईंधन (Fossil fuels) से और शेष 2% जैव ईंधन (Biofuels) द्वारा पूरा किया जाता है।

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 (National Policy on Biofuels 2018) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol- EBP) कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol blending) का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है।
- भारत जैसे तेज़ी से विकास करते देश के लिये ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना और एक उन्नतिशील निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। पेट्रोल के साथ स्थानीय रूप से उत्पादित इथेनॉल के सम्मिश्रण से भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने, स्थानीय उद्यमों एवं किसानों को ऊर्जा अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
- जबकि इथेनॉल सम्मिश्रण CO_2 उत्सर्जन को कम कर सकता है, इथेनॉल उत्पादन के लिये अकुशल भूमि एवं जल उपयोग के साथ ही खाद्य सुरक्षा चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

इथेनॉल सम्मिश्रण से अभिप्राय

- इथेनॉल एक कृषि सह-उत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होता है। यह चावल की भूसी या मक्का जैसे अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है।
    - वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाना इथेनॉल सम्मिश्रण या 'इथेनॉल ब्लेंडिंग' कहलाता है।
- वर्तमान में हमारे वाहनों में उपयोग किये जा रहे पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रित होता है।
    - भारत वर्ष 2030 तक इस अनुपात को 20% तक बढ़ाने का मूल लक्ष्य रखता था, लेकिन वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा इथेनॉल रोडमैप जारी किये जाने के साथ अब इस लक्ष्य को 2025 तक पूरा कर लेने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

भारत के लिये इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्त्व

- भारत ने वाहन निकास उत्सर्जन को कम करने के लिये पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण को अपनाया है।

- वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा पेट्रोलियम का शुद्ध आयात 185 मिलियन टन रहा था। अधिकांश पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों द्वारा किया जाता है और इसलिये एक सफल 20% इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम देश के लिये प्रति वर्ष 4 बिलियन डॉलर की बचत कर सकता है।

- नवीकरणीय इथेनॉल कंटेंट से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन (HC) के उत्सर्जन में शुद्ध कमी आने की उम्मीद है।
  - इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में स्वयं स्वच्छ रूप से और अधिक पूर्ण रूप से जलता है जिससे उत्सर्जन की कमी आती है।
- इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश के तेल आयात में कमी आएगी जिस पर उल्लेखनीय मात्रा में मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय करना पड़ता है।
  - आकलन किया जाता है कि इथेनॉल का 5% सम्मिश्रण (105 करोड़ लीटर) लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रतिस्थापन कर सकता है।
- कृषि अवशेषों से अधिकाधिक इथेनॉल का उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि करेगा और पराली जलाने की घटना में कमी लाकर वायु प्रदूषण को न्यूनतम करेगा।

इथेनॉल सम्मिश्रण से संबद्ध चुनौतियाँ

- **गन्ना उत्पादन की ओर बढ़ना:** 20% मिश्रण दर प्राप्त करने के लिये देश के मौजूदा शुद्ध बुवाई क्षेत्र के लगभग दसवें भाग को गन्ना उत्पादन की ओर मोड़ना होगा।
  - किसी एक फसल के लिये भूमि की ऐसी आवश्यकता से अन्य फसलों पर दबाव पड़ने की संभावना है और इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि आ सकती है।
  - पहले से ही संकेत मिलते हैं कि गन्ना की खेती अधिक होती जा रही है और भारत सरकार ने मई 2022 में भारत मक्का शिखर सम्मेलन में मक्का का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया था।
- **भंडारण की कमी:** आवश्यक जैव-रिफाइनरियों की वार्षिक क्षमता 300-400 मिलियन लीटर निर्धारित की गई है, जो अभी भी 5% पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रण की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
  - भंडारण मुख्य चिंता का विषय होने जा रहा है, क्योंकि अगर E10 आपूर्ति को E20 आपूर्ति के साथ जारी रखना है तो भंडारण को अलग करना होगा जो फिर लागत बढ़ाएगा।
    - E10 ईंधन 90% पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल का मिश्रण है।
    - E20 ईंधन 80% पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है।
- **खाद्य असुरक्षा:** पेट्रोल टैंक तक पहुँचता चीनी और गन्ना उत्पादन फिर साथ-साथ हमारे खाद्य, पशुओं के चारे, गोदामों में बफ़र स्टॉक या निर्यात हेतु पर्याप्त नहीं होगा।
  - भारत के लिये एक साथ घरेलू खाद्य आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करना, अनाज के लिये एक निर्यात बाज़ार बनाए रखना और आने वाले वर्षों में अपेक्षित दर पर अनाज को इथेनॉल में बदलना आसान नहीं होगा। यह ऐसा विषय है जिस पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता होगी।
- **राज्यों के बीच इथेनॉल परिवहन की अस्थिरता:** इथेनॉल के अंतर-राज्य परिवहन में अवरोध है क्योंकि सभी राज्यों द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के संशोधित प्रावधानों को एकसमान रूप से लागू नहीं किया गया है।
  - फीडस्टॉक या उद्योगों की अनुपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में इथेनॉल सम्मिश्रण को नहीं अपनाया गया है।
  - अखिल भारतीय स्तर पर इथेनॉल मिश्रित ईंधन और वाहनों के विकास के लिये इस चिंता को दूर किया जाना चाहिये।
- **नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कोई कमी नहीं:** चूँकि इथेनॉल का पेट्रोल की तुलना में पूरी तरह से दहन होता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जन नहीं करता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कोई कमी नहीं आती जो एक प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सरकारी पहल

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018
- E100 पायलट प्रोजेक्ट
- प्रधानमंत्री जी-वन (JI-VAN) योजना 2019
- प्रयुक्त कुकिंग ऑइल का पुन:उपयोग (Repurpose Used Cooking Oil- RUCO)

आगे की राह

- **इथेनॉल ब्लेंड की एकसमान उपलब्धता सुनिश्चित करना:** अखिल भारतीय उपयोग को सक्षम करने के लिये इथेनॉल ब्लेंड को अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी ताकि देश में इथेनॉल ब्लेंड की एकसमान उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- **उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देना:** गैर-खाद्य फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन (जिसे 'उन्नत जैव ईंधन'/ Advanced

Biofuels के रूप में जाना जाता है और जिसमें दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शामिल हैं) की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि खाद्य उत्पादन प्रणाली में कोई अवरोध उत्पन्न किये बिना इस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधन का दोहन किया जा सके।

- चावल की भूसी, गेहूँ की पराली, मकई के गोले और ऐसी अन्य सामग्री से उत्पादित इथेनॉल दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल की श्रेणी में आता है।

- **आपूर्ति संवृद्धि:** विभिन्न फीडस्टॉक्स से इथेनॉल उत्पादन के लिये योजनाएँ और जैव-रिफाइनरियों एवं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन।
  - बेहतर कार्यान्वयन के लिये उच्च इथेनॉल मिश्रणों हेतु इंजनों को अनुकूलित करना और स्थायित्व परीक्षण तंत्र सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **मंज़ूरी के लिये एकल खिड़की:** इथेनॉल उत्पादन हेतु नई और विस्तारित परियोजनाओं को त्वरित मंज़ूरी देने के लिये एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली तैयार की जानी चाहिये।
- **इथेनॉल के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना:** विस्तारित/नई इथेनॉल क्षमताओं में अनुमेयता लाने और उद्यमियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार तेल विपणन कंपनियों द्वारा खरीद हेतु वृद्धि उपबंध (escalation clause) के साथ कुछ वर्षों के लिये इथेनॉल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती है।
  - पूर्वोत्तर भारत में निवेशकों को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रयास करने की की आवश्यकता है।
- **खाद्य सुरक्षा और इथेनॉल सम्मिश्रण के बीच संतुलन रखना:** भारत की जैव ईंधन नीति यह निर्धारित करती है कि ईंधन की आवश्यकताओं को खाद्य आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा से बचना चाहिये और केवल अतिरिक्त खाद्य फसलों का उपयोग ही ईंधन उत्पादन के लिये किया जाना चाहिये।
  - फसल अवशेषों से इथेनॉल का उत्पादन तभी एक अच्छा विकल्प साबित होगा।

भारतीय विदेश नीति

संदर्भ

वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक विश्व व्यापक रूप से बदल चुका है। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के द्विध्रुवीय विश्व से लेकर अमेरिकी आधिपत्य के एक संक्षिप्त एकध्रुवीय काल तक और अब चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विध्रुवीय प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ने से लेकर बहुध्रुवीयता के एक भ्रम तक विश्व ने कई स्वरुप देखे हैं।

आज के इस विश्रृंखल विश्व में भारत को अपनी विशिष्ट विदेश नीति पहचान को परिभाषित करने और नैतिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय हित को संतुलित करने के लिये अपनी संलग्नता की रूपरेखा को आकार देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

‘स्टेट’ और ‘नेशन’ के बीच क्या अंतर है?

- स्टेट (State) या राज्य में चार तत्त्व होते हैं- जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता।
  - जबकि नेशन (Nation) या राष्ट्र साझा जातीयता, इतिहास, परंपराओं और आकांक्षाओं पर आधारित एक समुदाय होता है।
- एक वैधानिक निकाय के रूप में राज्य अपने लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिये उत्तरदायी है और यह बाह्य मानवीय कार्यकरण से संबंधित है।
  - जबकि राष्ट्र उन लोगों का एक निकाय होता है जो भावनात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से एकजुट होते हैं।
- क्षेत्र (Territory) भी राज्य का एक अनिवार्य अंग होता है, क्योंकि यह राज्य का भौतिक तत्त्व होता है।
  - लेकिन एक राष्ट्र के लिये, क्षेत्र इसका अनिवार्य अंग नहीं है। राष्ट्र एक निश्चित क्षेत्र के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है।
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में राज्य में कई राष्ट्र शामिल हैं और इस प्रकार वे ‘बहुराष्ट्रीय समाज’ (Multinational societies) हैं।

भारत की विदेश नीति अपने सक्रिय राष्ट्रीय हित को कैसे परिलक्षित करती है?

- **‘इंडिया फर्स्ट’ की नीति:** स्वतंत्रता के 75 वर्षों के साथ देश में ‘इंडिया फर्स्ट’ की विदेश नीति को अभिव्यक्त करने का वृहत आत्म-विश्वास और आशावाद मौजूद है। भारत अपने लिये स्वयं निर्णय लेता है और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति किसी भयादोहन या दबाव के अधीन नहीं लाई जा सकती।
  - विश्व की लगभग 1/5 आबादी के साथ भारत को अपना स्वयं का पक्ष चुनने और अपने हितों का ध्यान रखने का अधिकार है।
    - यह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मूल तत्त्व है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और भारत ने भी अन्य देशों की तरह विदेशी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के अनुपालन में अपने हितों पर बल दिया है।
- **यथार्थवादी कूटनीति:** आज के आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत के पास वैश्विक फलक पर अपनी नई आवाज़ है जिसकी जड़ें घरेलू वास्तविकताओं एवं सभ्यतागत लोकाचार में निहित होने के साथ ही स्वयं के प्रमुख हितों की खोज में गहराई से जमी हैं।

- जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री ने 'रायसीना डायलॉग' में टिप्पणी की थी कि ''विश्व को खुश करने की कोशिश करने के बजाय 'हम कौन हैं' के आधार पर विश्व से संलग्न होना बेहतर है।'' भारत अपनी पहचान और प्राथमिकताओं को लेकर पर्याप्त आत्म-विश्वास रखता है, दुनिया भारत के साथ इसकी शर्तों पर संलग्न होगी।
- **अपने लाभ के लिये शक्ति संतुलन बनाए रखना:** चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल को वर्ष 2014 में ही चुनौती दे देने वाली एकमात्र वैश्विक शक्ति होने से लेकर एक मज़बूत सैन्य कार्रवाई के साथ चीनी सैन्य आक्रमण का जवाब देने वाले देश के रूप में भारत ने दृढ़ता का परिचय दिया है।
  - दूसरी ओर, भारत ने किसी औपचारिक गठबंधन में शामिल हुए बिना ही अमेरिका के साथ एक कार्यकरण संबंध का विकास किया है और घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिये पश्चिमी देशों से संलग्नता बढ़ाई है।
    - भारत संलग्नता में अत्यंत व्यावहारिक रहा है और शक्ति के मौजूदा संतुलन का उपयोग अपने लाभ के लिये करने की इच्छा रखता है।
- **बढ़ते आर्थिक संबंध:** चूँकि शेष विश्व के साथ भारत की आर्थिक अन्योन्याश्रयता गहरी होती गई है, यह अपने उत्पादों, कच्चे माल के स्रोतों और इसके विस्तारित विदेशी सहायता के संभावित प्राप्तकर्त्ताओं के लिये बाज़ारों के प्रति अधिक चौकस हो गया है।

बहु-संरेखित/बहुपक्षीय दृष्टिकोण: चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड/Quad) से लेकर ब्रिक्स (BRICS) तक, भारत कई समूहों की सदस्यता रखता है।

प्राय: इसे पुरानी शैली की संलग्नता के रूप में देखा जाता है। हालाँकि भारत अपनी प्राथमिकताओं को अधिक प्रत्यक्ष तरीके से अभिव्यक्त और प्रोत्साहित करने लगा है।

हस्तक्षेप और अनुचित हस्तक्षेप: भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप (Iinterference) में विश्वास नहीं करता है।

हालाँकि, यदि किसी देश द्वारा किये गए किसी सायास या निष्प्रयास कार्यकरण में भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की क्षमता है तो भारत त्वरित और समयबद्ध हस्तक्षेप (Intervention) करने में संकोच नहीं करता है।

भारत की विदेश नीति के नैतिक पहलू

पंचशील (Five Virtues): 29 अप्रैल, 1954 को हस्ताक्षरित 'चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के के बीच व्यापार समझौते' में पहली बार व्यावहारिक रूप से 'पंचशील' के सिद्धांत को अपनाया गया था, जो बाद में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये आचरण के आधार के रूप में विकसित हुआ।

ये पाँच सिद्धांत हैं:

एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिये परस्पर सम्मान

परस्पर गैर-आक्रामकता

परस्पर गैर-हस्तक्षेप

समानता और पारस्परिक लाभ

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

वसुधैव कुटुम्बकम् (The World is One Family): 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भारतीय दर्शन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की अवधारणा को आधार प्रदान करता है।

दूसरे शब्दों में, भारत संपूर्ण विश्व समुदाय को एकल वृहत वैश्विक परिवार के रूप में देखता है, जहाँ इसके सदस्य सद्भाव से रहते हैं, एक साथ कार्य एवं विकास करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं।

सक्रिय और निष्पक्ष सहायता: भारत जहाँ भी संभव हो, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में संकोच नहीं करता है।

- यह क्षमता निर्माण और लोकतंत्र की संस्थाओं को सशक्त करने में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करने के रूप में किया जाता है, यद्यपि ऐसा संबंधित सरकार की स्पष्ट सहमति से किया जाता है (उदाहरण के लिये अफगानिस्तान)।
- **वैश्विक समस्या समाधान दृष्टिकोण:** भारत विश्व व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, वैश्विक शासन, स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक बहस एवं वैश्विक सहमति की वकालत करता है।
  - 'वैक्सीन डिप्लोमेसी' पहल के तहत भारत ने 60 मिलियन खुराक का निर्यात किया, जिनमें से आधे वाणिज्यिक शर्तों पर और 10 मिलियन अनुदान के रूप में प्रदान किये गए।

भारतीय विदेश नीति के समक्ष विद्यमान वर्तमान चुनौतियाँ

- **रूस-यूक्रेन संघर्ष:** यह निश्चित रूप से एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा है जहाँ भारत जैसे देशों के लिये राजनीति और नैतिक अनिवार्यता के बीच एक पक्ष चुनना कठिन कार्य है।
  - रूस भारत का व्यापार भागीदार है जिसे यूरेशियाई क्षेत्र में एक बढ़त प्राप्त है। प्रत्यक्ष रूप से रूस के विरुद्ध जाकर भारत इस क्षेत्र में अपने हितों को खतरे में डाल देगा।

- जैसा कि यथार्थवादी विवेक की मांग है, भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष पर राजनीति के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए सीधे एक नैतिक दृष्टिकोण नहीं अपना सकता।
- **आंतरिक चुनौतियाँ:** कोई देश बाह्य विश्व में शक्तिशाली नहीं हो सकता यदि वह घरेलू स्तर पर दुर्बल है।
  - भारत का 'सॉफ्ट पावर' तब उपयोगी होगा जब इसे 'हार्ड पावर' का समर्थन प्राप्त होगा।
    - भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बार-बार ज़ोर देते हुए कहा था कि भारत विश्व मंच पर तभी प्रभावी भूमिका निभा सकता है जब वह आंतरिक और बाह्य, दोनों रूप से सशक्त हो।
- **शरणार्थी संकट:** वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्षकार नहीं होने के बावजूद भारत विश्व में शरणार्थियों के सबसे बड़े स्थल वाले देशों में से एक रहा है।
  - यहाँ चुनौती मानवाधिकारों और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण को संतुलित करने की है। रोहिंग्या संकट के उभार के साथ प्रकट है कि समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिये भारत द्वारा अभी भी बहुत कुछ किया कर सकता है।
  - ये कार्रवाइयाँ मानवाधिकार के मामलों पर भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

आगे की राह

- **पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये सामूहिक दृष्टिकोण:** भारत में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता है, जो वर्ष 2070 तक 'नेट ज़ीरो' तक पहुँचने के लक्ष्य (वर्ष 2021 में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में घोषित) में परिलक्षित होती है।
  - पर्यावरणीय समस्याएँ सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक, आर्थिक और साथ ही पारिस्थितिक स्तर पर संवहनीयता प्राप्त करने की आवश्यकता है जैसा कि सतत् विकास लक्ष्यों में रेखांकित किया गया है।
- **आंतरिक और बाह्य विकास को संतुलित करना:** भारत को एक बाह्य वातावरण के निर्माण के लिये प्रयास करना चाहिये जो भारत के समावेशी विकास के अनुकूल हो, ताकि विकास का लाभ देश के निर्धनतम व्यक्ति तक पहुँच सके।
  - यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण, वैश्विक शासन से संबद्ध संस्थानों के सुधार जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर विश्व के विचार को प्रभावित करने में सक्षम हो।
- **विदेश नीति में नैतिक मूल्यों का प्रवेश कराना:** महात्मा गांधी ने कहा है कि सिद्धांत और नैतिकता से रहित राजनीति विनाशकारी होगी। भारत को नैतिक अनुनय के साथ सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिये और विश्व में अपने नैतिक नेतृत्व को पुन: प्राप्त करना चाहिये।
- **बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने के साथ-साथ नीति विकास:** हम एक गतिशील दुनिया में रह रहे हैं। इसलिये भारत की विदेश नीति को सक्रिय एवं लचीला होने के साथ ही व्यावहारिक होना होगा ताकि उभरती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया के लिये इसका त्वरित समायोजन किया जा सके।
  - हालाँकि अपनी विदेश नीति के कार्यान्वयन में भारत हमेशा बुनियादी सिद्धांतों की एक शृंखला का पालन करता है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाता। ये बुनियादी सिद्धांत हैं:
    - राष्ट्रीय आस्था और मूल्य
    - राष्ट्रीय हित
    - राष्ट्रीय रणनीति
- **वैश्विक एजेंडा को आकार देना:** भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक 'अग्रणी शक्ति' के रूप भूमिका निभा सकने की संभावनाओं का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है, जो कि वैश्विक मानदंडों और संस्थागत वास्तुकला को आकार दे सके, न कि इन्हें दूसरों द्वारा आकार दिया जाए और भारत बस अनुपालनकर्त्ता हो।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की आकांक्षा इसी भूमिका से संबद्ध है, जिसके लिये बड़ी संख्या में देशों ने पहले ही समर्थन देने का वादा कर रखा है।
- **विकास के लिये कूटनीति:** अपने विकास प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिये भारत को पर्याप्त बाह्य आदान/इनपुट की आवश्यकता है।
  - मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, अवसंरचना विकास, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया जैसे हमारे कार्यक्रमों की सफलता के लिये विदेशी भागीदारों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण की आवश्यकता है।
    - भारत की विदेश नीति को विकास के लिये कूटनीति के इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जहाँ आर्थिक कूटनीति को राजनीतिक कूटनीति के साथ एकीकृत किया जाए।

भारत में महिलाओं की स्थिति

कार्य का रूप एवं सीमा, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, निर्णयकारी निकायों में प्रतिनिधित्व, संपत्ति तक पहुँच आदि कुछ प्रासंगिक संकेतक हैं, जो समाज में व्यक्तिगत सदस्यों की स्थिति को प्रकट करते हैं। हालाँकि समाज के सभी सदस्यों की, विशेष रूप से महिलाओं की उन कारकों तक एकसमान पहुँच नहीं रही है, जो स्थिति के इन संकेतकों का गठन करते हैं।

पितृसत्तात्मक मानदंड भारतीय महिलाओं के शिक्षा एवं रोज़गार विकल्पों को—जिनमें शिक्षा प्राप्त करने के विकल्प से लेकर कार्यबल में प्रवेश और कार्य की प्रकृति तक सब शामिल हैं, को सीमित या प्रतिबंधित करते हैं।

इस परिदृश्य में देश की लगभग आधी आबादी और नागरिकता की हिस्सेदार महिलाओं की स्थिति पर विचार करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और प्रतिनिधित्व के संघर्ष में वे कहाँ खड़ी हैं।

महिला सशक्तीकरण के बारे में संविधान क्या कहता है ?

- लैंगिक समानता (gender equality) का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है।
    - संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव (positive discrimination) के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है ताकि उनके संचयी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अलाभ की स्थिति को कम किया जा सके।
- महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किये जाने (अनुच्छेद 15) और विधि के समक्ष समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) का मूल अधिकार प्राप्त है।
- संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिये यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे।

भारत में वे कौन-से क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है ?

- वर्षों से महिलाओं ने समाज के अन्याय और पूर्वाग्रह को झेला है। लेकिन आज बदलते समय के साथ उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है, उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ दिया है और अपने सपनों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये मज़बूती से खड़ी हैं। उदाहरण के लिये हम कुछ महिलाओं और उनकी हाल की उपलब्धियों को देख सकते हैं:
    - **सामाजिक कार्यकर्त्ता:**
        - सिंधुताई सपकाळ(पद्म श्री 2021) – अनाथ बच्चों की परवरिश
    - **पर्यावरणविद्:**
        - तुलसी गौड़ा(पद्म श्री 2021) – वे 'वन विश्वकोश' (Encyclopaedia of Forest) पुकारी जाती हैं
    - **रक्षा क्षेत्र:**
        - अवनी चतुर्वेदी – एकल रूप से लड़ाकू विमान (मिग-21 बाइसन) का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला
    - **खेल क्षेत्र:**
        - मैरी कॉम – ओलिंपिक में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला।
        - पीवी सिंधु – दो ओलंपिक पदक (कांस्य- टोक्यो 2020) और (रजत- रियो 2016) जीतने वाली पहली भारतीय महिला।
        - भारतीय महिला क्रिकेट टीम – फाइनलिस्ट (सिल्वर मेडल), राष्ट्रमंडल खेल 2022
    - **अंतर्राष्ट्रीय संगठन में:**
        - गीता गोपीनाथ – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री।
    - **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:**
        - टेसी थॉमस – 'मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया' के रूप में प्रतिष्ठित (अग्नि-V मिसाइल परियोजना से संबद्ध)
    - **शिक्षा क्षेत्र:**
        - शकुंतला देवी – सबसे तेज़ मानव संगणना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
        - शानन ढाका – राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा (NDA का पहला महिला बैच) में AIR 1
        - UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में शीर्ष 3 अखिल भारतीय रैंक महिला उम्मीदवारों द्वारा हासिल की गई।

भारत में महिलाओं से संबंधित चिंता के वर्तमान क्षेत्र

- **पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर:** हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बदतर है।

- ग्रामीण भारत में विद्यालय दूर स्थित हैं और सुदृढ़ स्थानीय कानून व्यवस्था के अभाव में बालिकाओं के लिये स्कूली शिक्षा के लिये लंबी दूरी की यात्रा करना असुरक्षित लगता है।
- कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह जैसी पारंपरिक प्रथाओं ने भी समस्या में योगदान दिया है जहाँ कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक लगता है।

- **लैंगिक भूमिका के संबंध में रुढ़िग्रस्तता:** अभी भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका यह मानता है कि वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ निभाने और बाहर जाकर कार्य करने की भूमिका पुरुषों की है।
  - लैंगिक भूमिका के संबंध में रुढ़िग्रस्तता ने आमतौर पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जन्म दिया है।
    - उदाहरण के लिये, महिलाओं को बच्चों के पालन-पोषण संबंधी उनके कार्यों के कारण कर्मियों/श्रमिकों के रूप में कम विश्वसनीय माना जाता है।
- **समाजीकरण प्रक्रिया में अंतर:** भारत के कई भागों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिये अभी भी समाजीकरण के मानदंड अलग-अलग हैं।
  - महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे निश्चित तरीके से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा होती है। इसकी तुलना में पुरुष अपनी इच्छानुसार कैसा भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है।
- **विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** पूरे भारत में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है।
  - अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- IPU) और संयुक्त राष्ट्र- महिला (UN Women) की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले भारत 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर था।
- **सुरक्षा संबंधी चिंता:** भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के बावजूद महिलाओं को भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, तस्करी जबरन वेश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है।
- **'पीरियड पॉवर्टी' (Period Poverty):** पीरियड पॉवर्टी विश्व के कई देशों, विशेष रूप से भारत में गंभीर चिंता का विषय है. पीरियड पॉवर्टी मासिक धर्म को ठीक से प्रबंधित करने के लिये आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ़-सफ़ाई सुविधाओं तक पहुँच की कमी को इंगित करती है।
  - वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) द्वारा किये गए एक अध्ययन से प्रकट हुआ कि भारत में केवल 13% बालिकाओं को पहले मासिक धर्म से गुज़रने के पूर्व से इसके बारे में पता था।
- **'ग्लास सीलिंग':** न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में महिलाओं को एक सामाजिक बाधा का सामना करना पड़ता है जो उन्हें प्रबंधन क्षेत्र में शीर्ष नौकरियों तक पदोन्नत होने से रोकता है।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- उज्ज्वला योजना
- स्वाधार गृह
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
- वन स्टॉप सेंटर

आगे की राह

- **शिक्षा के बेहतर अवसर:** महिलाओं को शिक्षा देने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षा प्रदान करना। महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है।
  - यह समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने का भी अवसर देती है। शिक्षा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और आत्मविश्वास जगाती है।
  - बालिकाओं के लिये शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव से मुक्त रहने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा नीति को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है।
    - इसके साथ ही, शिक्षा नीति को युवाओं और बालकों को लक्षित करना चाहिये कि बालिकाओं और महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आए।
- **'स्किलिंग' और 'माइक्रो फाइनेंसिंग':** कौशल निर्माण या स्किलिंग और सूक्ष्म वित्तपोषण या माइक्रो फाइनेंसिंग से महिलाएँ आर्थिक रूप से स्थिर बन सकती हैं और इस प्रकार वे समाज के दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं बनी रहेंगी।
  - महिलाओं को बाज़ार की मांग के अनुरूप गैर-पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षण देना और महिलाओं के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वृहत रोज़गार सृजित करना वित्तीय सशक्तीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **महिलाओं की सुरक्षा:** देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान सरकार की पहल और तंत्र के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु एक बहु-क्षेत्रीय रणनीति तैयार की जानी चाहिये।

- 'पैनिक बटन', 'निर्भया पुलिस स्क्वॉड' महिला सुरक्षा की दिशा में कुछ सराहनीय कदम हैं।
- 'महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' को महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और महिलाओं के स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले एक सक्षम वातावरण का निर्माण करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- **शासन के निम्नतम स्तर पर निर्दिष्ट कार्य:** शासन में अधिक समावेशीता लाने और भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिये शासन के निम्नतम स्तर पर परियोजनाओं को तैयार करने, समर्थन करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये:
  - **स्वागतम् नंदिनी (कटनी, मध्य प्रदेश):** यह पहल बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाने के उद्देश्य से की गई है।
    - 'लाडली लक्ष्मी योजना' के तहत बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिये एक छोटे से आयोजन के साथ नवजात बच्चियों के माता-पिता को बेबी किट प्रदान किया जाता है।
  - **नन्हे चिन्ह (पंचकुला, हरियाणा):** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) द्वारा प्रोत्साहित इस कार्यक्रम के तहत बच्चियों को उनके परिवारों द्वारा स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों में लाया जाता है।
    - उनके पैरों के निशान एक चार्ट पेपर पर अंकित किये जाते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र की दीवार पर माँ और बच्चियों के नाम के साथ लगाए जाते हैं।
- **शिक्षा में प्रोत्साहन:** बालिकाओं के उच्च ड्रॉपआउट दर पर अंकुश के लिये उच्च शिक्षा हेतु अपेक्षाकृत उच्च वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - शिक्षा, सूचना और संचार अभियानों के माध्यम से समान बाल लिंगानुपात प्राप्त करने में सक्षम होने वाले ग्रामों/ज़िलों को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।
  - ई-गवर्नेंस पर अतिरिक्त बल दिया जाना चाहिये ताकि छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति के लिये केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाने वाले परिव्यय की समयबद्ध जाँच हो सके।
- **ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार:** बुनियादी ढाँचे में सुधार से घरेलू कार्य का बोझ कम हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, ग्रामीण महिलाओं के घरेलू कार्यों में प्राय: पानी और ईंधन की लकड़ी लाने जैसे कठिन कार्य शामिल होते हैं। पाइप से पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छ प्राकृतिक गैस (जिसमें सुधार आ भी रहा है) इस भार को कम करेगा।
- **महिला विकास से महिला नेतृत्वकारी विकास की ओर:** महिलाओं को भारत की प्रगति और विकास के वास्तुकार की भूमिका सौंपी जानी चाहिये, बजाय इसके कि वे विकास के फल की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता भर बनी रहें।
  - महिला नेतृत्वकारी विकास का शृंखला प्रभाव निर्विवाद है क्योंकि एक शिक्षित और सशक्त महिला आने वाली पीढ़ियों के लिये शिक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करेगी।

भारत में श्रम सुधार

कार्य अथवा श्रम (Work) प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन का अंग होता है और यह मनुष्य के रूप में उसकी गरिमा, कल्याण तथा विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक विकास का अर्थ केवल नौकरियों का सृजन ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध उन कार्य स्थितियों या कार्य-दशाओं के सृजन से भी है जिनमें व्यक्ति स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं सम्मान के साथ कार्य करने में सक्षम होता है।

वर्ष 2020 में भारत में लगभग कर्मियों अथवा कामगारों की संख्या 501 मिलियन थी, जो चीन के बाद किसी देश में कर्मियों की सबसे बड़ी संख्या है। देश के कुल श्रम बल (Labour force) में से 41.19% कृषि उद्योग में, 26.18% उद्योग क्षेत्र में और 32.33% सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

भारत के श्रम बल को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है- संगठित क्षेत्र (Organised Sector) और असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector)। भारत की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या यह है कि इसके अधिकांश नागरिक बेहतर जीवनयापन के लिये संघर्षरत हैं।

केवल रोज़गार ही उनकी समस्याओं का कारण नहीं है, बल्कि उस रोज़गार की खराब गुणवत्ता, अपर्याप्त एवं अनिश्चित आय और बदतर कार्य-स्थिति योगदान का भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान है चाहे वे कहीं भी कार्यरत हों।

संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर

- भारत में संगठित क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र लाइसेंस प्राप्त संगठनों को संदर्भित करता है, अर्थात् वे संगठन जो पंजीकृत हैं और 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) का भुगतान करते हैं।
  - इनमें सार्वजनिक कारोबारी कंपनियाँ, निगमित या औपचारिक रूप से पंजीकृत निकाय, निगम, कारखाने और बड़े व्यवसाय शामिल हैं।
- असंगठित क्षेत्र, जिसे स्वयं के स्वामित्त्व वाले उद्यम के रूप में भी जाना जाता है, सभी लाइसेंस-रहित, स्व-नियोजित या अपंजीकृत आर्थिक गतिविधियों (जैसे स्वामी संचालित जनरल स्टोर, हस्तशिल्प एवं हथकरघा श्रमिक, ग्रामीण व्यापारी, किसान आदि) को संदर्भित करता है।

नोट :

भारत में कामगारों के संबंध में मौजूद ढाँचा

- **संवैधानिक ढाँचा:** भारतीय संविधान के तहत श्रम (Labour) को एक विषय के रूप में समवर्ती सूची में रखा गया है और इसलिये केंद्र और राज्य दोनों सरकारें (केंद्र के लिये आरक्षित कुछ मामलों को छोड़कर) इस विषय पर विधि बना सकती हैं।
- **न्यायिक व्याख्या:** रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ''भले ही 'समान कार्य के लिये समान वेतन' के सिद्धांत को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, यह एक लक्ष्य है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 39 (c) के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
  - **अनुच्छेद 14:** यह भारत के राज्यक्षेत्र में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 16:** यह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 39 (c):** यह निर्दिष्ट करता है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार हो कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी संकेंद्रण न हो।

- **विधिक ढाँचा:** श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिये और कार्य-दशाओं में सुधार के लिये सरकार द्वारा कई विधायी और प्रशासनिक पहलें की गई हैं। इस संबंध में अभी हाल में 4 श्रम संहिताओं का एक समेकित समूह भी लाया गया है जिन्हें अभी लागू किया जाना है।
  - **श्रम संहिताएँ (Labour Codes):**
    - वेतन संहिता, 2019
    - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
    - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
    - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
  - इनके कार्यान्वयन में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों द्वारा इन संहिताओं के तहत अपने नियमों को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है।

श्रम संहिताओं के लाभ

- **जटिल कानूनों का सरलीकरण:** ये श्रम संहिताएँ कम-से-कम पिछले 17 वर्षों से विचाराधीन 29 केंद्रीय कानूनों को समेकित कर श्रम कानूनों को सरल बनाती हैं।
  - यह उद्योग और रोज़गार को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा और व्यवसायों क संदर्भ में परिभाषा एवं अधिकार की बहुलता को कम करेगा।
- **आसान विवाद समाधान:** ये संहिताएँ पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और निर्णयन प्रक्रियाओं में सुधार लाने का उद्देश्य रखती हैं, जिससे विवाद का त्वरित निपटान संभव होगा।
- **कारोबार सुगमता:** कई अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) की स्थिति बनेगी।
  - उनका अनुमान है कि इन सुधारों से आंतरिक अंतर्विरोधों में कमी आएगी, लचीलेपन में वृद्धि होगी और सुरक्षा एवं कार्य स्थिति विनियमों का आधुनिकीकरण होगा।
- **लैंगिक समानता:** सभी क्षेत्रों में महिलाओं को रात्रिकालीन कार्य कर सकने की अनुमति दी जानी चाहिये जहाँ नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस संबंध में महिला कर्मियों की पूर्व-सहमति प्राप्त होनी चाहिये।

वर्तमान श्रम सुधारों से संबंधित संदिग्ध क्षेत्र

- **'निरीक्षक सह सुविधा प्रदानकर्त्ता':** नई संहिताओं में एक 'निरीक्षक सह सुविधाकर्त्ता' या 'इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर' (Inspector-cum-Facilitator) की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जिसके पास अनुपालन की जाँच करने के साथ-साथ अनुपालन हेतु व्यवसायों को सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व होगा।
  - 'फैसिलिटेटर' के रूप में भूमिका एक नया तत्त्व प्रतीत होता है और इस भूमिका तथा 'इंस्पेक्टर' की पारंपरिक ज़िम्मेदारियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **कामगारों और कर्मचारियों को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी:** कामगारों (Workers) एवं कर्मचारियों (Employees) के बीच अंतर, ओवरटाइम मुआवज़ा (विशेषकर कोविड के चलते दूरस्थ कार्य नीतियों के प्रकाश में) और संगठनों एवं गिग वर्कर्स के बीच संबंध जैसे मामलों के बारे में और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता थी।

- **छोटे स्टार्टअप और अनौपचारिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कवरेज़ से वंचित:** छोटे स्टार्टअप, 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों' (MSMEs) या 300 से कम कामगारों वाले छोटे प्रतिष्ठानों से संलग्न कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
  - प्रवासी कामगार, स्व-नियोजित कामगार, गृह-आधारित कामगार और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कमज़ोर समूह सामाजिक सुरक्षा लाभों के अंतर्गत कवर नहीं किये गए हैं।
  - इससे कंपनियों को अपने कामगारों के लिये मनमानीपूर्ण सेवा शर्तें लागू करने का अवसर मिलेगा।
- **धर्मार्थ या गैर-लाभकारी प्रतिष्ठानों का गैर-समावेशन:** 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता' ने धर्मार्थ या गैर-लाभकारी प्रतिष्ठानों को दायरे में नहीं लिया है।
  - वास्तव में देश में कोई भी केंद्रीय कानून मौजूद नहीं है जो चैरिटी या धर्मार्थ संगठनों के शासन का विनियमन करता हो।
- **अदृश्य श्रम को चिह्नित नहीं किया जाना:** अदृश्य श्रम (Invisible labour) श्रम का वह भाग है जिसे चिह्नित नहीं किया जाता या जिस पर ध्यान नहीं जाता और इस प्रकार यह अविनियमित रह जाता है।
  - आम तौर पर अवैतनिक कार्य को 'अदृश्य श्रम' कहा जाता है।
    - बाल देखभाल, घरेलू कार्य, परिवार के बुजुर्गों की देखभाल आदि अवैतनिक कार्य के कुछ उदाहरण हैं और अदृश्य श्रम का गठन करते हैं।
  - अदृश्य श्रमिकों में से अधिकांश महिलाएँ हैं जो सबसे कठिन कार्य करती हैं और उनके लिये कोई सप्ताहांत अवकाश, निर्धारित कार्य समय या छुट्टी का प्रावधान नहीं है साथ ही न तो उनके योगदान को कोई मान्यता दी जाती है और न ही सराहना की जाती है।
  - चारों नई संहिताओं में से किसी में भी अदृश्य श्रम के बारे में बात नहीं की गई है।

आगे की राह

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण:** भारत के श्रम कार्यबल को अनुकूलित और सशक्त बनाने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु एजेंसियों को मान्यता देना अथवा मानक एजेंसियों की स्थापना करना आवश्यक है।
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण और अकादमिक शिक्षा को आपस में संयुक्त करने के लिये एक रूपरेखा विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** राज्य सरकारों को असंगठित कामगारों के कल्याण के लिये कानून बनाना चाहिये, जो स्पष्ट रूप से संग्रहण वाले संसाधनों और उन्हें दिये जाने वाले लाभों के साथ-साथ संस्थागत तंत्र की पहचान कर सके।
  - असंगठित कामगारों के लिये कल्याणकारी सेवाओं की भी आवश्यकता है, जैसे 'रिस्क कवर मोड' में कार्य के दौरान दुर्घटनाओं या मृत्यु के लिये मुआवजा, वृद्धावस्था पेंशन आदि प्रदान करना।
- **रोज़गार सूचना सेवा:** पिछड़े ज़िलों में रोज़गार गारंटी प्रदान करने के लिये नई पहल का समर्थन करने हेतु ई-गवर्नेंस के माध्यम से रोज़गार सूचना सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से रोज़गार अवसरों के बारे में जानकारी निम्नतम स्तर तक पहुँचनी चाहिये।
- **भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ समस्या समाधान को एकीकृत करना:** संहिता के अधिकांश प्रावधान अतीत की मांगों और विसंगतियों को संबोधित करते हैं, जो अतीत की क्षति के लिये पुनर्स्थापनात्मक न्याय के रूप में कार्य करते हैं।
  - यह भी आवश्यक है कि कामगारों के संरक्षण और विवादों के प्रबंधन (ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स, AI-संचालित कार्यबल और बायोइंजीनियरिंग से संबंधित विवाद) के लिये एक भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए क्योंकि ये विषय भविष्य में श्रमिकों के अधिकारों को बाधित कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा

संदर्भ

अक्षय ऊर्जा (Renewable energy) ने ग्रिड पावर को बढ़ाने, ऊर्जा पहुँच प्रदान करने, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने और भारत को अपने निम्न कार्बन विकास पथ पर आगे बढ़ाने में मदद करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है।

- भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म-आधारित स्थापित विद्युत क्षमता में देश की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत विश्व भर में सौर- आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ साझेदारी में वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की स्थापना को बढ़ावा दिया था। वर्ष 2018 में ISA को एक संधि-आधारित संगठन में बदल दिया गया है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है।

- यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो सौर ऊर्जा, ऊर्जा के सबसे बहुमुखी रूपों में से एक है जो अपार संभावनाएँ रखती है। सौर ऊर्जा भारत में कृषि क्षेत्र के लिये एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकती है; यह मूल्यवान जल संसाधनों की बचत करेगी, ग्रिड पर निर्भरता को कम करेगी और यहाँ तक कि किसानों के लिये राजस्व का अतिरिक्त माध्यम भी बन सकती है।

ऑफ-ग्रिड और ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा

- ऑन-ग्रिड का अर्थ उस सौर प्रणाली से है जो स्थानीय यूटिलिटी के ग्रिड या यूटिलिटी कंपनी से जुड़ी होती है।
  - यूटिलिटी प्रणाली सौर ऊर्जा उपयोगकर्त्ताओं के लिये बैटरी स्पेस के रूप में कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि सौर पैनलों द्वारा उत्पादित अधिशेष ऊर्जा को ग्रिड की बिजली कंपनी को भेजा जाता है और बदले में एक क्रेडिट का सृजन होता है जिसे वर्ष के अंत में भुनाया जा सकता है।
    - ग्रिड से जुड़ा होना लाभप्रद है क्योंकि किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा के संग्रहण के लिये महंगे बैटरी बैक-अप सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- ऑफ-ग्रिड का अर्थ है कि ग्रिड के पावर सिस्टम या यूटिलिटी कंपनी से कोई जुड़ाव नहीं होता है।
  - शत-प्रतिशत आत्मनिर्भर ऊर्जा उपयोग के कारण यह आकर्षक है।
    - हालाँकि इसके अपने नुकसान भी हैं क्योंकि ऑफ-ग्रिड प्रणाली के लिये एक बैक-अप बैटरी की आवश्यकता होती है जो महंगी और भारी होने के साथ ही पर्यावरण के कम अनुकूल भी हो सकती है और इस प्रकार सौर ऊर्जा के मूल उद्देश्य (धन की बचत और हरित जीवन) को ही नष्ट कर सकती है।

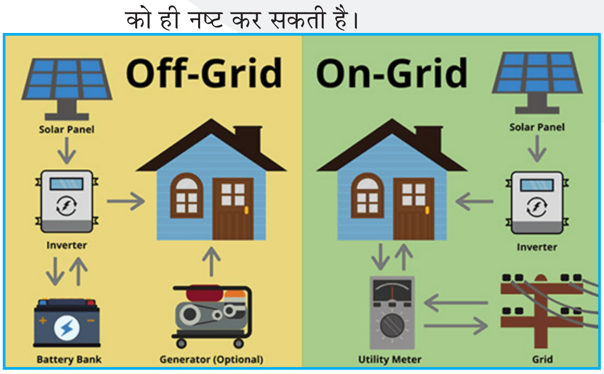

कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा की संभावनाएँ

- सौर ऊर्जा कृषि फार्मों पर ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति को आसानी से सुनिश्चित कर सकती है। विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा अवशोषणकारी उपकरण एवं प्रणालियाँ विकसित की गई हैं और कृषि अनुप्रयोगों के लिये उनका उपयोग किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं:
  - **सोलर पंपिंग सिस्टम:** यह भारत में पहले से ही भारी दबावपूर्ण सिंचाई प्रणाली को संचालित करने में पर्याप्त सहायक है।
    - विशेष रूप से, सौर पंप सिंचाई नहरों से जल खींचने के उपकरणों के रूप में उपयोगी हो सकते हैं और उन क्षेत्रों में जल के समान रूप से वितरण में सहयोग कर सकते हैं जहाँ पारंपरिक जल प्रणालियों तक पहुँच नहीं हो (जैसे कि ऊँचे पहाड़ी इलाके)।
  - **सोलर क्रॉप ड्रायर:** विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये विभिन्न प्रकार के सोलर ड्रायर (Solar Dryer) उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग आलू, अनाज, गाजर और मशरूम जैसे कृषि उत्पादों को सुखाने के लिये किया जा सकता है।
  - **सोलर स्प्रेयर:** सौर कीटनाशक स्प्रेयर मशीन छोटे किसानों की मदद कर उनकी उत्पादकता में सुधार ला सकते हैं।
    - अधिकांश कीटनाशक छिड़काव गतिविधि दिन के समय की जाती है, इसलिये इन स्प्रे मशीनों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा ग्रहण कर किया जा सकता है और इन मशीनों के लिये बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी।
  - **सौर ऊर्जा से संचालित ट्रैक्टर:** ट्रैक्टर ने विभिन्न प्रकार के औजारों और उपकरणों की मदद से बहुत सारे कार्य संभव बनाकर कृषि फार्मिंग को कृषि-उद्योग में बदलने में योगदान दिया है।
    - आमतौर पर ट्रैक्टर के लिये तेल की आवश्यकता होती है जिससे खेती की लागत बढ़ती है और तेल ईंधन का दहन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से वातावरण को प्रदूषित करता है।
    - सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्रैक्टर इसका बेहतर विकल्प हो सकते हैं जो दिन के समय प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्य कर सकते हैं, जबकि बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा की मदद से रात के समय भी कार्य जारी रखा जा सकता है।

भारत के कृषि क्षेत्र के साथ सौर ऊर्जा को एकीकृत करने के मार्ग की चुनौतियाँ

- **भूमि की कमी:** भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता अत्यंत कम है। भारत में भूमि पहले से ही एक दुर्लभ संसाधन है, जिसकी मांग किसानों, उद्योगों, वाणिज्यिक एवं सेवा संस्थानों और सरकार द्वारा की जाती रही है।
  - सौर सेल की विशेष स्थापना के लिये सबस्टेशनों के पास भूमि क्षेत्र के अधिग्रहण को उन अन्य आवश्यकताओं एवं गतिविधियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ सकती है जिनके लिये भूमि की मांग की जाती है।

- **निर्यात-प्रेरित बाज़ार:** निर्माता प्राय: निर्यात बाज़ारों पर केंद्रित हैं जो उच्च कीमतों पर सौर सेल और मॉड्यूल की खरीद करते हैं। निर्माताओं के लिये यह अधिक लाभकारी कारोबार है।
  - कई नए आपूर्तिकर्ताओं ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खिलाड़ियों के साथ सहयोग स्थापित किया है, जहाँ निर्यात मांग को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप भारत में तेज़ी से बढ़ते स्थानीय बाज़ार के लिये आपूर्ति कम हो सकती है।
- **ग्रिड एकीकरण:** सौर क्षेत्र के लिये सबसे बड़ी चुनौती इतने वृहत देश में ग्रिड एकीकरण की है। इसके साथ ही वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की खराब वित्तीय स्थिति भी एक प्रमुख चुनौती है।
- सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति का अभाव: भारत के महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा स्थापना लक्ष्यों को एक सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति (Solar Waste Management Policy) का सहयोग प्राप्त नहीं है।
  - सौर अपशिष्ट बेकार हुए सोलर पैनल से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है। यह अगले दशक तक कम से कम चार-पाँच गुना बढ़ सकता है।
- **वाणिज्यिक व्यवहार्यता और उपयोगिता:** सौर ऊर्जा उत्पादन तकनीक में अभी भी पर्याप्त सुधार किया जाना शेष है ताकि यह भारत के लिये व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बन सके।
  - स्थलाकृतिक या जलवायु की दृष्टि से भी सूर्य की किरणें पूरे वर्ष किसी विशेष स्थान पर एकसमान रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं।
  - इसके अलावा, लोगों को, विशेष रूप से किसानों को अभी भी इसके उपयोग और उपयोगिता के बारे में शिक्षित और आश्वस्त करना शेष है।
    - ताप विद्युत संयंत्रों के विपरीत सौर ऊर्जा उपभोक्ता प्रधान साधन है और इसलिये इसकी सफलता के लिये लोगों की भागीदारी और स्वीकृति अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय हैं।

भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि के कार्यान्वित सरकारी योजनाएँ

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
- राष्ट्रीय सौर मिशन
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
- 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG)

आगे की राह

- **प्रोत्साहन-आधारित विस्तार नीतियाँ:** एक गैर-नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित प्रणाली से नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित कृषि प्रणाली में रूपांतरण के मार्ग में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं।
  - इस रूपांतरण को तत्काल लेकिन व्यवस्थित होना चाहिये और इसे देश में सौर नेटवर्क के विस्तार हेतु प्रोत्साहन-आधारित नीतियों के साथ समर्थित होना चाहिये।
- **विकास के लिये बहु-संभावनाशील उम्मीदवार के रूप में सौर ऊर्जा:** सौर ऊर्जा घरेलू उपयोगिता के लिये बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन संचालन चलाने के लिये एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। यह भविष्य में कूलिंग और हीटिंग आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा।
- **बेहतर वित्त पोषण और प्रशिक्षण:** भारत ग्रामीण स्तर पर सौर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बेहतर वित्तीय बुनियादी ढाँचे, मॉडल और व्यवस्था की आवश्यकता रखता है।
  - मानव संसाधनों को प्रशिक्षित एवं विकसित करने के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है ताकि गाँव सौर उपकरणों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन सकें।
- **उपभोक्ता जागरूकता:** प्रौद्योगिकी, इसके अर्थशास्त्र और सही उपयोग के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
  - 'हर खेत में सौर ऊर्जा के लिये सौर शुभंकर' जारी किया जा सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और ऊर्जा प्रबंधन में सौर ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में जागरूकता प्रसार में सहायक होगा।
- **सौर ऊर्जा लक्ष्यों को वर्तमान अभियानों से जोड़ना:** 'मेक इन इंडिया', 'स्मार्ट सिटी मिशन' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे अभियानों को ऑफ-ग्रिड सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सकता है जिससे 'ग्रिड रेडी इंडिया' का निर्माण होगा।
  - यदि इन पहलों को परिकल्पना के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है तो फिर वह दिन दूर नहीं जब भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में विश्व के नेतृत्वकर्ताओं में से एक होगा।
- **सौर उत्पादन के अनुरूप कृषि:** सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के साथ भूमि का संयुक्त रूप से कृषि उपयोग किया जाना चाहिये।
  - यह खाद्य फसलों के उत्पादन के साथ ही मृदा की सुरक्षा और जल की बचत को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
    - यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान के साथ-साथ खाद्य, जल, ऊर्जा और जलवायु की संवहनीयता को बढ़ा सकता है।

राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आवश्यकता

भारत में शरणार्थी आगमन वर्ष 1947 में देश के विभाजन के साथ शुरू हुआ और वर्ष 2010 के आरंभ तक भारतीय भू-भाग में शरणार्थियों की संख्या लगभग 450,000 तक पहुँच गई थी।

भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय (Refugee Conference) या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है। चूँकि भारत में कोई शरणार्थी कानून मौजूद नहीं है इसलिये देश में शरणार्थियों के प्रति व्यवहार में कोई एकरूपता भी नहीं है।

हालाँकि शरणार्थी का प्रश्न मानवाधिकारों और मानवीय कानून के बड़े प्रश्न के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य क्षेत्रों, जैसे राज्य के उत्तरदायित्व और शांति बनाए रखने के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

शरणार्थियों के प्रबंधन के लिये भारत में विद्यमान वर्तमान विधायी ढाँचा

- भारत सभी विदेशियों (चाहे वे अवैध अप्रवासी हों, शरणार्थी/शरण की मांग करने वाले हों या वीजा परमिट की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी देश में निवास करने वाले लोग हों) के साथ निम्नलिखित कानूनों के अनुसार कार्रवाई करता है:
  - **विदेशी अधिनियम, 1946:** इसकी धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें निर्वासित करने का अधिकार है।
  - **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 [Passport (Entry into India) Act, 1920]:** इसकी धारा 5 के तहत, सक्षम प्राधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के तहत किसी अवैध विदेशी व्यक्ति को बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं।
  - **विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 (Registration of Foreigners Act of 1939):** इसके अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता लागू है जिसके तहत भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों (विदेशी भारतीय नागरिकों को छोड़कर) को दीर्घावधिक वीजा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
  - **नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955):** इसमें नागरिकता का त्याग, नागरिकता पर्यवसान और नागरिकता से वंचित किये जाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- इसके अलावा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
- भारत ने शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुपालन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) स्थापित की है।
- भारत का संविधान भी मानव के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करता है।
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि भारतीय नागरिकों के लिये सभी मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं तथापि समता का अधिकार और जीवन का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है।

भारत में शरणार्थियों की स्थिति

- अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं:
  - वर्ष 1947 में विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी।
  - वर्ष 1959 में भारत आने वाले तिब्बती शरणार्थी।
  - 1960 के दशक की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से आए चकमा और हाजोंग।
  - वर्ष 1965 और 1971 में आए अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी।
  - 1980 के दशक में श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी।
  - हाल के समय म्याँमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी।

शरणार्थियों और प्रवासियों के बीच अंतर

- शरणार्थी (Refugees) अपने मूल देश से बाहर रहने को विवश ऐसे लोग हैं जो अपने मूल देश में उत्पीड़न, सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था के परिणामस्वरूप जीवन, शारीरिक अखंडता या स्वतंत्रता पर गंभीर खतरे का सामना करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं।
  - प्रवासी (Migrants) वे लोग होते हैं जो कार्य या अध्ययन के लिये अथवा विदेशों में रह रहे अपने परिवार से जुड़ने के लिये अपना मूल देश छोड़ देते हैं।
- किसी व्यक्ति के 'शरणार्थी' के रूप में चिह्नित होने के लिये सुपरिभाषित और विशिष्ट आधार सुनिश्चित किये गए हैं जिनकी पुष्टि करनी होती है।
- प्रवासी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोई कानूनी परिभाषा नहीं है।

नोट :

भारत ने शरणार्थी अभिसमय, 1951 पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किये हैं ?

- **शरणार्थी की परिभाषा पर असहमति:** शरणार्थी अभिसमय, 1951 के अनुसार शरणार्थियों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं, लेकिन आर्थिक अधिकारों से नहीं।
  - यदि आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को भी शरणार्थी की परिभाषा में शामिल कर लिया जाए तो यह स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर एक बड़े बोझ का निर्माण करेगा।
- **यूरोप की केंद्रीयता:** भारत मानता है कि शरणार्थी अभिसमय, 1951 मुख्यत: यूरोप पर केंद्रित (eurocentric) है और यह दक्षिण एशियाई देशों की परवाह नहीं करता है। साथ ही, भारत द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि यह देश की सुरक्षा और घरेलू कानूनों को प्रभावित करेगा।

भारत में शरणार्थियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **भय और असुरक्षा:** शरणार्थियों को समाज में अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है। स्थानीय निवासियों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है जिससे उनमें भय और असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है।
  - स्थानीय निवासियों द्वारा प्राय: इसी भूमि का नागरिक न होने के आधार पर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनका शोषण किया जाता है।
- **बुनियादी सुविधाओं से वंचित:** उन्हें भोजन, आश्रय और रोज़गार जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिये भी संघर्ष करना पड़ता है।
  - उन्हें बिना किसी उच्च सामाजिक स्थिति या विशेषाधिकार के न्यूनतम वेतन पर काम करने के लिये विवश किया जाता है।
- **उनकी सुरक्षा के लिये सुपरिभाषित ढाँचे का अभाव:** शरणार्थियों पर भारत की तदर्थ प्रशासनिक नीति ने भ्रम का माहौल उत्पन्न किया है।
  - जागरूकता की कमी और भ्रामक सूचना शरणार्थी समुदायों के बीच असुरक्षा और पृथकता की भावना पैदा करती है।
- **पहचान की लंबी प्रक्रिया:** 'शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त' (UNHCR) शरणार्थी स्थिति निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से एक शरणार्थी कार्ड जारी करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है और पहचान व मूल्यांकन में 20 माह तक का समय लग सकता है।
  - उस अवधि के भीतर यदि कोई शरणार्थी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें UNHCR तक कोई पहुँच प्रदान किये बिना हिरासत में रखे जाने और निर्वासित किये जाने जैसी कार्रवाई से गुज़रना पड़ता है।
- **अप्रवासियों के रूप में गलत पहचान:** पिछले कुछ दशकों में पड़ोसी देशों से बहुत से लोग अवैध रूप से भारत में आ बसे हैं। वे राज्य के उत्पीड़न के कारण नहीं, बल्कि बेहतर आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिये आए हैं।
  - इस तरह के उदाहरण विश्व में अन्य स्थानों पर भी मिलते हैं। जैसे मेक्सिको के कुल प्रवासियों में से 98% ने संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख किया है जहाँ उनकी संख्या 9 मिलियन से भी अधिक (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत) है।
  - यह सच है कि भारत में अधिकांश चर्चाएँ अवैध अप्रवासियों के बारे में होती हैं शरणार्थियों के बारे में नहीं, लेकिन ये दोनों श्रेणियाँ एक दूसरे से संबद्ध हो जाने की प्रवृत्ति रखती हैं।

आगे की राह

- **न्यायसंगत और प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया:** पंजीकरण और पहचान में मानकों को बढ़ाने या बनाए रखने के दौरान शरणार्थियों की स्थिति निर्धारित करने वाली प्रक्रियाओं को अधिक न्यायसंगत और प्रभावी बनाया जाना चाहिये।
- **बुनियादी सुविधाओं में सुधार:** आवश्यक सेवाओं तथा ज़रूरतों की पूर्ति को ध्यान में रखना चाहिये।
  - इनमें शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाना, विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिये कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखना शामिल हैं।
- **स्थानीय निवासियों में जागरूकता का प्रसार:** शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने और उन्हें अस्थायी आजीविका प्रदान कर उनकी आत्मनिर्भरता क्षमता में सुधार लाने हेतु सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है जिसके लिये लोगों को जागरूक किया जाना चाहिये।
- **महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना:** हमारे संविधान में निहित मूल कर्तव्य के अनुरूप शरणार्थी महिलाओं एवं बच्चों को अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों की हिंसा तथा उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।
  - अनुच्छेद 51A (e) प्रत्येक नागरिक से महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक अभ्यासों के त्याग की अपेक्षा रखता है।
- **भावनात्मक समर्थन:** एक व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों के कारण शरणार्थी बनता है जो उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं।
  - वह मानवाधिकारों के उल्लंघन, सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक असुरक्षा की स्थिति में उत्पीड़न के भय से अपना देश, अपनी भूमि छोड़ने को विवश होता है। ऐसे परिदृश्य में हमें वित्तीय सहायता के अलावा समावेशिता और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिये।

चाबहार बंदरगाह

संदर्भ

चाबहार बंदरगाह दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुँच है।

- यह मध्य-एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के व्यापार के लिये सुनहरे अवसरों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है ।
- चाबहार बंदरगाह में वस्तुत: दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं जिन्हें 'शाहिद कलंतरी' और 'शाहिद बेहेश्ती' के रूप में जाना जाता है। भारतीय फर्म 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह पर परिचालन कार्य संभाला है। बंदरगाह के विकास को अलग घटना के रूप में नहीं बल्कि अन्य अवसरों के प्रिज़्म से देखा जाना चाहिये जो भारत इस उद्यम से प्राप्त कर सकता है।
- हालाँकि भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध जटिल रहा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य से चाबहार बंदरगाह की व्यवहार्यता के संबंध में किसी अनुमान के लिये अन्य अतिरिक्त घटकों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

चाबहार बंदरगाह का क्या महत्त्व है ?

- **अफगानिस्तान से प्रत्यक्ष संपर्क:** यह भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक रूप से संवहनीय संपर्क की स्थापना सुनिश्चित करेगा। इससे दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक संबंध बन सकेंगे।
  - पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने वाले भारतीय ट्रकों द्वारा अपने क्षेत्र का उपयोग करने में बाधाएँ उत्पन्न करता रहा है।
  - चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के लिये भी अन्य देशों के साथ व्यापार को सुगम बनाएगा।
    - इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान पर अफगान निर्भरता कम होगी और इस प्रकार अफगान घरेलू राजनीति पर पाकिस्तानी प्रभाव कम होगा, जिससे भारत को रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा।
- **चीन का मुक़ाबला:** चाबहार बंदरगाह भारतीय परिप्रेक्ष्य से अरब सागर क्षेत्र में चीन से मुक़ाबले के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के एक अंग के रूप में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकास के साथ अरब सागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
  - ग्वादर बंदरगाह चाबहार बंदरगाह से महज 72 किमी. दूर अवस्थित है।
- **व्यापार और वाणिज्य:** चाबहार बंदरगाह के चालू होने से भारत में लौह अयस्क, चीनी और चावल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
  - भारत के लिये तेल की आयात लागत में भी पर्याप्त गिरावट आएगी।
    - वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, चाबहार बंदरगाह INSTC के साथ भूमध्य-स्वेज़ मार्ग की तुलना में 30% कम लागतपूर्ण आयात को सक्षम करेगा।
    - चाबहार बंदरगाह के माध्यम मध्य एशिया से भारत में प्राकृतिक गैस का निर्यात किया जा सकता है। भारत पहले से ही तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत (TAPI) पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं का भागीदार है।
    - इसके अलावा, ईरान पर पश्चिम द्वारा आरोपित प्रतिबंध को हटाए जाने के साथ भारत पहले ही ईरान से कच्चे तेल की अपनी खरीद बढ़ा चुका है।
- **लोकोपकारी अभियान:** राजनयिक दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह का उपयोग भारत द्वारा एक ऐसे बिंदु के रूप में भी किया जा सकता है जहाँ से मध्य और दक्षिण एशिया में लोकोपकारी कार्यों का समन्वय किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जुड़ाव:** चाबहार बंदरगाह ईरान तक भारत की पहुँच का विस्तार करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor- INSTC) का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस गलियारे के तहत भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच समुद्री, रेल और सड़क मार्ग स्थापित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा

- यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल परिवहन गलियारा है जो सड़क, रेल और समुद्री मार्गों के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) को मुंबई से जोड़ता है।
- यह गलियारा भारत को एक यूरेशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में रूस, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ सहयोग करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- INSTC के पूर्णरूपेण कार्यान्वित हो जाने पर स्वेज़ नहर के डीप-सी रूट की तुलना में माल ढुलाई लागत में 30% और यात्रा के समय में 40% की कमी आने की उम्मीद है।

चाबहार बंदरगाह के विकास की दिशा में भारत के प्रयास में कौन-सी बाधाएँ मौजूद हैं?

- **बढ़ते ईरान-चीन संबंध:** हाल के समय में ईरान चीन के अधिक करीब आ गया है।
  - चीन ईरान के साथ संबंध बढ़ा रहा है जिसकी पुष्टि चीनी राष्ट्रपति की वर्ष 2016 की ईरान यात्रा से भी हुई। दोनों देश 'ईरान और चीन के बीच सहयोग के लिये व्यापक योजना' ('Comprehensive Plan for Cooperation between Iran and China) पर आगे बढ़ रहे हैं।
  - चीन के साथ बहुप्रचारित रणनीतिक साझेदारी के मसौदे को ईरान ने मंज़ूरी प्रदान की है। इसके तहत दोनों देशों ने 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के माध्यम से अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव रखा है।
- **ईरान-अमेरिका संघर्ष:** चाबहार में प्रगति इस बात पर भी निर्भर हो सकती है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
  - भारत ईरान के साथ अपने संबंधों के पुनरुद्धार की इच्छा रखता है, लेकिन इसके साथ ही उसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अवसर के लिये अमेरिका के समर्थन की भी आवश्यकता है।
- **मध्य-पूर्वी देशों के साथ संबंध का संतुलन:** चाबहार बंदरगाह का विकास स्वस्थ भारत-ईरान संबंधों पर निर्भर करता है।
  - ईरान के साथ भारत के संबंधों में भारत को एक नाजुक संतुलन भी बनाए रखना होगा क्योंकि भारत के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल जैसे देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं जबकि इन देशों का ईरान के साथ शत्रुतापूर्ण इतिहास रहा है।

आगे की राह

- **G20 अध्यक्षता का लाभ उठाना:** वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के साथ भारत के पास यह अवसर होगा कि वह अपने भू-राजनीतिक हितों के साथ भू-आर्थिक आवश्यकताओं को संलग्न कर सके।
  - अभी तक भारत को एक ऐसी उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जाता है जो वैश्विक शक्ति बनने की महत्त्वाकांक्षा रखता है।
  - वर्ष 2023 में भारत के पास उत्तर-दक्षिण पारगमन में सुधार के लिये चाबहार बंदरगाह के महत्त्व को स्पष्ट करने का अवसर होगा।
- **भारत की वैश्विक उपस्थिति के टिकट के रूप में चाबहार:** भारत स्वयं को दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रख सकता है और उसे एक विस्तारित पड़ोस (ईरान-अफगानिस्तान) से बहुत कुछ हासिल करना है। यह न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा, बल्कि वैश्विक महाशक्ति बनने की भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना:** चाबहार बंदरगाह के सुचारू विकास और दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि के लिये भारत और ईरान के बीच सुदृढ़ द्विपक्षीय राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध होना महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत द्वारा हाल में ईरान में टिड्डियों के आक्रमण का मुक़ाबला करने में मदद करने के लिये कीटनाशक भेजने हेतु इस बंदरगाह का उपयोग किया गया है, जो इस दिशा में एक अच्छा कदम है।
- **ईरान और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना:** भारत दोनों देशों के बीच एक संतुलनकारी कार्य कर सकता है और अपने दृढ़ राष्ट्रीय हित के अनुरूप शांति स्थापक के रूप में वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय कदम उठा सकता है।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

संदर्भ

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ ऐसे उत्पादकता लाभ उत्पन्न कर रही हैं जैसा पहले कभी नहीं रहा था। वे मानव पूंजी की आवश्यकताओं को भी लगातार कम कर रही हैं, नौकरियों को प्रीमियम बना रही हैं।

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को घटते रोज़गार अवसरों के मंडराते संकट के समाधान और निर्धनता उन्मूलन के एक प्रभावी

साधन के रूप में देखा जाता है। UBI के विचार ने हाल के समय में लोकप्रियता हासिल की है, विशेषकर कोविड-19 महामारी के आलोक में पुन: यह चर्चा के केंद्र में है।

- भारत में राष्ट्रीय बायोमीट्रिक डेटाबेस से लिंक्ड प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के तीव्र विस्तार और बुनियादी आय के साथ किये गए छोटे प्रयोगों ने UBI के संबंध में बहस छेड़ दी है।
- इसके पक्षकारों का मानना है कि यह 'नो-स्ट्रिंग-अटैच्ड पेमेंट' भारत के अपेक्षा से कम प्रदर्शन कर रहे गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों और सब्सिडी की विकृति प्रणाली में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके आलोचक आशंका रखते हैं ये पहले से ही कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और कमज़ोर कर देंगे, जबकि श्रमिकों को कार्यबल छोड़ने और फिजूलखर्ची के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है?

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सार्वभौमिक बुनियादी आय एक सामाजिक-राजनीतिक वित्तीय हस्तांतरण नीति प्रस्ताव है जिसमें किसी देश के सभी नागरिकों को कानूनी रूप से और एकसमान रूप से निर्धारित वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है जो सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।
  - UBI को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है।
- यह एक शर्तरहित भुगतान है। यह मान्यता रखता है कि केवल नागरिक होने के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक बुनियादी आय का अधिकार होना चाहिये।
- वर्ष 2016 में UBI का विचार तब सुर्खियों में आया था जब वर्ष 2016-2017 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर 40 पृष्ठों में भारत की गरीबी के लिये एक गंभीर एवं व्यवहार्य समाधान और समग्र रूप से स्वस्थ अर्थव्यवस्था हेतु एक आशा के रूप में विचार किया गया था।
  - भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि "UBI नागरिकों को राज्य के साथ पितृसत्तात्मक और ग्राहकवादी संबंधों से मुक्त करता है।"
- UBI के मुख्य रूप से 4 घटक हैं:
  - **सार्वभौमिकता:** यह प्रकृति में सार्वभौमिक है।
  - **आवधिकता:** नियमित अंतराल पर भुगतान (एकमुश्त अनुदान नहीं)
  - **व्यक्तिपरकता:** व्यक्तियों को भुगतान
  - **शर्तरहित:** नकद हस्तांतरण के साथ कोई पूर्व शर्त संलग्न नहीं है

भारत में UBI पर बहस क्यों बढ़ रही है?

- भारत समाज के निचले तबके के लोगों की मदद करने के लिये सब्सिडी और हस्तांतरण भुगतान पर निर्भर रहा है।
  - केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बजटीय आवंटन का एक बड़ा हिस्सा व्यय होता है।
- इन कार्यक्रमों की एक बड़ी संख्या खंडित है और प्रशासनिक खामियों से ग्रस्त है। करदाताओं का पैसा प्राय: बिचौलियों की जेब तक पहुँच उद्देश्य खो देता है।
- इसके अतिरिक्त, खाद्य और ईंधन सहित विभिन्न आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर सब्सिडी देना गरीबों को उन वस्तुओं का उपभोग करने के लिये विवश करता है और उनके पास गुणवत्ता या लागत पर विचार करने का विकल्प नहीं होता।
  - भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थानिक प्रकृति के भ्रष्टाचार और अपव्यय से ग्रस्त है।
- सब्सिडी को नकद हस्तांतरण के साथ प्रतिस्थापित करने से कम से कम यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्राप्तकर्ताओं को इच्छित मौद्रिक लाभ के साथ-साथ चयन/पसंद की स्वतंत्रता भी मिल रही है।

भारत में UBI के पक्ष में तर्क

- **सामाजिक न्याय:** कोई भी समाज तब तक न्यायसंगत या स्थिर नहीं हो सकता जब तक वह समाज के सभी सदस्यों को एक हिस्सेदारी प्रदान नहीं करता। यूनिवर्सल बेसिक इनकम समाज के कई बुनियादी मूल्यों को बढ़ावा देती है जो सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र और एकसमान मानती है।
  - UBI सामाजिक न्याय और उत्पादक अर्थव्यवस्था दोनों के संबंध में दृष्टिकोण में एक आमूलचूल परिवर्तन को इंगित करती है।
- **प्रशासनिक दक्षता:** UBI अलग-अलग कई सरकारी योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के प्रशासनिक भार के वित्तपोषण के बोझ को कम करेगी।
  - UBI, अपनी अभिकल्पना में, भ्रष्ट तरीके से आवंटन एवं लीकेज संबंधी मुद्दों से प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकेगी क्योंकि हस्तांतरण प्रत्यक्षत: लाभार्थियों के बैंक खातों में निर्देशित होंगे।
  - इसके साथ ही, लीकेज का अवसर कम होने के कारण अन्य योजनाओं की तुलना में UBI की निगरानी करना अधिक आसान होगा।

- **रोज़गार:** UBI एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की गारंटी देने (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43) के सरकार के कर्तव्य की पुष्टि है जो अनिश्चित रोज़गार सृजन के वर्तमान समय में और भी आवश्यक है।
  - इसके अलावा, UBI श्रम बाज़ार के लिये नई संभावनाओं के द्वार भी खोल सकती है।
  - वे अधिक गैर-शोषक सौदेबाजी की अनुमति देते हैं क्योंकि व्यक्तियों को केवल निर्वाह के लिये किसी भी कार्य स्थिति को स्वीकार करने के लिये विवश नहीं किया जा सकेगा।
- **आघातों के विरुद्ध बीमा:** गरीब परिवारों को प्राय: खराब स्वास्थ्य, नौकरी छूटने अथवा झटके जैसे फसल का नुकसान, जलजनित रोग, संपत्ति की हानि और प्राकृतिक आपदाओं जैसे आघात सहने होते हैं।
  - UBI स्वास्थ्य, आय और अन्य आघातों के विरुद्ध एक सुरक्षा जाल प्रदान करेगी।
- **चयन की स्वतंत्रता:** UBI लाभार्थियों को एजेंट के रूप में देखती है और नागरिकों को अपने विवेक से कल्याणकारी व्यय का उपयोग करने की ज़िम्मेदारी सौंपती है।
- **वित्तीय समावेशन में सुधार:** भुगतान हस्तांतरण बैंक खातों के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करेगा, जिससे बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (BC) के लिये उच्च लाभ उत्पन्न करेगा और वित्तीय समावेशन में एक अंतर्जात सुधार होगा।
  - क्रेडिट से बढ़ी हुई आय निम्न आय स्तर वाले लोगों के लिये क्रेडिट तक पहुँच की बाधाओं को दूर करेगी।
- **महिला सशक्तिकरण:** वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश के 8 गाँवों में 18 माह तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रायोगिक अध्ययन किया गया।
  - भारत में UBI परीक्षण (2013-2014) की समीक्षा करते हुए 'सेवा भारत' और यूनिसेफ ने निष्कर्ष दिया कि ''महिला सशक्तिकरण इस प्रयोग के महत्त्वपूर्ण परिणामों में से एक था।''
    - UBI प्राप्त करने वाली महिलाओं को घरेलू निर्णय लेने में अधिक भागीदारी प्राप्त हुई और वे भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक बेहतर पहुँच से लाभान्वित हुईं।

भारत में UBI के विपक्ष में तर्क

- **उच्च सरकारी व्यय:** यदि UBI सार्वभौमिक रूप से लागू होगी (यानी वित्तीय सक्षमता पर विचार किये बिना सभी नागरिक डिफ़ॉल्ट रूप से लाभार्थी होंगे) तो भारत में मौजूदा अमीर-गरीब अंतराल और बढ़ जाएगा।
  - एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाने के परिणामस्वरूप उच्च सरकारी व्यय की स्थिति बनेगी क्योंकि यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नागरिक इससे बाहर न हो।
  - एक बार UBI की शुरुआत कर देने के बाद विफलता की स्थिति में फिर सरकार के लिये इसे वापस लेना कठिन हो सकता है।
- **सुप्रकट व्यय:** UBI प्राप्तकर्ताओं के व्यवहार से आबद्ध नहीं है और वे अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिये स्वतंत्र हैं। वित्तीय प्रबंधन के बारे में जागरूकता की कमी से कई परिवार फिजूलखर्ची की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
  - इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्रदान किये गए धन को उत्पादक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि पर खर्च किया जाएगा। इसे तंबाकू, शराब, ड्रग्स और अन्य विलासिता की वस्तुओं पर खर्च किया जा सकता है।
- **श्रम शक्ति में कमी:** न्यूनतम गारंटीकृत आय लोगों को आलसी बना सकती है और वे श्रम बाज़ार से बाहर निकल सकते हैं।
  - किसी भी पारस्परिक आदान-प्रदान की अनुपस्थिति में, भारत में UBI आसानी से एक ऐसी योजना में बदल सकती है जो कामकाजी उम्र के वयस्कों को याचक या आश्रित में बदल देगी जिनके जीवन में कोई भी वास्तविक उद्देश्य या दिशा नहीं होगी।
- **मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि:** खाद्य कार्यक्रमोंआदि को UBI से प्रतिस्थापित करने से लोग अधिक बाज़ार जोखिम और मुद्रास्फीति का शिकार हो सकते हैं।
  - कीमतों में उतार-चढ़ाव उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को प्रभावित करेगा।
- **सरकार और लाभार्थियों के बीच कनेक्टिविटी चैनल का अभाव:** भारत में निर्धनतम लोग अधिकांशत: दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और बैंकिंग एवं मोबाइल फोन जैसी सुविधाओं से वंचित हैं।
  - देश के सभी क्षेत्र बैंकिंग सुविधा से संपन्न नहीं हैं और बैंकिंग सेवाओं को भौतिक रूप से प्राप्त करने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।
    - आर्थिक सर्वेक्षण में भी UBI के सफल कार्यान्वयन के लिये JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) प्रणाली को पूर्व शर्त के रूप में इंगित किया गया है।
- **संघीय चुनौती:** कार्यक्रम के लिये लागत साझा करने के प्रश्न पर केंद्र-राज्य के बीच सहमति कायम होने तक इसके कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।

नोट :

- चूँकि भारतीय राज्य विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं, एक समान वित्तीय हस्तांतरण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा।

आगे की राह

- **'फ्रूड फ़ॉर थॉट':** UBI एक प्रभावशाली विचार है, जो अभी भले ही कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त नहीं हो, लेकिन गंभीर चर्चा के लिये परिपक्व विषय है।
  - मध्य प्रदेश सहित दुनिया भर में UBI की विभिन्न पायलट परियोजनाओं ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं और गरीब लोगों के कल्याण में सुधार के मामले में प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण के लाभों को उजागर किया है।
    - किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले यह परीक्षण का विषय होना चाहिए।
- **अर्द्ध-सार्वभौमिक बुनियादी आय (Quasi-Universal Basic Income):** मध्यम मार्ग अपनाना अधिक विवेकपूर्ण होगा। सरकार को मौजूदा नकदी-रहित ऐसे कार्यक्रमों को बनाए रखना चाहिये जो खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।
  - समय के साथ जब आय हस्तांतरण के लिये एक स्थिर प्रणाली का निर्माण कर लिया जाए, तब UBI पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- **विश्व भर में UBI का भविष्य:** UBI ने एक असंबद्ध सामाजिक सुरक्षा जाल की परिकल्पना की है जो सभी के लिये एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह ऐसी अवधारणा है जो वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और स्वचालन से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था में कर्षण प्राप्त कर सकती है।
- **यूनिवर्सल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर/बीमा:** UBI में तुरंत कूद पड़ने के बजाय बुनियादी ढाँचे में सुधार और बीमा तक पहुँच पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - कहा गया है कि "यदि आप किसी व्यक्ति को एक मछली देते हैं तो आप एक दिन के लिये उसका पेट भरते हैं। यदि आप एक आदमी को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो आप जीवन भर के लिये उसे पेट भरना सीखा देते हैं। प्रभावी शिक्षा प्रणाली कुशल युवाओं का उत्पादन करेगी और UBI की आवश्यकता को ही समाप्त कर देगी।

उम्मीद का इंद्रधनुष: LGBTQIA+

संदर्भ

हाल के वर्ष में भारत सहित कई देशों में 'थर्ड सेक्स' और समलैंगिकों को बराबर के नागरिक के रूप में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। दुनिया भर में चले विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें यह मान्यता प्राप्त हुई है।

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के नागरिकों को निष्पक्ष रूप से "हम भारत के लोग" के रूप में चिह्नित किया गया है और उनके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की सुनिश्चितता घोषित की गई है।
- सितंबर 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की समीक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्क सहमति से संपन्न समलैंगिक विवाह को अपराधमुक्त करने का निर्णय दिया। संवैधानिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या और LGBTQIA+ समुदाय को सशक्त करने के संदर्भ में यह निर्णय एक मील का पत्थर है।
- हालाँकि भले ही यह एक बड़ी उपलब्धि रही, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में LGBTQIA+ लोग पूर्णतः स्वतंत्र हो गए हैं या अन्य नागरिकों की तरह समान व्यवहार का उपभोग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि भारत में और दुनिया भर में अभी भी उनके अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन के संबंध में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

LGBTQIA+ का क्या अर्थ है?

- हालाँकि कोई भी एक शब्द विश्व में लिंग और यौन पहचान के स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उनकी पहचान के लिए LGBTQIA+ सामान्य रूप से प्रचलित पद है। LGBTQIA+ मूलतः इन समूहों को व्यक्त करता है जहाँ + के साथ अन्य संभावनाओं के लिए अवसर बनाए रखा गया है:

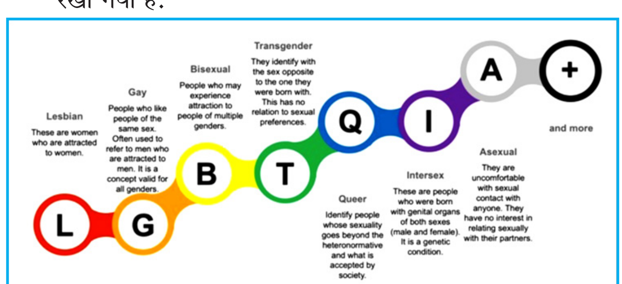

नोट :

भारत में LGBTQIA+ की मान्यता का इतिहास

- प्राचीन भारत में प्रेम और तटस्थता के सभी रूपों की स्वीकृति थी और इनका उत्सव मनाया जाता था।
  - इसका दृश्य उदाहरण मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है जो समलैंगिकों के बीच यौन प्रवाहिता (Sexual fluidity) के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है।
- वर्ष 1861 में अंग्रेज़ों ने 'प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध' यौन गतिविधियों (सभी समलैंगिक गतिविधियों सहित) को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध घोषित कर दिया।
- वर्ष 1977 में शकुंतला देवी ने भारत में समलैंगिकता का पहला अध्ययन 'The World of Homosexuals' शीर्षक से प्रकाशित कराया।
  - इसमें ''केवल सहिष्णुता एवं सहानुभूति के बजाय पूर्ण और समग्र स्वीकृति'' का आह्वान किया गया था।
- वर्ष 1994 में उन्हें कानूनी रूप से तीसरे लिंग या 'थर्ड सेक्स' के रूप में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।
- वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग की तीसरी श्रेणी के रूप में देखा जाना चाहिए।
- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के LGBTQ समुदाय को सुरक्षित रूप से अपनी यौन उन्मुखता (sexual orientation) अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
  - किसी व्यक्ति की यौन उन्मुखता को निजता के अधिकार (Right to Privacy) के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है।
- 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 के उस भाग को निरस्त कर जो सहमतिपूर्ण समलैंगिक गतिविधियों को अपराध घोषित करता था।
- वर्ष 2019 में संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों, उनके कल्याण और अन्य संबंधित मामलों को संरक्षण प्रदान करना है।

LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि में योगदान करने वाले विभिन्न मामले

- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की गारंटी नागरिकों के सभी वर्गों पर लागू होता है।
  - इसने LGBTQ समुदाय की 'समावेशिता' को पुनर्स्थापित किया और समलैंगिकता को अपराधमुक्त घोषित किया।
- **शफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम. और अन्य (वर्ष 2018):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साथी या पार्टनर का चयन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और यह साथी किसी भी लिंग का हो सकता है।
- **राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (वर्ष 2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ''ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में चिह्नित करना एक सामाजिक या चिकित्सकीय विषय नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है।''

भारत में LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

- **हाशियाकरण (Marginalisation):** LGBTQIA+ व्यक्तियों को नस्लवाद, लैंगिक भेदभाव, निर्धनता के साथ ही होमोफोबिया या ट्रांसफोबिया जैसे हाशियाकरण या उपेक्षा के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
  - ये उपेक्षाएँ LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को प्रायः चिकित्सा देखभाल, न्याय एवं कानूनी सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच से वंचित करती हैं।
- **पारिवारिक प्रतिक्रियाओं का LGBT बच्चों पर प्रभाव:** अस्वीकृति और गंभीर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण LGBTQIA+ आइडेंटिटी से संबद्ध किशोर और युवा अपने माता-पिता और परिवार को अपनी भावनाओं से अवगत कराने से संकोच रखते हैं।
  - शिक्षा, करियर और शादी के नियमों और शर्तों को निर्धारित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के एक कठोर समुच्चय (जो शिक्षा, करियर और विवाह संबंधित नियमों एवं शर्तों को तय करते हैं) से बंधे समाज में परिवार के समर्थन की कमी LGBTQIA+ लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा आघात साबित हो सकती है।
- **अनसुनी ग्रामीण आवाज़ें:** शहरी LGBTQIA+ लोगों की आवाजें तो कई ऑनलाइन और वास्तविक दुनिया के मंचों के माध्यम से तो सुन ली जाती हैं, लेकिन संसर्ग (exposure), सहजता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के LGBTQIA+ लोगों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि विवाह से इनकार करने पर वे और अधिक शारीरिक उत्पीड़न के शिकार होते हैं।

- **बेघर होना:** अधिकांश बेघर LGBTQIA+ युवा वे होते हैं जिन्हें समलैंगिक होने के कारण उनके घरों से निकाल दिया जाता है या वे एक अपमानजनक परिदृश्य से बचने के लिए घर से भाग गए।
  - इस प्रकार जीवन के आरंभिक विकास वर्षों के दौरान वे शिक्षा और सामाजिक समर्थन से चूक जाते हैं।
  - किसी आर्थिक सहायता के अभाव में वे प्राय: नशीली दवाओं के उपयोग और जोखिमपूर्ण यौन व्यवहार में संलग्न हो जाते हैं।
- **शब्दावली की समस्याएँ:** LGBTQIA+ लोगों को नकारात्मक रूढ़िवादी धारणा के साथ लेबल किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। इस प्रकार, उन्हें चिह्नित किये जाने के उनके लक्ष्य से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत महसूस कराया जाता है।
- **सामाजिक स्तर पर मान्यता नहीं:** स्कूल यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड एवं वेश-भूषा, यात्रा के लिए पहुँच बिंदु (टिकट बुकिंग फॉर्म, सुरक्षा जाँच और शौचालय सहित) आदि प्राय: लैंगिक प्रावधान रखते हैं।
  - LGBTQIA+ व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन के दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी लिंग पहचान पर बातचीत करने के लिए विवश किया जाता है।
- **रोज़गार अवसरों की कमी:** स्कूल रिकॉर्ड सहित अन्य सटीक लिंग पहचान दस्तावेज प्राप्त करने में व्याप्त कठिनाइयाँ उनकी रोज़गार संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
  - भेदभावपूर्ण पात्रता शर्तें कुछ नौकरियों पर लैंगिक प्रतिबंध आरोपित करती हैं, जो ट्रांसजेंडर और लैंगिक रूप से नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को नौकरी पाने के अवसर से प्रभावी रूप से बहिर्वेशित कर देती हैं।

आगे की राह

- **LGBTQIA+ समुदाय के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना:** चूँकि टीवी और फिल्में उस ग्रामीण आबादी के लिए भी सुलभ हैं जहाँ अभी सोशल मीडिया की पहुँच नहीं है, वे ऐसे कार्यक्रमों और कहानियों के माध्यम से पारिवारिक भूमिकाओं और दृष्टिकोणों को पुनर्परिभाषित करने में योगदान कर सकते हैं जो उन्हें शिक्षित और प्रबुद्ध करे; इसके साथ ही वे LGBTQIA+ समुदायों के अनुभवों को प्रामाणिक और विविध तरीकों से प्रसारित करने में भूमिका निभा सकते हैं।
  - बधाई दो, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, अलीगढ़ जैसी फिल्में LGBTQIA+ समुदाय के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये में बदलाव लाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
- **विशेष व्यवहार से समान व्यवहार की ओर आगे बढ़ना:** LGBTQIA+ लोग 'एलियन' नहीं हैं, वे बीमार नहीं हैं और उनकी यौन उन्मुखता जन्मजात होती है। समलैंगिक होना एक सामान्य परिघटना है न कि कोई बीमारी।
  - इसलिए वे समान व्यवहार के पात्र हैं, विशेष व्यवहार के नहीं और एक बार जब वे भारतीय समाज में बराबरी के स्तर पर शामिल कर लिए जाएँगे तो वे सामूहिक विकास में पूरी तरह से मिश्रित भी हो जाएँगे।
- **लिंग तटस्थता:** बिना किसी भेदभाव के सभी लिंगों को समान मानने की आवश्यकता है।
  - इसका समग्र रूप से अभिप्राय है कि नीतियों, भाषा, संबद्ध सामाजिक व्यवहार को व्यक्ति के लिंग अनुरूप विशिष्ट भूमिकाओं से बचना चाहिए।
- **बेहतर पालन-पोषण:** अपने बच्चों की पहचान को स्वीकार करना किसी भी माता-पिता का मौलिक उत्तरदायित्व है।
  - बच्चे को उसकी पहचान के साथ स्वीकार किया जाना एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो विविधता को महत्व देता हो और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता या अद्वितीयतता को स्वीकार करता हो।
- **LGBTQIA + युवाओं को जागरूक और सशक्त बनाना:** इसके लिए एक खुले और सुलभ मंच की आवश्यकता है ताकि वे अपनी भावनाओं को साझा करने में सहज हो और महसूस कर सकें कि उनकी पहचान को चिह्नित किया जा रहा है।
  - 'Gaysi' और 'Gaylaxy' जैसे मंचों ने LGBT लोगों के लिए संवाद करने, साझा करने और सहयोग करने के लिए एक जगह के निर्माण में में मदद की है।
  - 'प्राइड मंथ' और 'प्राइड परेड' पहल भी इस दिशा में आशाजनक कदम हैं।

जलवायु परिवर्तन: आर्थिक विकास की राह में रुकावट

संदर्भ

इस बात पर वैश्विक सहमति बढ़ती जा रही है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के देशों के विकास प्रक्षेपवक्र पर दबाव उत्पन्न कर रहा है, जिसके प्रकट आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव नज़र आ रहे हैं।

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risks Report, 2020) के अनुसार अगले

दशक में शीर्ष 5 जोखिमों में से सभी जलवायु से संबंधित हो सकते हैं। इन जोखिमों में मानवजनित पर्यावरणीय आपदाएँ, जलवायु कार्रवाई विफलता, प्राकृतिक आपदाएँ, जैव विविधता हानि और चरम मौसमी घटनाएँ शामिल हैं।

- वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विलियम डी. नॉर्डहॉस और पॉल रोमर को जलवायु परिवर्तन को दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक विश्लेषण में एकीकृत करने के लिये प्रदान किया गया था।
- जबकि पूरा विश्व ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ इसके प्रति विशेष रूप से भेद्य/संवेदनशील हैं। इस प्रकार, एक भौतिक पहलू के रूप में जलवायु जोखिम भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर की नीतियों, व्यावसायिक रणनीतियों और वित्त के पुनर्विन्यास को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन क्या है?

- जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में बदलाव के माध्यम से।
- लेकिन 1800 के दशक से मानव गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन का प्रमुख चालक रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन का योगदान रहा है।
- जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक आवरण की तरह काम करता है। यह सूर्य की ऊष्मा को जब्त करता है और तापमान बढ़ाता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान हिम गलन में तेज़ी ला रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और बाढ़ एवं कटाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये जलवायु परिवर्तन कैसे प्रासंगिक है?

- भारत की जलवायु अत्यंत विविधतापूर्ण है। हिमालय से लेकर समतल समुद्र तटों तक जलवायु में एक उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है।
- हिमालय पर्वत के ठंडे तापमान से लेकर दक्षिणी भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु तक व्यापक रूप से भिन्न जलवायु पाई जाती है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तर-पश्चिमी राज्य जल की कमी के कारण थार और विशाल भारतीय मरुस्थल का निर्माण करते हैं।
- जलवायु दशाओं की इस विविधता ने हमेशा भारत को लाभान्वित किया है। भारत में आर्थिक गतिविधियों के उच्चतम घनत्वों में से एक पाया जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिये प्राकृतिक संसाधन आधार (Natural Resource Base) पर आश्रित है जहाँ वर्षा पर उच्च निर्भरता देखी जाती है।
- जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न को कम अनुमान-योग्य बना सकता है। ये अप्रत्याशित मौसम पैटर्न फसलों की खेती को कठिन बना सकते हैं। भारत जैसी कृषि अर्थव्यवस्था में, जहाँ वर्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका रखती है, जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर तत्काल असर पड़ता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

- **उपज में कमी:** जलवायु परिवर्तन मौसम पैटर्न को समझना दुरूह बना देंगे। मानसूनी परिवर्तनों के बारे में अनिश्चितता किसानों के निर्णय को प्रभावित करती है कि कब कौन-सी फसल उगाई जाए और इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम हो जाती है।
    - इसके अलावा, समय पूर्व मौसमी हिम गलन और घटते ग्लेशियर सिंचाई के लिये आवश्यक नदी के प्रवाह को कम कर देंगे।
- **पशुधन पर प्रभाव:** भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी मौजूद है, जहाँ पशुओं का उपयोग विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों में दूध उत्पादन, खाद एवं बीजारोपण और घरेलू पूंजी के रूप में किया जाता है।
    - हीट स्ट्रेस (Heat Stress) पशुओं के लिये आहार और चारे को कम करते हैं तथा रोग प्रसार की अनुकूल दशाओं को बढ़ाते हैं।
- **श्रम कार्यबल में कमी:** चरम ताप/गर्मी के दिनों में श्रमिकों की उत्पादकता कम हो जाती है जिससे औद्योगिक उत्पादन कम हो जाता है। इससे निर्यात में कमी आती है और राष्ट्रीय आय घटती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से विश्व व्यापार प्रभावित होता है।
    - जलवायु परिवर्तन संज्ञानात्मक प्रदर्शन को कम करता है और उन क्षेत्रों में कार्य घंटों में कमी लाता है जहाँ निर्माण जैसी भारी बाह्य गतिविधि की आवश्यकता होती है।
- **ऊर्जा संकट:** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2030 तक दोगुनी हो जाएगी।
    - ऊर्जा और जलवायु के बीच एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है जहाँ बढ़ते तापमान के साथ ऊष्मा प्रभावों के शमन की प्रक्रिया में सहयोग के लिये ऊर्जा उपयोग में वृद्धि की मांग बढ़ती जाती है।

- इसके अलावा, ऊर्जा की बढ़ती मांग प्रायः जलवायु-परिवर्तन नीतियों के साथ टकराव रखती है।

- **अवसंरचना पर प्रभाव:** एक बेहतर और सुदृढ़ अवसंरचना किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान करती है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं की चरम घटनाओं ने आधारभूत संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने पिछले एक दशक में बाढ़ से लगभग 3 बिलियन डॉलर की आर्थिक क्षति उठाई है जो वैश्विक आर्थिक क्षति का 10% है।
  - वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान (Amphan) ने भारत में लगभग 13 मिलियन लोगों को प्रभावित किया।

- **अपवाह प्रणाली पर प्रभाव:** भारत अपने उपलब्ध जल का 34 प्रतिशत प्रतिवर्ष इस्तेमाल करता है जहाँ सिंधु-गंगा मैदान इसका 'ब्रेडबास्केट' है। बढ़ते तापमान और बढ़ती मौसमी परिवर्तनशीलता के कारण हिमालय के ग्लेशियर अधिक और तेज़ी से पिघल रहे हैं।
  - यदि दर में वृद्धि होती है तो हिमनद झीलें फट पड़ती हैं और अपनी प्राकृतिक सीमा से बाहर निकल जाती हैं। इससे इन ग्लेशियरों द्वारा पोषित नदी घाटियों में बाढ़ आने की संभावना बनती है और फिर बाद में नदी का प्रवाह घट जाता है जिसके परिणामस्वरूप जल की कमी उत्पन्न होती है।

- **असमानता में वृद्धि:** भारत में अनुकूली क्षमता राज्य, भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुरूप पर्याप्त भिन्न-भिन्न है। निम्न आय वाले परिवार जलवायु परिवर्तन संबंधी आर्थिक क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वे अनाज की बढ़ती कीमतों और कृषि मज़दूरी में गिरावट से सीधे प्रभावित होते हैं।
  - इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने के सीमित साधन रखने वाले लोगों के कल्याण के लिये किये जाने वाले प्रयासों के परिणामस्वरूप सीमित बजट और निम्न आर्थिक विकास जैसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

आगे की राह

- **शमन: प्रकृति-आधारित-समाधानों की ओर:** स्वच्छ और हरित ऊर्जा का विकास जीवाश्म ईंधन के बोझ को दूर करने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है।
  - नई पारगमन प्रणालियों का विकास और मौजूदा प्रणालियों के विस्तार से भी रोज़गार में तेज़ी आ सकती है।
  - भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) रिपोर्ट वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा से 40% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखती है।

- **पर्यावरण के अनुकूल नीतियाँ:** अर्थव्यवस्था और पर्यावरण परस्पर संबद्ध हैं। विकास के लिये एक सुनियोजित दृष्टिकोण, जो विशेष रूप से भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये असंबद्ध विकास संभावनाओं को सुनिश्चित करे, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये आवश्यक है।
  - जलवायु परिवर्तन विकास के लिये एक सतर्क लेकिन संवहनीय दृष्टिकोण अपनाने का भी अवसर प्रस्तुत करता है।

- **वन और आर्द्रभूमि संरक्षण:** वन वर्षा और तापमान को नियंत्रित करने के लिये जाने जाते हैं। वनों एवं आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं संवर्द्धन से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, CO_2 उत्सर्जन के जब्ती में मदद मिलेगी और पर्यावरणीय आघातों के प्रति लचीलेपन की वृद्धि होगी।

- **उचित अपशिष्ट प्रबंधन:** अपशिष्ट का कुप्रबंधन वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को जोड़कर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है।
  - अपशिष्ट गैसीकरण जैसे अपशिष्ट-चयनात्मक प्रबंधन संयंत्रों का विकास इस समस्या का समाधान कर सकेगा।
  - इन संयंत्रों की अवसंरचना का निर्माण और उनका भविष्य का रखरखाव कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिये रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगा।

- **अनुकूलन:** अनुकूली क्षमता के निर्माण में योजनाबद्ध अनुकूलन का व्यापक महत्त्व है।

- **'पैसिव कूलिंग' प्रौद्योगिकी:** आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिये पैसिव कूलिंग प्रौद्योगिकी (passive cooling technology) 'अर्बन हीट आइलैंड' (urban heat islands) की समस्या को कम करने हेतु एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है।
  - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की एक रिपोर्ट में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले प्राचीन भारतीय भवन डिज़ाइनों का हवाला दिया गया है, जिनका उपयोग आधुनिक भवनों में भी किया जा सकता है।

- **बेहतर कृषि पद्धतियाँ:** फसल विविधीकरण, सिंचाई आधारित खेती (जो वर्षा पर निर्भरता को कम करती है) और ऐसे अन्य अभ्यास जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में कारगर हो सकते हैं।

- **आपदा प्रत्यास्थी अवसंरचना (Disaster Resilient Infrastructure):** इसके अंतर्गत आश्रय गृहों, तटीय तटबंधों और बाढ़ प्रतिरोधी इमारतों एवं सड़कों के निर्माण के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का विकास करना शामिल है।

- इसके साथ ही, उपयुक्त और कुशल मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करना भी आवश्यक है।

भारत में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग'

भारत में साफ-सफाई का कार्य अंतर्निहित रूप से पदानुक्रम और बहिष्करण की एक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसे हम जाति प्रथा के रूप में देखते हैं। बी.आर.अंबेडकर ने बलपूर्वक कहा था कि जाति प्रथा न केवल श्रम विभाजन की ओर ले जाती है बल्कि श्रमिकों का विभाजन भी करती है।

सभी प्रकार के सफाई कार्यों को 'तुच्छ' या नीच कार्य माना जाता है और इसलिये यह कार्य सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान के लोगों को सौंपा जाता है। सफाई कर्मचारी के रूप में मुख्यत: दलित व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है, जहाँ वे हाथ से मैला ढोने वाले या 'मैनुअल स्कैवेंजर्स' (Manual Scavengers), नालों की सफाई करने वाले, कचरा उठाने वाले और सड़कों की सफाई करने वाले के रूप में कार्य करते हैं।

सरकार के हाल के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 97 प्रतिशत मैनुअल स्कैवेंजर्स दलित वर्ग के हैं।

हालाँकि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत प्रतिबंध आरोपित है, लेकिन फिर भी यह अमानवीय प्रक्रिया जारी है।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा का कारण:

- **अकुशल सीवेज प्रबंधन प्रणाली:** भारत में अधिकांश नगर निकायों के पास सीवेज प्रणाली की सफाई के लिये नवीनतम मशीनें उपलब्ध नहीं हैं और इसलिये सीवेज श्रमिकों द्वारा मैनहोल के माध्यम से भूमिगत सीवरेज लाइनों में प्रवेश कर सफाई करने की आवश्यकता होती है।
  - इसके साथ ही अकुशल सफाई श्रमिकों को काम पर रखना अपेक्षाकृत सस्ता है और ठेकेदारों द्वारा उन्हें दैनिक मज़दूरी पर अवैध रूप से नियुक्त किया जाता है
- **नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन:** सरकारी कार्यक्रमों के तहत पुनर्वास के वित्तीय पहलू पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है और ये जाति-आधारित उत्पीड़न तथा संबंधित सामाजिक स्थितियों को संबोधित करने में विफल रहे हैं जो सदियों से इस प्रथा को बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
  - साथ ही ऐसी कोई उपयुक्त रणनीति नहीं अपनाई गई है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स को मनोवैज्ञानिक रूप से मुक्त कर सके। यह स्थिति मैनुअल स्कैवेंजिंग से संलग्न लोगों को इस प्रथा में और धँसने को विवश करती है।
- **सामाजिक गतिशीलता की कमी:** बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और रोज़गार तथा अवसरों की कमी के कारण मैनुअल स्कैवेंजर्स यह कार्य करने को विवश होते हैं और समाज भी उन्हें अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिये स्वीकार नहीं करता है।
  - कोई उन्हें नौकरी की पेशकश नहीं करता है और मकान मालिक उन्हें किराये पर घर नहीं देते। यह परिदृश्य उन्हें भेद्य बनाता है और उन्हें सामाजिक स्तर में ऊपर बढ़ने से अवरुद्ध करता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रभाव:

- **सामाजिक भेदभाव:** अधिकांश मैनुअल स्कैवेंजर्स को उनके काम की प्रकृति के कारण समुदाय द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता है।
  - उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें अपनी यथास्थिति स्वीकार करने के लिये मजबूर किया जाता है।
  - यह समस्या बहुत गहरी है क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जाता है और उन्हें उनके माता-पिता के समान इसी कार्य से संलग्न होने के लिये मजबूर किया जाता है।
- **जाति आधारित असमानताएँ:** इनकी जाति को अभी भी निम्न वर्ग माना जाता है और उन्हें बेहतर व्यवसाय से बहिर्वेशित रखा जाता है।
  - मैला ढोने के कार्य को उनके प्राकृतिक पेशे के रूप में देखा जाता है।
  - इसके साथ ही बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले हाशिए पर स्थित जातियों के लोग अवसर के अभाव में अंतत: इसी कार्य से संलग्न होने के लिये विवश होते हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:** मैला ढोने और साफ-सफाई के कार्यों में संलग्न लोग कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों के संपर्क में आते हैं। इन गैसों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उनमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
  - वे सीवर में भी विभिन्न संक्रमणों के संपर्क में आते हैं जहाँ कई रोगाणु मौजूद होते हैं।
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2013 से 2017 के बीच सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 608 मैनुअल स्कैवेंजर्स मौत के शिकार हुए।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या से निपटने के लिये उठाए गए कदम:

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
- अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम 2013
- अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989
- सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती
- स्वच्छता अभियान ऐप

भारत द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग पर अंकुश लगाने के माध्यम:

- **उपयुक्त पहचान:** मैनुअल स्कैवेंजिंग मानव अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, मानवता के लिये कलंक भी है। इसलिये राज्य सरकारों को प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर ज़हरीले मल-कीचड़ की सफाई से संलग्न श्रमिकों की पहचान करनी चाहिये।
- **हितधारकों की सक्रिय भागीदारी:** इस समस्या से निपटने के लिये इससे संलग्न सभी प्रमुख हितधारकों को साथ लाना आवश्यक होगा।
  - इनमें ज़िला प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और नगर निकाय सहित अन्य संबंधित कार्यकारी शामिल हैं।
  - सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के आसपास के समुदाय को कार्यक्रम में शामिल करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।
  - अधिकारियों और समुदाय से प्राप्त फीडबैक से पहल के साथ आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीके पर एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
- **जन जागरूकता:** स्थानीय लोगों के साथ एक कार्यशाला आयोजित करने से अधिकारियों को मैला ढोने और शौचालयों के इस्तेमाल से संबंधित कानूनी निहितार्थों के बारे में जागरूकता के प्रसार में मदद मिलेगी, साथ ही वे इस प्रथा के कारणों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
  - जागरूकता अभियानों को न केवल मैला ढोने के खतरों को संबोधित करना चाहिये, बल्कि प्रभावित समुदाय को आय अर्जित करने के वैकल्पिक उपाय भी सुझाने चाहिये।
  - स्थानीय लोगों को भी ऐसे समाधान सुझाने की अनुमति दी जा सकती है जिससे वे सहज हों।
- **मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिये मुआवजा और उनका पुनर्वास:** अधिक रोज़गार अवसरों का सृजन सबसे महत्त्वपूर्ण पुनर्वास प्रक्रियाओं में से एक होगा।
  - सृजित नौकरियों का उद्देश्य स्थानीय लोगों को समान अवसर प्रदान करना होगा। सृजित नौकरियाँ मैनुअल स्कैवेंजर्स को समुदाय में आत्मसात् करने के साधन के रूप में भी कार्य करेंगी।
  - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिये यह अनिवार्य बनाया कि वह उन सभी लोगों की पहचान करे जो वर्ष 1993 से अब तक सीवेज सफाई के दौरान मारे गए और उनमें से प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दे।
- **उपयुक्त मानव अपशिष्ट प्रबंधन में निवेश:** ठोस एवं तरल अपशिष्ट पृथक्करण समस्याओं को हल करना तथा साथ ही नगर निकाय स्तर पर जैव खाद का निर्माण करना ऐसे कुछ उपाय हैं जो मानवता के लाभ के लिये अपशिष्टों का उपयोग कर सकते हैं।
  - अपशिष्ट को दायित्व के बजाय संपत्ति के रूप में देखने से मैनुअल स्कैवेंजिंग को भविष्य में कम किया जा सकेगा और यह स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत में योगदान कर सकेगा।
- **रोबोटिक स्कैवेंजिंग:** रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी मशीनें तैयार की जा सकती हैं जो ऐसे मैनुअल श्रम में इंसानों की जगह ले सकें।
  - बैंडीकूट (Bandicoot) एक ऐसी ही रोबोटिक मशीन है जिसे किसी भी प्रकार के सीवर मैनहोल की सफाई के लिये बनाया गया है
- **सामाजिक एकता की ओर:** मैला ढोने का कार्य अत्यंत कम आय प्रदान करता है जो एक बच्चे को शिक्षित करने के लिये भी पर्याप्त नहीं है। इस परिदृश्य में बच्चा पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और अपने माता-पिता के साथ उसी कार्य में संलग्न होने के लिये विवश होता है।
  - ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना चाहिये जो इन बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करे। यह मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबद्ध धारणाओं और मिथकों के त्याग में एक प्रभावी रणनीति साबित होगी।

भारत और परमाणु अप्रसार संधि

हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT) की समीक्षा के लिये दसवाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ।

हालाँकि सम्मेलन में एक आम सहमति का निर्माण नहीं हो सका जो एक ऐसे समय कुछ अप्रत्याशित ही माना जा सकता है जब विश्व की कई प्रमुख शक्तियाँ परस्पर संघर्षरत हैं।

एक और निराशाजनक परिदृश्य यह रहा कि भारत ने एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद NPT समीक्षा में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि समय की आवश्यकता यह है कि भारत नए आयाम ग्रहण कर रहे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु विमर्श पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दे और अपने स्वयं के असैन्य एवं सैन्य परमाणु कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करे।

परमाणु अप्रसार संधि

- **परिचय:** NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
- इस पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किया गया था और यह वर्ष 1970 से प्रवर्तित हुआ। वर्तमान में 191 राष्ट्र-राज्य इसके सदस्य हैं।
    - उल्लेखनीय है कि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और इसका सदस्य नहीं है।
- संधि के तहत सदस्य देशों को परमाणु हथियार निर्माण की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना का त्याग करना होगा और इसके बदले उन्हें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु पहुँच प्राप्त होगी।
    - यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों (Nuclear-Weapon States- NWS) द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये एक बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। NWS में वे देश शामिल हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 के पूर्व परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण या परीक्षण किया हो।

- **NPT समीक्षा सम्मेलन:** वर्ष 1970 में लागू हुए परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकार देश प्रत्येक पाँच वर्ष पर संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं।
    - इसका दसवाँ समीक्षा सम्मेलन वर्ष 2020 में आयोजित होना था जो कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गया और अब संपन्न हुआ है।

भारत में परमाणु विकास

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध में होमी जे. भाभा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था।
    - भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया।
    - भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मई 1998 में कई परमाणु परीक्षण किये।
        - वर्ष 1998 के परीक्षणों के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के 'नो फ़र्स्ट यूज़' (NFU) के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे औपचारिक रूप से जनवरी, 2003 में अंगीकृत किया गया।
        - इसके तहत कहा गया कि भारतीय क्षेत्र पर अथवा कहीं भी भारतीय सैन्य बलों पर परमाणु हमले के जवाब में ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा।
- **प्रमुख बाधा:** शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत के परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसने भारत में गंभीर चिंता उत्पन्न की।
    - मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद, भारत को अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा।
- **भारत-अमेरिका परमाणु समझौता:** प्रतिबंधों के कुछ वर्ष बाद वर्ष 2005 में ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु पहल ने एक ऐसा ढाँचा तैयार किया जिसने NPT प्रणाली के साथ भारत के विस्तारित संघर्ष को समाप्त कर दिया।
    - अमेरिका के साथ इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत के असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रम अलग-अलग हो गए।
    - इस समझौते के कुछ वर्षों बाद भारत को पुनः अपने परमाणु शस्त्रागार को विकसित करने और शेष विश्व के साथ असैन्य परमाणु सहयोग फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई (जो मई 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद से ही नियंत्रित थी)।
- **वर्तमान परिदृश्य:** वर्ष 2018 में भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत में घोषित योजनानुसार अपना अपना 'परमाणु त्रयी' या न्यूक्लियर ट्राइएड (Nuclear Triad) पूरा कर लिया।
    - परमाणु त्रयी एक तीन-तरफा सैन्य-बल संरचना है जिसमें भूमि-प्रक्षेपित परमाणु मिसाइल, परमाणु-मिसाइल-सज्जित पनडुब्बियाँ और परमाणु बम एवं मिसाइलों से सज्जित सामरिक विमान शामिल हैं।
    - हालाँकि, यह भी उल्लेखनीय है कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौता संपन्न होने के लगभग डेढ़ दशक बाद भी भारत ने अमेरिका से अब तक एक भी परमाणु रिएक्टर की खरीद नहीं की है।

NPT समीक्षा सम्मेलन की विफलता से संबंधित मुद्दे:

- **वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती खाई:** 10वें समीक्षा सम्मेलन की विफलता NPT के प्रमुख प्रायोजकों अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती खाई को प्रकट करती है, जबकि उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध के चरम पर भी NPT के लिये प्रबल समर्थन ऐसा प्रमुख क्षेत्र था जहाँ अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच सहयोग नज़र आता था।
  - सम्मेलन में यूक्रेन के ज़ापोरिज्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Zaporizhzhia nuclear power plant) पर रूस के सैन्य नियंत्रण का संदर्भ लिये जाने पर रूस द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई।
  - मध्य-पूर्व की परमाणु समस्याओं (जिससे इज़राइल और ईरान संलग्न हैं) ने भी NPT समीक्षा सम्मेलनों में सफल परिणामों को अवरुद्ध रखा है।
    - सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त मध्य-पूर्व क्षेत्र की स्थापना पर गंभीर मतभेदों के कारण वर्ष 2015 में आयोजित 9वाँ समीक्षा सम्मेलन भी बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया था।
- **गैर-परमाणु पक्षकार देशों की आशंकाएँ:** NPT के निरस्त्रीकरण प्रावधानों को लागू करने में प्रगति की कमी को लेकर ये देश शिकायत रखते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा हथियारों के नियंत्रण पर किसी भी तरह के संवाद के अभाव ने स्थिति को और बदतर कर दिया है।
  - NWS ने परमाणु हथियारों के महत्त्व को कम करने के बजाय उनकी रणनीतिक उपयोगिता पर अधिक बल देना शुरू कर दिया है।
  - इसके अलावा, परमाणु संपन्न रूस द्वारा गैर-परमाणु राष्ट्र यूक्रेन पर आक्रमण ने गैर-परमाणु राज्यों के समक्ष आसन्न खतरे को और बढ़ा दिया है।
    - उल्लेखनीय है कि रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी धमकी दी है।
- **चीन का विशेष खतरा:** एशियाई देशों के लिये चीन की बढ़ती आक्रामकता एक समान चिंता का विषय है। यह भय वास्तविक है कि चीन द्वारा अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों को जब्त करने के लिये अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।
  - चीन AUKUS समूह को समर्थन देने वाले दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की आलोचना करता है और इसे NPT के प्रावधानों के लिये उल्लंघनकारी मानता है
    - 10वें समीक्षा सम्मेलन में इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी NPT के लिये AUKUS समझौते के निहितार्थों के बारे में चिंता व्यक्त की।

वर्तमान वैश्विक परमाणु आख्यान क्या होना चाहिये?

- बढ़ती ऊर्जा मांगों ने परमाणु ऊर्जा की ओर आगे बढ़ने वाले देशों की संख्या में वृद्धि की है और कई देश एक स्थायी एवं भरोसेमंद घरेलू ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ऊर्जा-स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हैं।
  - इस परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रयास करना होगा कि ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की देशों की इच्छा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के हस्तक्षेप को कम करने और परमाणु प्रसार की संभावना को कम करने की उनकी इच्छा के बीच एक सामंजस्य लाया जाए।
- यद्यपि गैर-परमाणु हथियार राज्यों (NNWS) ने न्यू स्टार्ट (New START) एवं अन्य पहलों का स्वागत किया है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांतों में परमाणु हथियारों की भूमिका को सीमित करने, चेतावनी स्तर को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने पर अधिक ठोस कार्रवाई देखने के इच्छुक हैं।
- विश्व के अधिकाधिक क्षेत्रों को (अधिमानत: NWS को शामिल करते हुए) परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना की एक व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिये।

भारत के लिये फोकस के प्रमुख क्षेत्र क्या होने चाहिये?

- **परमाणु शक्ति को बढ़ाना:** भारत को वृहत शक्ति सैन्य रणनीति के प्रमुख साधनों के रूप में बदलते वैश्विक परमाणु विमर्श को चिह्नित करने और उसके अनुकूल बनने का प्रयास करना चाहिये। उसे अपने परमाणु हथियारों की क्षमता की जाँच भी करनी चाहिये कि वे प्रतिद्वंद्वियों के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार का मुक़ाबला कर सकने में सक्षम हैं या नहीं।
  - वर्ष 1998 के बाद से भारत ने 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' (credible minimum deterrence) के निर्माण पर अपनी रणनीति को आधारित रखा है।
    - इस रणनीति के 'विश्वसनीय' पक्ष को प्रतिबिंबित करने और 'न्यूनतम' को पुन: परिभाषित करने का यह उपयुक्त समय होगा।
  - इसके साथ ही, भारत को सीमा पर अपने बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर और निगरानी एवं चेतावनी क्षमताओं में सुधार कर 'सक्रिय निरोध' (active deterrence) की अपनी मुद्रा को धीरे-धीरे 'अवरोधक निरोध' (dissuasive deterrence) में रूपांतरित करने की आवश्यकता है।
- **परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना:** भारत, जिसने 50 वर्ष से भी अधिक समय पहले एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया था, वर्तमान में महज 7,000 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता तक अटका हुआ है।

- भारत को अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान गतिहीनता को समाप्त करने के तरीके खोजने चाहिये, विशेष रूप से एक ऐसे समय में जब उसने अपनी ऊर्जा खपत में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को कम करने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है।
- **असैन्य परमाणु दायित्व अधिनियम पर पुनर्विचार करना:** भारत की असैन्य परमाणु पहल का उद्देश्य परमाणु विद्युत शक्ति के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वार खोलना था।
    - हालाँकि 'परमाणु क्षति के लिये असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010' (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) ने आंतरिक और बाह्य दोनों ही निजी खिलाड़ियों के लिये कार्यक्रम में योगदान करना असंभव बना दिया है।
    - भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा के योगदान को तेज़ी से बढ़ाने के लिये किसी भी भारतीय रणनीति के लिये इस कानून पर पुनर्विचार करना एक तत्काल अनिवार्यता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

- दक्षिण एशिया में हालिया राजनीतिक अशांति के संदर्भ में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के आर्थिक एवं रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिये।
- दक्षिण एशिया में हालिया राजनीतिक अशांति के संदर्भ में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के आर्थिक एवं रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिये।
- महिलाओं पर 'कृषि के नारीकरण' के प्रभावों की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक खेती में महिलाओं की भागीदारी एक समग्र लाभ की स्थिति कैसे हो सकती है?
- ''भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता या बहु-संरेखीय दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो रही है।'' टिप्पणी कीजिये।
- ताइवान के साथ संबंधों को मुख्यभूमि चीन से पृथक करना भारत की 'एक चीन' की नीति को व्युत्क्रमित करने का एक तरीका हो सकता है। उपयुक्त तर्कों के साथ टिप्पणी कीजिये।
- ''फ्रीबीज़ कल्चर समृद्धि का मार्ग नहीं है, बल्कि वित्तीय आपदा का एक त्वरित पासपोर्ट है।'' टिप्पणी कीजिये।
- भारत में हिमालय से संबद्ध चुनौतियों की चर्चा कीजिये। भारतीय हिमालय क्षेत्र में मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या भूमिका निभा सकता है?
- ''जलवायु और संवहनीयता संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों का दोहन आवश्यक है जिसमें नील-हरित अवसंरचना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।'' व्याख्या कीजिये।
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत में ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म-केंद्रित प्रतिमान को ओपन नेटवर्क में किस प्रकार रूपांतरित कर सकता है? इसके कार्यान्वयन में निहित प्रमुख परिचालन चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) अन्य प्रक्षेपण यानों से किस प्रकार भिन्न है?
- 'ऑनलाइन शिक्षा छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिये कई संभावनाओं के द्वार खोलती है, लेकिन यह भारत में सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा भी दे सकती है।'' व्याख्या कीजिये।
- ''भारत के फिनटेक क्षेत्र को दुनिया के सबसे विघटनकारी, अभिनव और परिपक्व फिनटेक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, फिनटेक के लिये एक नियामक ढाँचे की अनुपस्थिति भारत के वित्तीय पारितंत्र के लिये गंभीर चुनौतियाँ पेश करती है। टिप्पणी कीजिये।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन में व्याप्त प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें और इस संबंध में उचित उपायों के सुझाव दें।
- ''स्वतंत्रता के समय से ही सुलगता रहा पूर्वोत्तर भारत एक उपचारात्मक स्पर्श की प्रतीक्षा करता रहा है।'' व्याख्या कीजिये।
- भारत में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में इथेनॉल सम्मिश्रण की भूमिका की व्याख्या करें और इसके कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें।
- भारत को नैतिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय हित को संतुलित करने के लिये अपनी अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता की रूपरेखा को एक आकार देना चाहिये। टिप्पणी कीजिये।
- भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में कौन-सी बाधाएँ मौजूद हैं? महिला सशक्तीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी पहलों पर प्रकाश डालें।
- ''आर्थिक विकास का अर्थ न केवल नौकरियों का सृजन करना है बल्कि स्वस्थ कार्य स्थितियों का विकास करना भी है।'' भारत में नई श्रम संहिताओं के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये।
- ''सौर ऊर्जा भारत में कृषि क्षेत्र के लिये एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकती है।'' टिप्पणी कीजिये।
- ''भारत में शरणार्थी मानव अधिकारों और मानवीय कानून के वृहत प्रश्न से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।'' विवेचना कीजिये।

नोट :

- ''चाबहार बंदरगाह के विकास को अलग घटना के रूप में नहीं बल्कि अन्य अवसरों के प्रिज़्म से देखा जाना चाहिये जो भारत इस उद्यम से प्राप्त कर सकता है।'' चर्चा करें।
- क्या भारत से गरीबी उन्मूलन के लिये यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) एक प्रभावी साधन हो सकती है? समालोचनात्मक विश्लेषण करें।
- भारत में LGBTQIA+ समुदाय की स्थिति की चर्चा उन मामलों के आलोक में करें जिनसे उन्हें अपने अधिकारों की पुष्टि कराने में मदद मिली।
- अर्थव्यवस्था, विकास और जलवायु परिवर्तन प्राय: एक-दूसरे से टकराते हैं जिसके परिणामस्वरूप जोखिम और भेद्यता बढ़ जाती है। चर्चा कीजिये।
- हालाँकि भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर प्रतिबंध आरोपित है, लेकिन यह अमानवीय अभ्यास अब भी जारी है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें।
- परमाणु हथियारों के अप्रसार के लिये वर्तमान वैश्विक रुख में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है। उन प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करें जहाँ भारत को इस परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :